



सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2011-2012

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
विनियोग लेखे का सारांश	2-14
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	15-17
विनियोग लेखे-	
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	18-29
2. पशुपालन विभाग	30-38
3. भवन निर्माण विभाग	39-45
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	46-49
5. राज्यपाल सचिवालय	50-52
6. निर्वाचन	53-54
7. निगरानी	55
8. नागर विमानन विभाग	56
9. सहकारिता विभाग	57-64
10. ऊर्जा विभाग	65-73
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	74-76
12. वित्त विभाग	77-82
13. ब्याज संदाय	83-88
14. ऋण की वापसी/अदायगी	89-92
15. पेंशन	93-97
16. राष्ट्रीय बचत	98-99
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	100-101
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	102-111
19. वन एवं पर्यावरण विभाग	112-119
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	120-145
21. उच्च शिक्षा	146-150
22. गृह विभाग	151-159
23. उद्योग विभाग	160-173
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	174-178
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	179-180
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	181-197
27. विधि विभाग	198-202
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय	203-204

29. खनन एवं भूतत्व विभाग	205-207
30. अल्पसंख्यक कल्याण	208-213
31. संसदीय कार्य	214
32. विधान मंडल	215-217
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	218-220
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	221
35. योजना एवं विकास विभाग	222-228
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	229-234
37. राजभाषा विभाग	235
38. निबंधन विभाग	236-238
39. आपदा प्रबंधन विभाग	239-247
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	248-254
41. पथ निर्माण विभाग	255-262
42. ग्रामीण विकास विभाग	263-272
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	273-280
44. मानव संसाधन विकास विभाग	281
45. सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	282-287
46. पर्यटन विभाग	288-292
47. परिवहन विभाग	293-299
48. नगर विकास विभाग	300-314
49. जल संसाधन विभाग	315-328
50. लघु सिंचाई विभाग	329-338
51. कल्याण विभाग	339-360
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	361-367
53. मत्स्य	368-373
54. डेयरी	374-377
55. ग्रामीण कार्य विभाग	355-384
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग	385-394
57. आवास विभाग	395-396
58. माध्यमिक शिक्षा	397-406
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा	407-416
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	417-430
परिशिष्ट	431

प्रस्तावना

वर्ष 2011-12 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग दत्तमत्त	6,51,92,52	15,00,00	4,23,10,54	13,99,55
2. पशुपालन विभाग दत्तमत्त	1,39,61,21	1,08,09,30
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत्त	82,63,02	75,70,00	78,36,42	49,57,57
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग दत्तमत्त	31,34,14	20,54,57
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	7,06,61	5,89,99
6. निर्वाचन दत्तमत्त	31,61,61	28,16,20
7. निगरानी दत्तमत्त	11,39,52	10,94,84
8. नागर विमानन विभाग दत्तमत्त	70,63,49	66,93,81
9. सहकारिता विभाग दत्तमत्त	1,53,89,41	47,34,33	1,39,72,75	46,02,93
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत्त	10,76,98,81	12,95,00,00	8,76,88,73	1,64,94,69
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत्त	18,78,88	15,00,01	16,39,13	5,00,00

सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

2,28,81,98	1,00,45
31,51,91
4,26,60	26,12,43
10,79,57
1,16,62
3,45,41
44,68
3,69,68
14,16,66	1,31,40
2,00,10,08	11,30,05,31
2,39,75	10,00,01

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
12. वित्त विभाग दत्तमत्त	47,07,16	1,00,30,47	37,01,09	93,50,97
13. ब्याज संदाय प्रभारित	24,04,12,34	22,67,07,67
14. ऋण की वापसी/अदायगी प्रभारित	14,19,46,16	16,39,01,88
15. पेंशन दत्तमत्त	20,96,08,80	22,96,68,70
16. राष्ट्रीय बचत दत्तमत्त	2,77,15	2,37,18
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग दत्तमत्त	61,97,88	50,73,16
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दत्तमत्त	11,25,11,33	9,57,10,79
19. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत्त	2,72,40,54	13,00,00	2,20,20,28	12,50,00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दत्तमत्त	10,94,23,08	3,41,24,67	8,16,29,79	1,63,53,17
21. उच्च शिक्षा दत्तमत्त	5,21,49,60	4,39,10,36

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

10,06,07	6,79,50
1,37,04,67
....	2,19,55,72 (2,19,55,72,490)
....	2,00,59,90 (2,00,59,90,088)	
39,97
11,24,72
1,68,00,54
52,20,26	50,00
2,77,93,29	1,77,71,50
82,39,24

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
22. गृह विभाग दत्तमत्त	25,04,22,87	1,21,77,30	22,48,05,75	1,06,23,53
23. उद्योग विभाग दत्तमत्त	3,53,13,39	1,95,72,08
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत्त	57,77,83	46,39,96
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दत्तमत्त	3,94,74	14,70,00	1,51,85	14,70,11
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग दत्तमत्त	8,51,69,78	6,58,62,58
27. विधि विभाग दत्तमत्त	2,07,95,83	1,63,72,47
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय प्रभारित	42,17,36	36,86,28
29. खनन एवं भूतत्व विभाग दत्तमत्त	26,70,23	50,00	18,48,42
30. अल्पसंख्यक कल्याण दत्तमत्त	1,48,21	1,60,43,04	1,21,43	70,45,65
31. संसदीय कार्य दत्तमत्त	17,07	2,41
32. विधान मंडल दत्तमत्त	45,83,95	41,57,35
प्रभारित	25,00	13,28

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

2,56,17,12	15,53,77
1,57,41,31
11,37,87
2,42,89	11 (11,160)
1,93,07,20
44,23,36
5,31,08
8,21,81	50,00
26,78	89,97,39
14,66
4,26,60
11,72

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग दत्तमत्त	15,52,10	...	12,29,41	...
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	6,14,20	...	4,38,67	...
35. योजना एवं विकास विभाग दत्तमत्त	4,99,32,18	2,07,53,63
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत्त	1,93,88,77	3,00,60,00	1,86,81,59	2,41,26,29
37. राजभाषा विभाग दत्तमत्त	15,66,21	15,36,29
38. निबंधन विभाग दत्तमत्त	20,83,94	11,36,34
39. आपदा प्रबन्धन विभाग दत्तमत्त	4,87,60,89	2,20,72,42
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत्त	3,28,97,65	5,31	2,49,82,22	5,30
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत्त	2,21,11,05	16,96,60,00	2,03,09,22	7,96,66,21
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत्त	8,36,58,94	5,60,92,00	6,19,58,94	5,13,21,11
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत्त	94,93,73	85,47,86	54,65,16	33,20,45

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

3,22,69
1,75,53
2,91,78,55
7,07,18	59,33,71
29,92
9,47,60
2,66,88,47
79,15,43	1
18,01,83	8,99,93,79
2,17,00,00	47,70,89
40,28,57	52,27,41

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
44. मानव संसाधन विकास विभाग दत्तमत्त	31,17,86	30,17,30
45. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दत्तमत्त	67,36,79	12,72,18
46. पर्यटन विभाग दत्तमत्त	10,39,25	19,77,00	8,02,09	18,42,20
47. परिवहन विभाग दत्तमत्त	8,23,74,64	15,63,00	4,92,00,30	3,18,96
48. नगर विकास विभाग दत्तमत्त	3,59,54,88	10,03,55,73	2,64,88,65	1,87,49,67
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत्त	3,08,42,13	9,11,30,00	2,24,64,88	1,96,60,50
50. लघु सिंचाई विभाग दत्तमत्त	81,05,36	6,56,70,00	62,01,72	2,17,76,58
51. कल्याण विभाग दत्तमत्त	9,35,19,21	1,68,09,80	6,26,04,86	1,33,74,22
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग दत्तमत्त	72,26,43	27,11,50	33,88,45	24,84,66
53. मत्स्य दत्तमत्त	45,32,72	10,20,00	37,55,66	2,70,10
54. डेयरी दत्तमत्त	82,69,69	60,81,93

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

1,00,56
54,64,61
2,37,16	1,34,80
3,31,74,34	12,44,04
94,66,23	8,16,06,06
83,77,25	7,14,69,50
19,03,64	4,38,93,42
3,09,14,35	34,35,58
38,37,98	2,26,84
7,77,06	7,49,90
21,87,76

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
55. ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत	1,39,56,49	3,85,00,00	1,28,96,69	3,36,66,81
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग दत्तमत	14,12,39,94	2,50,00	11,02,16,29	1,70,30
57. आवास विभाग दत्तमत	9,46,39	1,00,00	7,91,16	1,00,00
58. माध्यमिक शिक्षा दत्तमत	6,75,24,76	35,00,00	4,75,49,82	17,00,00
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा दत्तमत	38,41,91,26	8,00,00	30,39,10,57	92,47
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग दत्तमत	8,25,19,16	5,94,72,31
कुल दत्तमत :-	2,39,78,34,47	80,87,52,02	1,89,46,42,02	34,66,94,00
कुल प्रभारित :-	24,59,75,51	14,19,46,16	23,14,35,89	16,39,01,88
कुल जोड :-	2,64,38,09,98	95,06,98,18	2,12,60,77,91	51,05,95,88

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
10,59,80	48,33,19
3,10,23,65	79,70
1,55,23
1,99,74,94	18,00,00
8,02,80,69	7,07,53
2,30,46,85
52,32,52,35	46,20,58,13	2,00,59,90	11
1,45,39,62	2,19,55,72
53,77,91,97	46,20,58,13	2,00,59,90	2,19,55,83

विनियोग लेखे का सारांश -क्रमांत

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

15 पेंशन

पूजी प्रभाग :

25 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

पूजी प्रभाग :

14 ऋण की वापसी/अदायगी

चूँकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूजी	राजस्व	पूजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,89,46,42,02	34,66,94,00	23,14,35,89	16,39,01,88
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	2,69,20,25	15,06,33
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दिखाया गया है।	1,86,77,21,77	34,51,87,67	23,14,35,89	16,39,01,88

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

31.3.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31.3.2012 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31.3.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

नई दिल्ली

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	6,25,60,35}	6,51,92,52	4,23,10,54	-2,28,81,98
अनुपूरक	26,32,17}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			48,62,25
(6 अगस्त 2011 : 2,50,00			
8 दिसम्बर 2011 : 2,00,05			
फरवरी 2012 : 13,00,00			
3 मार्च 2012 : 1,11,30			
31 मार्च 2012 : 30,00,90)			

पूजी:

मूल	5,00,00}	15,00,00	13,99,55	-1,00,45
अनुपूरक	10,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य
------------------------------	--	--	-------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 2,28,81.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 7,50.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 8,19.00 लाख) और मार्च 2012 (₹ 10,63.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,32.17 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 48,62.25 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,28,81.98 लाख) से ₹ 1,80,19.73 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म, 107 - वनस्पति संरक्षण, 09- पौधा संरक्षण योजना (गैर-योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 49- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1 (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 17-विभागीय आधारभूत संरचना का विकास (योजना), 29-मैक्रोइरीगेशन सिस्टम के लिए योजना (योजना), 800-अन्य व्यय, 09-विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास (योजना), और 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 15-राज्य कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 51.06 लाख, ₹ 88.07 लाख, ₹ 53.85 लाख, ₹ 78.81 लाख, ₹ 53.39 लाख और ₹ 2,00.05 लाख, की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,96.13 लाख, ₹ 20,00.00 लाख, ₹ 8,00.00 लाख, ₹ 8,10.00 लाख, ₹ 6,65.00 लाख और ₹ 25,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,59.02}			
	पुनर्वि० -55.96}	1,03.06	1,02.64	-0.42
₹ 55.96 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों/पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण हुई थी।				
2.	103 बीज 01 बीज संवर्द्धन फार्म (गैर-योजना)			
	मूल 4,26.87}			
	पुनर्वि० -86.29}	3,40.58	3,32.27	-8.31
₹ 94.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	105 खाद तथा उर्वरक 01 कम्पोस्ट खाद योजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,14.40}			
	पुनर्वि० -31.46}	82.94	82.94	...

₹ 31.46 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति के बाद पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर- योजना)			
	मूल 30,20.30}			
	अनुपूरक 2.18}	25,31.43	24,88.86	-42.57
	पुनर्वि० -4,91.05}			
<p>₹ 4,91.05 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृति के बाद कर्मचारियों/अधिकारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 42.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
5.	08 क्षेत्र परीक्षात्मक सेवा की योजना (गैर-योजना)			
	मूल 2,07.52}	1,00.32	93.10	-7.22
	पुनर्वि० -1,07.20}			
<p>₹ 1,07.20 लाख की प्रत्याशित बचत संवर्ग बँटवारा एवं कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृति के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों का बिहार में पदभार ग्रहण करने के कारण हुई थी। ₹ 7.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	11 एक्सटेन्सन रिफार्मस (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21,60.00}	21,60.00	7.37	-21,52.63
<p>₹ 21,52.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,10.00}	7,09.83	4,96.42	-2,13.41
	पुनर्वि० -1,00.17}			

₹ 1,00.17 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति होने के कारण हुई थी। ₹ 2,13.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	78.87	58.99	-19.88
	पुनर्वि० -11.13}			
<p>₹ 11.13 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है। ₹ 19.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2012)।</p>				
9.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 6,90.00}	4,90.00	2,07.20	-2,82.80
	पुनर्वि० -2,00.00}			
<p>₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा सरकार के समतुल्य राशि विमुक्त किये जाने की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 2,82.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
10.	29 माइक्रो-इरीगेशन की योजना (योजना)			
	मूल 6,90.00}	6,90.00	3,71.05	-3,18.95
11.	44 कृषि मेला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी हेतु योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	17.22	-42.78
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,18.95 लाख और ₹ 42.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
12.	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
	01 उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 4,34.56}	2,21.89	2,21.89	...
	पुनर्वि० -2,12.67}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	05 सब्जी विकास योजना (रोगमुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (गैर-योजना)			
	मूल 3,52.03}	1,66.71	1,63.93	-2.78
	पुनर्वि० -1,85.32}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,12.67 लाख और ₹ 1,85.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
14.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,34.70	-65.30
15.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	19 एक्सटेन्सन रिफार्मस (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,20.00}	25,20.00	4.47	-25,15.53
16.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,90.00}	9,90.00	4,28.02	-5,61.98
17.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	47.55	-62.45

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 65.30 लाख, ₹ 25,15.53 लाख, ₹ 5,61.98 लाख और ₹ 62.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 8,10.00}	7,60.00	6,49.47	-1,10.53
	पुनर्वि० -50.00}			
<p>₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के समतुल्य राशि विमुक्त किये जाने की संभावना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 1,10.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
19.	29 माइक्रो-इरीगेशन सिस्टम योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,48.00}	6,48.00	2,90.50	-3,57.50
20.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	19.08	-90.92
21.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 5,40.00}	5,40.00	4,85.02	-54.98
22.	49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 2,97.22}	2,97.22	3.83	-2,93.39

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,57.50 लाख, ₹ 90.92 लाख, ₹ 54.98 लाख और ₹ 2,93.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	53 परामर्शी सेवाएं एवं कृषि सूचना तंत्र (योजना)			
	मूल 5,40.00}			
	अनुपूरक 1,90.00}	5,90.00	5,72.90	-17.10
	पुनर्वि० -1,40.00}			
<p>₹ 1,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत पूँजी परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुपूरक अनुदान में प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 17.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
24.	57 आत्मा एवं समेति को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 4,30.00}	4,30.00	3,86.23	-43.77
25.	58 बीज प्रमाणन एजेन्सी को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,58.04	-41.96
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 43.77 और ₹ 41.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
26.	60 उर्वरक संग्रहण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	अनुपूरक 5,00.00}			
	पुनर्वि० -5,00.00}			
<p>₹ 5,00.00 की प्रत्याशित बचत उर्वरक संग्रहण हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गोदाम के निर्माणाधीन होने के कारण हुई थी।</p>				
27.	61 कृषि मेला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी हेतु योजना (योजना)			
	मूल 70.00}	70.00	28.32	-41.68

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	800 अन्य व्यय 48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	1,65.11	-94.89
29.	49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 2,53.20}	2,53.20	18.64	-2,34.56
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 41.68 लाख, ₹ 94.89 लाख और ₹ 2,34.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
30.	52 परामर्शी सेवाएं एवं कृषि सूचना तंत्र (योजना)			
	मूल 4,60.00}	6,60.00	5,37.20	-1,22.80
	अनुपूरक 3,60.00}			
	पुनर्वि० -1,60.00}			
₹ 1,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत पूँजी परिसम्पतियों के सृजन हेतु प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,22.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
31.	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 101 मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण 06 बंजर भूमि का विकास (योजना)			
	मूल 4,43.00}	4,43.00	3,98.76	-44.24

₹ 44.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
32.	102 मृदा संरक्षण 04 क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 11,55.76}	10,26.07	10,23.44	-2.63
	अनुपूरक 1.45}			
	पुनर्वि० -1,31.14}			
₹ 1,33.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
33.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01 फसल कृषि-कर्म 277 शिक्षा 02 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,22.85}	85.62	85.57	-0.05
	पुनर्वि० -37.23}			
₹ 37.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
34.	80 सामान्य 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 30,00.00}			
	अनुपूरक 7,50.00}	28,58.05	28,58.05
	पुनर्वि० -8,91.95}			

₹ 8,91.95 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,57.90 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,34.05 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 07 कृषि विभाग (ईख विभाग सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 3,19.64}			
	अनुपूरक 2.50}	2,46.96	2,45.60	-1.36
	पुनर्वि० -75.18}			
36.	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 106 भार और माप का विनियमन 02 माप एवं तौल की मानकीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 3,44.51}			
	पुनर्वि० -50.74}	2,93.77	2,93.69	-0.08

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 75.18 लाख एवं ₹ 50.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 39,10.00}	39,10.00	-39,10.00
2.	29 माइक्रो-इरीगेशन की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,52.00}	5,52.00	-5,52.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	43 पॉइलट बेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेन्स स्कीम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	-90.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 45,90.00}	45,90.00	-45,90.00
5.	43 पॉइलट बेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेन्स स्कीम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	-1,10.00
उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	59 राज्य बीज निगम को अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}
	पुनर्वि० -10,00.00}			
तृतीय अनुपूरक बजट में हिस्सा पूँजी के रूप में प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम 01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कौंसिल की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	-25.00

₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

पूँजी:

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	3,00.00	2,49.55	-50.45
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 कृषि प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार (योजना)			
	मूल 3,00.00}			
2.	800 अन्य व्यय	2,00.00	1,50.00	-50.00
	04 कृषि प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार (योजना)			
	मूल 2,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.45 लाख और ₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 2 - पशुपालन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2403 पशुपालन			
3451 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			

राजस्व:

मूल	1,30,98,95}	1,39,61,21	1,08,09,30	-31,51,91
अनुपूरक	8,62,26}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(3 अगस्त 2011	:	5,00	8,03,62
24 नवम्बर 2011	:	1,50,00	
7 दिसम्बर 2011	:	30,00	
फरवरी 2012	:	2,57,00	
31 मार्च 2012	:	3,61,62)	

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 31,51.91 की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 5.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 5,80.33 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 2,76.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,62.26 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,03.62 लाख), अंतिम बचत (₹ 31,51.91 लाख) से ₹ 23,48.29 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2403- पशुपालन, 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 03- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना), 102- पशु तथा भैंस विकास, 06-पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित सांठों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्डों में वितरण सहित) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,24.58 लाख तथा ₹ 92.97 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 37,26.59 लाख तथा ₹ 12,01.60 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2403 पशुपालन 001 निदेशन और प्रशासन 03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 1,47.00}	1,53.00	1,17.18	-35.82
	अनुपूरक 6.00}			
	₹ 35.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,08.63}	1,72.05	1,72.05
	पुनर्वि० -36.58}			
	₹ 0.76 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि का कम प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 37.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
3.	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 पशु रोग नियंत्रण सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 70.00}	70.00	3.46	-66.54

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	08 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,10.00}	2,10.00	1,60.39	-49.61
	पुनर्वि० -34.21}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 66.54 लाख एवं ₹ 49.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	24 अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (योजना)			
	मूल 3,62.00}	3,27.79	1,77.69	-1,50.10
	पुनर्वि० -34.21}			
₹ 34.21 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की कम स्वीकृति मिलने के कारण हुई थी। ₹ 1,50.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	26 पेट क्लीनिक (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	69.99	-30.01
7.	28 पशु चिकित्सालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	5,99.09	-6,00.91
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30.01 लाख एवं ₹ 6,00.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2012)।				
8.	102 पशु तथा भैंस विकास 03 फ़ोजन सीमेन बैंक (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	41.00	38.76	-2.24
	पुनर्वि० -59.00}			
₹ 59.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग कम किये जाने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	34 राज्य पशुधन के चिन्हितकरण एवं पहचान (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	20.24	-39.76
	पुनर्वि० -36.84}			
	₹ 39.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
10.	103 कुक्कुट विकास 04 कुक्कुट प्रक्षेत्र एवं स्मौल ट्रेसिंग प्लांट (गैर-योजना)			
	मूल 93.72}	56.88	55.03	-1.85
	पुनर्वि० -36.84}			
	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23.08 लाख की प्रावधान में कटौती एवं ₹ 13.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
11.	05 कुक्कुट एवं बतख प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 1,40.00}	1,13.89	22.32	-91.57
	पुनर्वि० -26.11}			
	₹ 26.11 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा निधि का अनुमोदन नहीं होने (₹ 20.11 लाख) एवं निधि का कम उपयोग होने (₹ 6.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 91.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
12.	104 भेड़ तथा ऊन विकास 07 बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,82.00}	1,62.00	1,57.49	-4.51
	पुनर्वि० -20.00}			
	₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत लघु कार्यों पर व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	106 अन्य पशुधन विकास 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	मूल 3,86.00}	5,24.00	4,66.76	-57.24
	अनुपूरक 1,38.00}			
	₹ 57.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
14.	107 चारा तथा चारागाह विकास 01 चारा और खाद्य विकास (गैर-योजना)			
	मूल 1,19.13}	75.03	75.03
	पुनर्वि० -44.10}			
	₹ 29.53 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एवं ₹ 14.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
15.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,55.00	1,22.87	-1,32.13
16.	05 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	73.49	-26.51
17.	19 पशु स्वास्थ्य एवं पशु उत्पादन संस्थान की सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	36.67	- 1,63.33
18.	24 अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (योजना)			
	मूल 2,38.00}	2,38.00	98.50	-1,39.50

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	34 बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,00.81	-49.19
20.	36 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 3,44.00}	3,44.00	2,30.04	-1,13.96

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

21.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 08 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 69.52}	34.14	34.14
	पुनर्वि० -35.38}			

₹ 0.76 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एवं ₹ 34.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2403 पशुपालन 101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 01 पशु चेचक नियंत्रण की योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 42.00}
	पुनर्वि० -42.00}			

सी०ओ०बी०टी० के अनुसार उप शीर्ष का अस्तित्व नहीं रहने के कारण ₹ 42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	102 पशु तथा भैंस विकास 04 झारखण्ड स्टेट इम्प्लेमेंटिंग एजेन्सी फॉर कैटल एवं बुफैलो डेवलपमेंट हेतु (योजना)			
	मूल 1,00.00}			
	पुनर्वि० -65.00}	35.00	-35.00

₹ 65.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	32 परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 25.00}			
	पुनर्वि० -10.68}	14.32	-14.32

₹ 10.68 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 14.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

4.	106 अन्य पशुधन विकास 06 भेटनरी परिषद को सहायक अनुदान (केन्द्रांश 50%) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15.00}			
	अनुपूरक 15.00}	15.00	-15.00
	पुनर्वि० -15.00}			

₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत भेटनरी बोर्ड में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस शीर्ष से वेतन का मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	08 गौ सेवा आयोग को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}			
	अनुपूरक 1,50.00}	1,50.00	-1,50.00
	पुनर्वि० -1,50.00}			
<p>₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभागीय प्राधिकृत समिति की बैठक में सदस्य, वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस शीर्ष पर आपत्ति उठाये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	09 पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 15.00}			
	अनुपूरक 15.00}	15.00	-15.00
	पुनर्वि० -15.00}			
<p>₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	109 प्रसार एवं प्रशिक्षण 33 पारा भेटनरी प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00
8.	34 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	01 जनगणना			
	001 निदेशन और प्रशासन			
9.	03 पशु गणना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 56.00}	51.00	...	-51.00
	पुनर्वि० -5.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में, ₹ 40.00 लाख, ₹ 40.00 लाख एवं ₹ 56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2216	आवास		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व:

मूल	71,58,52}	82,63,02	78,36,42	-4,26,60
अनुपूरक	11,04,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 3,96,43

पूंजी:

मूल	75,70,00}	75,70,00	49,57,57	-26,12,43
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 25,63,93

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 4,26.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 45.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 9,38.68 लाख) और मार्च 2012 (₹ 1,20.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,04.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,96.43 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,26.60 लाख) से ₹ 30.17 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन, 04 भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,01.92 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 22,90.33 लाख के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 2,97.49}	2,31.98	2,23.74	-8.24
	अनुपूरक 15.00} पुनर्वि० -80.51}			
2.	051 निर्माण 03 राजकीय राजधानी संबंधी रिजर्व (स्थापना दिवस समारोह सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 33.00} पुनर्वि० -25.18}	7.82	7.82	...
3.	053 रखरखाव तथा मरम्मत 06 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (गैर-योजना)			
	मूल 30.00} पुनर्वि० -29.66}	0.34	0.34	...
4.	2216 आवास 05 साधारण पूल आवास 053 रखरखाव तथा मरम्मत 03 लोक निर्माण-राज्य में लोक निर्माण भवन सम्बन्धी लघु निर्माण (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00} पुनर्वि० -57.89}	2,42.11	2,42.11	...

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 80.51 लाख, ₹ 25.18 लाख, ₹ 29.66 लाख और ₹ 57.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

पूँजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 25,63.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 26,12.43 लाख) से ₹ 48.50 लाख कम था।

(v) शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 06-जिला मुख्यालय में विभिन्न कोर्ट भवन/आवास का निर्माण इत्यादि (योजना) के अन्तर्गत ₹ 91.75 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 10,12.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण 40 आयुक्त-सह-आरक्षी उप-महानिरीक्षक कार्यालय डालटेनगंज/अनुमंडल कार्यालय महुआटांड/कार्यपालक अभियंता भवन, रामगढ़, बोकारो, लातेहार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं जिला मुख्यालय में रजिस्ट्रार कार्यालय (योजना)			
	मूल 3,65.00}	47.39	44.75	-2.64
	पुनर्वि० -3,17.61}			
₹ 3,20.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	43 रामगढ़ में न्यायिक पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ए,बी,सी,डी, टाईप आवास/22 कोर्ट रामगढ़/ जिला मुख्यालयों में सेवा सदन आदि (योजना)			
	मूल 3,81.00}	1,95.03	1,94.96	-0.07
	पुनर्वि० -1,85.97}			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	46 विभिन्न स्थानों में परिसदन भवन/8 कमरा/30 कमरा रेस्ट हाउस एवं अन्य (योजना)			
	मूल 2,00.00}	71.69	71.69
	पुनर्वि० -1,28.31}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 07 जिला गेस्ट हाउस/ अन्य परिसदन (योजना)			
	मूल 1,40.00}	66.40	66.40
	पुनर्वि० -73.60}			
5.	39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 40.00}	6.62	6.62
	पुनर्वि० -33.38}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,85.97 लाख, ₹ 1,28.31 लाख, ₹ 73.60 लाख एवं ₹ 33.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	40 झारखंड विधान सभा में सिटिंग ऐरेंजमेंट/अनुमंडल कार्यालय, सिमडेगा, राजमहल, खूँटी/सरायकेला में कार्यपालक अभियंता कार्यालय/दुमका एवं पाकुड़ में समाहरणालय भवन का निर्माण आदि (योजना)			
	मूल 3,75.00}	99.51	1,02.51	+3.00
	पुनर्वि० -2,75.49}			

₹ 2,72.49 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	41 सरायकेला में परिसदन भवन का निर्माण एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 44.00}	15.00	15.00
	पुनर्वि० -29.00}			
₹ 29.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	42 राँची में माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों हेतु 8 आवास/ पाकुड़ में 8 पी०ओ० आवास/ पोरहाट, चक्रधरपुर में न्यायिक भवन/दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्माण आदि (योजना)			
	मूल 4,88.00}	1,41.55	1,46.13	+ 4.58
	पुनर्वि० -3,46.45}			
₹ 3,41.87 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	47 समाहरणालय राँची/खूँटी/ अनुमंडल कार्यालय, जगरनाथपुर/ आयुक्त कार्यालय, चाईबासा/ विधान सभा में निर्माण/कार्यपालक अभियंता भवन, सिमडेगा एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 14,95.00}	13,20.64	13,20.39	-0.25
	पुनर्वि० -1,74.36}			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सरकारी रिहायशी भवन			
	700 अन्य आवास			
10.	07 चतरा एवं लातेहार में डी.डी.सी. आवास/ अपर समादेष्टा आवास/ रंका एवं महुआटाँड में एस.डी.ओ. आवास/डी.एस.पी.आवास इत्यादि (योजना)			
	मूल 1,15.00}	11.42	11.42
	पुनर्वि० -1,03.58}			
11.	09 आयुक्त आवास रामगढ़ एवं अन्य आवासीय भवन (योजना)			
	मूल 2,20.00}	1,28.80	1,28.80
	पुनर्वि० -91.20}			
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	05 राजधानी, राँची में माननीय मंत्री, एम.एल.ए. के लिए आवास, खूँटी, सिमडेगा, राजमहल में अनुमंडल पदाधिकारी आवास, राजधानी, उप राजधानी, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल मुख्यालय में आवास (योजना)			
	मूल 6,83.00}	2,02.01	2,02.01
	पुनर्वि० -4,80.99}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,74.36 लाख, ₹ 1,03.58 लाख, ₹ 91.20 लाख और ₹ 4,80.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	08 गुमला, राँची, जमशेदपुर में ए,बी,सी,डी एवं ई टाईप आवास का निर्माण तथा मुख्यमंत्री आवास में हैलिपैड का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,85.00}	2,23.72	1,82.96	-40.76
	पुनर्वि० -1,61.28}			

₹ 2,02.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01 कार्यालय भवन			
051 निर्माण			
39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट भवन से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (के०प्रा०यो०)			
मूल 30.00}
पुनर्वि० -30.00}			

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2013 मंत्रिपरिषद			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			

राजस्व:

मूल	21,11,29}	31,34,14	20,54,57	-10,79,57
अनुपूरक	10,22,85}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(12 अगस्त 2011	:	58,10		
31 मार्च 2012	:	9,96,25)		10,54,35

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 10,79.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 4,61.83 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 5,29.58 लाख) एवं मार्च 2012(₹ 31.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,22.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,54.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,79.57 लाख) से ₹ 25.22 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2013 मंत्रिपरिषद			
	101 मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन			
1.	01 मंत्रिगण (गैर-योजना)			
	मूल	4,96.30}	6,24.63	6,10.48
	अनुपूरक	2,26,04}		-14.15
	पुनर्वि०	-97.71}		

₹ 97.71 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी। ₹ 14.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 01 मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय) (गैर-योजना)			
	मूल 3,40.50}	2,08.87	2,08.86	-0.01
	अनुपूरक 49.91}			
	पुनर्वि० -1,81.54}			
	₹ 1,81.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
3.	24 मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)			
	मूल 4,07.76}	3,23.86	3,21.09	-2.77
	अनुपूरक 51.43}			
	पुनर्वि० -1,35.33}			
	₹ 1,35.33 लाख की प्रत्याशित बचत (i)आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों (₹ 77.23 लाख) एवं (ii) मुख्य सचिव, सचिवालय के स्थापना का विभागीय स्थापना से अलग किए जाने (₹ 58.10 लाख) के कारण हुई थी।			
4.	25 मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 1,13.93}	54.34	54.34
	पुनर्वि० -59.59}			
	₹ 59.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 01 राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.05}	74.47	74.47	...
	पुनर्वि० -1,25.58}			
₹ 1,25.58 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।				
6.	02 झारखण्ड भवन-स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 4,58.12}	4,01.09	3,54.87	-46.22
	अनुपूरक 44.00}			
	पुनर्वि० -1,01.03}			
₹ 1,47.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	800 अन्य व्यय 11 झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)			
	मूल 11.00}	1,15.83	1,14.19	-1.64
	अनुपूरक 4,00.00}			
	पुनर्वि० -2,95.17}			
₹ 2,95.17 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।				
8.	2205 कला एवं संस्कृति 104 अभिलेखागार 01 अभिलेखागार (गैर-योजना)			
	मूल 57.51}	46.32	46.32	...
	पुनर्वि० -11.19}			

₹ 11.19 लाख की प्रत्याशित बचत अभिलेखागार में पदस्थापित कर्मचारियों का बिहार संवर्ग में किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2013 मंत्रिपरिषद			
108 दौरा खर्च			
01 मंत्रिगण का यात्रा व्यय (गैर-योजना)			
मूल 47.00}	1,37.64	1,73.51	+35.87
अनुपूरक 1,24.51}			
पुनर्वि० -33.87}			

₹ 33.87 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी। ₹ 35.87 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			

राजस्व:

मूल	6,18,85}	7,06,61	5,89,99	-1,16,62
अनुपूरक	87,76}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012) 1,30,67

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,16.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 47.76 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 87.76 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,30.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,16.62 लाख) से ₹ 14.05 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	102 वैवेकिक अनुदान			
1.	01 वैवेकिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल			
	20.00}			
	अनुपूरक			
	10.00}	20.59	18.09	-2.50
	पुनर्वि०			
	-9.41}			

विनियोग संख्या - 5 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	103 पारिवारिक स्थापना 01 राज्यपाल का घरेलू स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,62.08}			
	पुनर्वि० -20.61}	1,41.47	1,17.35	-24.12
3.	05 बाग एवं उद्यान (गैर-योजना)			
	मूल 52.52}			
	पुनर्वि० -23.64}	28.88	24.27	-4.61

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 11.91 लाख, ₹ 44.73 लाख एवं ₹ 28.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
107 संविदा भत्ता से व्यय			
01 घरेलू व्यय (गैर-योजना)			
मूल 3.64}	3.64	15.10	+11.46

₹ 11.46 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

विनियोग संख्या - 5 - क्रमांत

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
090 सचिवालय			
01 सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)			
मूल 2,94.07}			
अनुपूरक 48.00}	2,83.93	3,18.55	+34.62
पुनर्वि० -58.14}			

₹ 58.14 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 34.62 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2015 निर्वाचन				
राजस्व:				
मूल	19,52,58}	31,61,61	28,16,20	-3,45,41
अनुपूरक	12,09,03}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 3,23,13

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 3,45.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 3,59.98 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 8,49.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,09.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,23.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,45.41 लाख) से ₹ 22.28 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 105-संसद का चुनाव कराने के लिए प्रभार, 02-लोक सभा का उप निर्वाचन (गैर-योजना) के अंतर्गत ₹ 29.77 लाख की बचत, जो कि ₹ 3,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	102 निर्वाचन अधिकारी 01 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (गैर-योजना)	4,49.52	4,49.55	+0.03
	मूल 5,45.50}			
	पुनर्वि० -95.98}			

₹ 95.95 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	106	राज्य/संघ राज्य के क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	03	राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन (गैर-योजना)			
	मूल	0.02}	1,00.00	88.89	-11.11
	अनुपूरक	88.38}			
	पुनर्वि०	-11.60}			

24-माण्डु उप चुनाव 2011 हेतु अपर्याप्त निधि रहने के कारण ₹ 12.00 लाख के पुनर्विनियोग के द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 11.11 लाख के अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2012)।

3.	108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
	01	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (गैर-योजना)			
	मूल	10,05.00}	13,48.13	13,51.13	+3.00
	अनुपूरक	4,50.00}			
	पुनर्वि०	-1,06.87}			

₹ 1,06.87 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3.00 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2012)।

4.	02	मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल	4,02.00}	2,98.31	2,86.45	-11.86
	पुनर्वि०	-1,03.69}			

₹ 12.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 91.69 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 11.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व:				
मूल	10,86,72}	11,39,52	10,94,84	-44,68
अनुपूरक	52,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				42,33

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 44.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 10.50 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 8.30 लाख) और मार्च 2012 (₹ 34.00 लाख) में प्राप्त किया गया 52.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) शीर्ष 104-सतर्कता, 04-अन्वेषण ब्यूरो (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 17.81 लाख की कुल बचत, जो ₹ 8,36.61 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
104 सतर्कता				
02 मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग (गैर-योजना)				
मूल	1,15.67}	1,01.21	1,01.21
पुनर्वि०	-14.46}			

₹ 14.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति होने तथा कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने (₹ 12.68 लाख) के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 8 - नागर विमानन विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3053	नागर विमानन			
राजस्व:				
मूल	70,58,84}	70,63,49	66,93,81	-3,69,68
अनुपूरक	4,65}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				3,69,68

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 3,69.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 4.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) शीर्ष 3053-नागर विमानन, 80-सामान्य, 02-नागर विमानन प्राधिकार को सहायक अनुदान के अन्तर्गत ₹ 3,59.40 लाख की प्रत्याशित बचत हुई, जो कि ₹ 60,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2425	सहकारिता			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425	सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:				
मूल	74,51,69}	1,53,89,41	1,39,72,75	- 14,16,66
अनुपूरक	79,37,72}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,09,40
(27 फरवरी 2012 : 8,09,69				
31 मार्च 2012 : 5,99,71)				
पूंजी :				
मूल	11,30,30}	47,34,33	46,02,93	- 1,31,40
अनुपूरक	36,04,03}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,31,40
(27 फरवरी 2012 : 1,22,28				
31 मार्च 2012 : 9,12)				
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i) ₹ 14,16.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 40,31.79 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 9,76.38 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 29,29.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 79,37.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,09.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,16.66 लाख) से ₹ 7.26 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 सहकारिता 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,05.52 } पुनर्वि० -20.23 }	85.29	85.14	-0.15
2.	101 सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा 01 अंकेक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 7,67.79 } अनुपूरक 3,48.75 } पुनर्वि० -3,28.69 }	7,87.85	7,89.21	+1.36
3.	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 10 सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 } पुनर्वि० -50.13 }	49.87	49.87	...
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 45 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार सहयोग समितियों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 58.00 } पुनर्वि० -38.00 }	20.00	20.00	...

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 10	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)		
	मूल	1,50.00}	81.38	81.38
	पुनर्वि०	-68.62}		...

उपर्युक्त पांच मामलों में ₹ 20.23 लाख, ₹ 3,28.69 लाख, ₹ 50.13 लाख, ₹ 38.00 लाख एवं ₹ 68.62 लाख की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या 2 में ₹ 1.36 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 107 22	सहकारिता क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता (योजना)		
	मूल	70.00}
	पुनर्वि०	-70.00}		...
2.	44	लाह परिष्करण पर आधारित औद्योगिक समिति (योजना)		
	मूल	30.00}
	पुनर्वि०	-30.00}		...
3.	45	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समितियों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण (योजना)		
	मूल	1,00.00}
	पुनर्वि०	-1,00.00}		...

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	48 कार्यरत सहकारी उपभोक्ता भण्डार सहयोग समितियों के कार्यबल वृद्धि हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}
	पुनर्वि० -60.00}			
5.	55 लाह की खेती के लिए अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 22 सहकारी समितियों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
7.	44 लाह परिष्करण पर आधारित औद्योगिक समिति (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
8.	48 कार्यरत सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समितियों के कार्यबल वृद्धि हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	55 लाह की खेती के लिए अनुदान (योजना)			
	अनुपुरक 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
10.	796 जन-जातीय क्षेत्र उपयोगना 22 सहकारी समितियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
11.	43 खनन, लौह अयस्क पर आधारित सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
12.	45 लाह परिष्करण पर आधारित औद्योगिक सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
13.	52 मुख्यालय स्तर पर संयुक्त सहकारी भवन निर्माण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	54	कार्यरत सहकारी उपभोक्ता भंडार सहयोग समितियों के कार्यबल वृद्धि हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	90.00}
	पुनर्वि०	-90.00}		..
15.	55	लाह की खेती के लिए अनुदान (योजना)		
	अनुपूरक	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		..

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूंजी :

(v) ₹ 1,31.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 36,04.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	10	सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी अंशदान (योजना)		
	मूल	40.00}	22.00	21.96
	पुनर्वि०	-18.00}		-0.04

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	6425 सहकारिता के लिए उधार	31.25	31.25	...
	108 अन्य सहकारी समितियों को उधार			
	02 एन.सी.डी.सी. सम्पोषित स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)	31.25	31.25	...
	मूल 41.25}			
	पुनर्वि० -10.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5.30	5.30	...
	02 एन.सी.डी.सी. सम्पोषित स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)			
	मूल 25.30}			
	पुनर्वि० -20.00}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	57.47	57.47	...
	02 एन.सी.डी.सी. सम्पोषित स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए ऋण (योजना)			
	मूल 68.75}			
	पुनर्वि० -11.28}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 18.00 लाख, ₹ 10.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 11.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय		
	107	सहकारी समितियों में निवेश		
	10	झारखण्ड राज्य सहकारी श्रमिक संघ के लिए हिस्सा-पूंजी (योजना)		
	मूल	15.00}
	पुनर्वि०	-15.00}		
2.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	07	झारखण्ड राज्य सहकारी श्रमिक संघ के लिए हिस्सा-पूंजी (योजना)		
		मूल	10.00}	...
	पुनर्वि०	-10.00}		
3.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	08	झारखण्ड राज्य श्रमिक संघ के लिए हिस्सा-पूंजी (योजना)		
		मूल	25.00}	...
	पुनर्वि०	-25.00}		

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 15.00 लाख, ₹ 10.00 लाख एवं ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2059 लोक निर्माण-कार्य			
2801 बिजली			
2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	10,74,18,31}	10,76,98,81	8,76,88,73	-2,00,10,08
अनुपूरक	2,80,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31मार्च 2012) 2,00,62,71

पूंजी :

मूल	12,95,00,00}	12,95,00,00	1,64,94,69	-11,30,05,31
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 11,30,05,31

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 2,00,10.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 1,90.50 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 15.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 75.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,80.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,00,62.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,00,10.08 लाख) से ₹ 52.63 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2059 लोक निर्माण कार्य	99.64	89.07	-10.57
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	08 विद्युत निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,17.56}			
	अनुपूरक 3.00}			
	पुनर्वि० -20.92}			

₹ 20.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों एवं छोटे वेतन आयोग में कोयलकारों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किए जाने (₹ 17.48 लाख) एवं आर्थिक मितव्ययिता बरते जाने (₹ 1.86 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 10.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	10 विद्युत कार्य निष्पादन (गैर-योजना)	14,42.36	15,11.28	+68.92
	मूल 15,07.00}			
	अनुपूरक 2,65.00}			
	पुनर्वि० -3,29.64}			

₹ 3,29.64 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानान्तरण, सेवानिवृति एवं मृत्यु के संबंध में आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं विपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई थी। ₹ 68.92 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2801 बिजली			
	01 हाइडल उत्पादन			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (योजना)			
	मूल 9,90.00 }
	पुनर्वि० -9,90.00 }			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु (योजना)			
	मूल 38,50.00 }
	पुनर्वि० -38,50.00 }			
3.	800 अन्य व्यय			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 61,60.00 }
	पुनर्वि० -61,60.00 }			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	02 ताप विद्युत उत्पादन			
	800 अन्य व्यय			
4.	01 तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को इक्वीटी (अनुदान) (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
5.	07 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) जे०एस०ई०बी० के उत्तरवर्ती कंपनी के सहायतार्थ अनुदान (योजना)			
	मूल 1,30,00.00}
	पुनर्वि० -1,30,00.00}			
6.	08 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) एनर्जी एफिशिएन्सी कन्जरवेशन/ परामर्शी एवं अन्य कार्य अनुदान (योजना)			
	मूल 4,50.00}
	पुनर्वि० -4,50.00}			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	09 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीकी सहित) राज्य सड़क डिस्पैच सेन्टर हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}
	पुनर्वि० -10,00.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
1.	01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 5,85.00}	3,35.00	3,35.00	...
	पुनर्वि० -2,50.00}			

₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रवधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	03 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु उधार (योजना)			
	मूल 13,50.00}	24.18	24.18	...
	पुनर्वि० -13,25.82}			

₹ 13,25.82 लाख की प्रत्याशित बचत संचार योजना हेतु संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

3.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 22,75.00}	13,05.00	13,05.00	...
	पुनर्वि० -9,70.00}			

₹ 9,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

4.	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 52,50.00}	94.04	94.04	...
	पुनर्वि० -51,55.96}			

₹ 51,55.96 लाख की प्रत्याशित बचत संचार योजना हेतु संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

5.	800 विद्युत बोर्ड को अन्य कर्ज 01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 36,40.00}	20,86.00	20,86.00	...
	पुनर्वि० -15,54.00}			

₹ 15,54.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (पावर बॉन्ड पर ब्याज) (योजना)			
	मूल 84,00.00}	1,50.47	1,50.47	...
	पुनर्वि० -82,49.53}			

₹ 82,49.53 लाख की प्रत्याशित बचत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 06 झारखंड राज्य जल विद्युत हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 45.00}
	पुनर्वि० -45.00}			

जल विद्युत निगम का बँटवारा नहीं होने के कारण ₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	07 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 40,50.00}
	पुनर्वि० -40,50.00}			

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 06 झारखंड राज्य जल विद्युत हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 1,75.00}
	पुनर्वि० -1,75.00}			
जल विद्युत निगम का बँटवारा नहीं होने के कारण ₹ 1,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	07 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 1,57,50.00}
	पुनर्वि० -1,57,50.00}			
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,57,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	800 विद्युत बोर्ड को अन्य कर्ज 05 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उत्पादन हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 1,50,00.00}
	पुनर्वि० -1,50,00.00}			
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	06 झारखंड राज्य जल विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 2,80.00}
	पुनर्वि० -2,80.00}			
जल विद्युत निगम का बँटवारा नहीं होने के कारण ₹ 2,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	07 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 2,52,00.00}
	पुनर्वि० -2,52,00.00}			
<p>झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,52,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
8.	12 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का उत्पादन हेतु ऋण (पी.टी.पी.एस. का आर. एण्ड एम. और एस.आर.एच.पी. का आर. एण्ड एम. सिक्किदरी (योजना)			
	मूल 3,50,00.00}
	पुनर्वि० -3,50,00.00}			

तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं झारखण्ड बोर्ड से डी.पी.आर. प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
7475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	17,42,03}	18,78,88	16,39,13	-2,39,75
अनुपूरक	1,36,85}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 2,38,27

पूँजी :

मूल	शून्य}	15,00,01	5,00,00	-10,00,01
अनुपूरक	15,00,01}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

राजस्व :

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 2,39.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 (₹ 66.85 लाख) और मार्च 2012 (₹ 70.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,36.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2039 राज्य उत्पाद शुल्क	13,23.15	13,39.92	+16.77
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 14,16.71}			
	अनुपूरक 1,31.00}			
	पुनर्वि० -2,24.56}			

₹ 2,24.56 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 16.77 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं	43.74	43.74
	092 अन्य कार्यालय			
	07 स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 54.24}			
	अनुपूरक 3.85}			
	पुनर्वि० -14.35}			

₹ 14.35 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(iii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज			
102 व्यापारिक संस्थाएं			
01 झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण			
अनुपूरक 10,00.01 }	10,00.01	...	-10,00.01

₹ 10,00.01 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
7810 अन्तर्राज्यीय परिशोधन			

राजस्व:

मूल	42,45,70}	47,07,16	37,01,09	-10,06,07
अनुपूरक	4,61,46}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 9,04,66

पूंजी :

मूल	13,59,65}	1,00,30,47	93,50,97	-6,79,50
अनुपूरक	86,70,82}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 6,46,45

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 10,06.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 4,21.20 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 10.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 30.26 लाख) का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,04.66 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,06.07 लाख) से ₹ 1,01.41 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 08 वित्त विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 7,78.34}			
	अनुपूरक 5.00}	6,64.77	6,64.12	-0.65
	पुनर्वि० -1,18.57}			

₹ 1,41.57 लाख की प्रत्याशित बचत एवं 23.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि क्रमशः कर्मचारियों का झारखण्ड से बिहार राज्य में स्थानान्तरण एवं ब्रीफकेस, लंच, टेन्ट सेतु प्रिन्टर से मुद्रण आदि पर अतिरिक्त व्यय के लिए बिल का भुगतान किये जाने के कारण हुई थी।

2.	34 वित्त (राजकोषीय नीति एवं विश्लेषण कक्ष) विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 30.00}	1.60	1.76	+0.16
	पुनर्वि० -28.40}			

₹ 28.24 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	092 अन्य कार्यालय 05 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 48.78}	18.18	18.18	...
	अनुपूरक 1.32}			
	पुनर्वि० -31.92}			

₹ 31.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यालय में प्रतिनियुक्त वरीय अंकेक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान प्रमण्डल कार्यालय, धुर्वा से होने के कारण हुई थी।

4.	06 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 10,81.57}	6,98.11	6,98.24	+0.13
	अनुपूरक 10.00}			
	पुनर्वि० -3,93.46}			

₹ 3,93.46 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 भविष्य निधि लेखा का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 3,56.73 } पुनर्वि० -94.40 }	2,62.33	2,62.17	-0.16
₹ 94.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	097 खजाना स्थापना 01 कोषागार एवं अन्य उप कोषागार (गैर-योजना)			
	मूल 9,63.31 } अनुपूरक 4,02.54 } पुनर्वि० -1,28.65 }	12,37.20	9,84.31	-2,52.89
₹ 23.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, सूचना प्राद्यौगिकी विभाग द्वारा कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को निष्पादित कराने के कारण हुई थी। ₹ 1,05.65 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,52.89 लाख के अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 01 स्थानीय निधि अंकक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 4,62.64 }	4,62.64	3,74.38	-88.26
₹ 88.26 लाख के अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	2058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण 103 सरकारी मुद्रणालय 02 झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,89.87 } पुनर्वि० -27.66 }	1,62.21	1,62.21	...
₹ 27.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	2070 अन्य प्राशासनिक सेवाएँ 800 अन्य व्यय 08 विविध तथा आकस्मिक व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	26.48	26.48	...
	पुनर्वि० -23.52}			

₹ 23.52 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं किए जाने के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती निम्नलिखित मामलों में अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 10 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (गैर-योजना)			
मूल 53.64}	39.92	2,79.20	+2,39.28
अनुपूरक 27.60}			
पुनर्वि० -41.32}			

₹ 41.32 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,39.28 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) ₹ 6,79.50 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 50,00.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 12,50.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 24,20.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 86,70.81 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,46.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,79.50 लाख) से ₹ 33.05 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 201 भवन निर्माण अग्रिम 01 सरकारी सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 8,00.00}	14,96.29	14,82.05	-14.24
	अनुपूरक 12,00.00}			
	पुनर्वि० -5,03.71}			
₹ 5,17.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम 01 सरकारी सेवकों को मोटर वाहन खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,74.00	1,74.00	...
	पुनर्वि० -26.00}			
₹ 26.00 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	02 सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	70.26	60.96	-9.30
	अनुपूरक 50.00}			
	पुनर्वि० -29.74}			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	04 विधान मंडल के सदस्यों को मोटर-वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}			
	अनुपूरक 20.00}	1,03.00	93.49	-9.51
	पुनर्वि० -17.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 39.04 लाख एवं ₹ 26.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
	201 भवन निर्माण अग्रिम			
1.	02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गृह-निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
2.	202 मोटर-वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम			
	03 मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**विनियोग संख्या - 13 - ब्याज संदाय
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2049 ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	23,94,86,66}	24,04,12,34	22,67,07,67
अनुपूरक	9,25,68}		-1,37,04,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			33,11,57

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,37,04.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 1.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 9,24.67 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,25.68 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 33,11.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,37,04.67 लाख) से ₹ 1,03,93.10 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज, 11-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज (आर.इ.सी.) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,16.21 लाख की बचत, जो कि ₹ 82,48.74 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
	200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज			
1.	02 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गये कर्जे पर ब्याज- आर०आई०डी०एफ० आई०एक्स० (गैर-योजना)			
	मूल	1,14,00.00}	99,30.36	99,30.36
	पुनर्वि०	-14,69.64}		...

₹ 11,84.64 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,85.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती क्रमशः कम भुगतान एवं 13वें वित्त आयोग के निधि का हस्तांतरण में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	10 पावर बॉर्ड-ब्याज भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 1,56,42.82}	1,56,42.82	94,39.64	-62,03.18
	पुनर्वि० -7,38.19}			
	₹ 62,03.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
3.	12 दीनदयाल आवास योजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 28,00.00}	20,61.81	15,37.47	-5,24.34
	पुनर्वि० -7,38.19}			
	₹ 7,38.19 लाख की प्रत्याशित बचत कम भुगतान के कारण हुई थी। ₹ 5,24.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों का सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
4.	02 ए०आई०एस० भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 66,03.33}	66,03.33	1,40.06	-64,63.27
	108 बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज			
5.	03 पेंशन निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	77.42	-1,22.58

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
6.	04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
	02	1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज से ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	2,22,12.00}	2,22,12.00	1,60,61.70	-61,50.30
7.	103	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
	01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)			
		मूल	1,98.50}	1,98.50	1,37.31
8.	104	योजनेत्तर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
	03	अन्य गैर-योजना मद में प्राप्त कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)			
		मूल	5,06.12}	5,06.12	3,66.58
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					
9.	60	अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701	विविध			
	03	अन्य विविध न्याय के आलोक में ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	48.96	36.60	-12.36
	पुनर्वि०	-51.04}			

₹ 51.04 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 12.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
	200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज		
	07	राष्ट्रीय बीमा निगम से लिए गये कर्जे पर ब्याज		
		मूल 15.00}		
	अनुपूरक 1,44.00}
	पुनर्वि० -1,59.00}			
कम भुगतान होने के कारण ₹ 1,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	305	ऋण प्रबन्ध		
	02	नवीन ऋणों से सम्बन्धित ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
3.	60	अन्य दायित्वों पर ब्याज		
	701	विविध		
	04	बिक्री-कर वापसी के मामलों में देय ब्याज (गैर-योजना)		
		मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,00.00 लाख और ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

(v) शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, 01-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,16.09 लाख, की बचत, जो कि ₹ 9,77,50.63 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	01	आंतरिक ऋण पर ब्याज			
	101	बाजार कर्जों पर ब्याज			
	01	राज्य विकास ऋण पर ब्याज (ब्याजदेय) (गैर-योजना)			
	मूल	5,60,91.31}	5,60,91.31	6,18,64.81	+57,73.50
2.	305	ऋण प्रबन्ध			
	01	पुराने ऋणों से सम्बन्धित व्यय (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,00.00	1,92.14	+92.14
3.	03	अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
	01	साधारण भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	1,32,00.00}	1,32,00.00	1,53,59.07	+21,59.07

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 57,73.50 लाख, ₹ 92.14 लाख एवं ₹ 21,59.07 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 13 - क्रमांत

(vi) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज			
08 आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गये कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)			
मूल	45,00.00}	38,97.59	44,21.93
पुनर्वि०	-6,02.41}		+5,24.34

₹ 6,02.41 लाख की प्रत्याशित बचत कम भुगतान होने के कारण हुई थी। ₹ 5,24.34 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**विनियोग संख्या - 14 - ऋण की वापसी/अदायगी
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			

पूंजी :

मूल	14,03,18,10}	14,19,46,16	16,39,01,88	+2,19,55,72
अनुपूरक	16,28,06}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 17,15,76

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) विनियोग से ₹ 2,19,55,72,490 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 2,19,55.72 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 16,28.06 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा प्रत्याशित बचत के रूप में 31 मार्च 2012 को किया गया ₹ 17,15.76 लाख का प्रत्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
- (iii) शीर्ष 6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 101-बाजार कर्जे, 17-8% झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2012 (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,00.00 लाख का अधिक व्यय, जो ₹ 96,76.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
	111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ			
1.	01 राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (गैर-योजना)			
	मूल	2,11,00.00}	2,11,00.00	3,54,24.25
				+1,43,24.25

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
	03	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
	800	अन्य कर्जे			
	02	अन्य कर्जे (गैर-योजना)			
	मूल	21.17}	21.17	1,21.19	+1,00.02
3.	04	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज			
	800	अन्य कर्जे			
	01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज (गैर-योजना)			
	मूल	1,04.92}	1,04.92	14,64.77	+13,59.85

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,43,24.25 लाख, ₹ 1,00.02 लाख एवं ₹ 13,59.85 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
	101	बाजार कर्जे		
	30	10.35 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2011 (गैर-योजना)		
	...	1,20,12.50	...	+1,20,12.50

शीर्ष 101-बाजार कर्जे, 16-8.30% झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2012 के अन्तर्गत गलत बजट प्रावधान किया गया था। इसलिए बिना बजट प्रावधान का व्यय किया गया।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	110	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम		
2.	00	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (गैर-योजना)		
	...	77.94.00	...	+77,94.00

₹ 77,94.00 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(v) शीर्ष 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 109 अन्य संस्थाओं से कर्ज, 01-हुडको से ऋण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,65.40 लाख की बचत, जो ₹ 1,10,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
109	अन्य संस्थाओं से कर्ज		
08	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० (आर०ई०सी०) (गैर-योजना)		
मूल	50,00.00}	39,18.90	...
मूल	-10,81.10}		

₹ 10,81.10 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिकर बॉण्ड, आर०ई०सी० एवं राष्ट्रीय बीमा निगम से आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
	101	बाजार कर्ज		
1.	02	ब्याज रहित बाजार कर्ज (गैर-योजना)		
	मूल	39.95}	39.95	...
				-39.95

₹ 39.95 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	16 8.30% झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2012 (गैर-योजना)			
	मूल 1,20,12.50}	1,20,12.50	...	-1,20,12.50

₹ 1,20,12.50 लाख की बचत गलती से 10.35% झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2011 के बदले इस शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।

3.	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज 07 राष्ट्रीय बीमा निगम से लिए गये कर्जे (गैर-योजना)			
	मूल 69.25}			
	पुनर्वि० -69.25}

प्रतिकर बॉण्ड, आर०ई०सी० एवं राष्ट्रीय बीमा निगम से आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 69.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

(vii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
106 प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र			
02 जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध-पत्र (गैर-योजना)			
मूल 3,00.00}	...	24.16	+24.16
पुनर्वि० -3,00.00}			

प्रतिकर बॉण्ड, आर०ई०सी० एवं राष्ट्रीय बीमा निगम से आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹ 24.16 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 15 - पेंशन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
राजस्व :				
मूल	20,96,08,80}	20,96,08,80	22,96,68,70	+2,00,59,90
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012) 2,16,19

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) अनुदान से ₹ 2,00,59,90,088 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 2,00,59.90 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, 31 मार्च 2012 को प्रत्याशित बचत के रूप में ₹ 2,16.19 लाख का प्रत्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
- (iii) शीर्ष 01-सिविल, 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, 05 - 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पाने वालों को भुगतान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,56,72 लाख का अधिक व्यय जो कि ₹ 7,98,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01 सिविल			
	102 पेंशन का संश्लिष्ट मूल्य			
1.	03 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)			
	मूल	10.00}	10.00	6,51.74
				+6,41.74

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	04 15.11.2000 के बाद के पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)			
	मूल 81,90.00}	81,90.00	1,41,77.98	+59,87.98
3.	104 उपदान 03 15.11.2000 के पूर्व का उपदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	1,47,26.98	+1,46,26.98
4.	04 15.11.2000 के बाद का उपदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,64,00.00}	1,64,00.00	1,82,11.52	+18,11.52
5.	105 परिवार पेंशन 03 1984 दंगा में पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान करना (गैर-योजना)			
	मूल 7.80}	7.80	13,91.04	+13,83.24
6.	05 15.11.2000 के बाद का परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	59,94.59	+19,94.59

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	115 02	छुट्टी नकदीकरण हितलाभ 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)		
	मूल	5,00.00}	5,00.00	22,97.40
				+17,97.40

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) शीर्ष 01-सिविल, 101अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, 08-पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,34.20 लाख की बचत जो ₹ 1,50,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे उपर्युक्त टिप्पणी (iii) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01 101 07	सिविल अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के पूर्व का बकाया पेंशन का भुगतान (गैर-योजना)		
	मूल	1,00,00.00}	1,00,00.00	77,19.69
				-22,80.31
2.	105 04	परिवार पेंशन 15.11.2000 के पूर्व का परिवार पेंशन (गैर-योजना)		
	मूल	5,00.00}	5,00.00	3,55.81
				-1,44.49
3.	111 02	विधायकों को पेंशन विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन (गैर-योजना)		
	मूल	5,00.00}	5,00.00	27.83
				-4,72.17

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	03 विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	1,35.56	-13,64.44
5.	115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ 03 15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)			
	मूल 1,15,00.00}	1,15,00.00	1,01,73.35	-13,26.65
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	117 अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 03 भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (गैर -योजना)			
	मूल 77,00.00} पुनर्वि० -2,16.19}	74,83.81	58,98.25	-15,85.56

₹ 18,01.75 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
01 सिविल			
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
02 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)			
मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 16 - राष्ट्रीय बचत
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,55,62}	2,77,15	2,37,18	-39,97
अनुपूरक	21,53}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				40,21

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 39.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 9.60 लाख) और दिसम्बर 2011 (₹ 11.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21.53 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 40.21 लाख), अंतिम बचत (₹ 39.97 लाख) से ₹ 0.24 लाख अधिक था।
- (iii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 01 मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	37.37}	36.91	36.91
	अनुपूरक	13.30}		...
	पुनर्वि०	-13.76}		

₹ 13.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) संयुक्त निदेशक की पदस्थापना नहीं होने एवं सहायक की सेवा निवृत्ति होने (₹ 6.48 लाख), (ii) नियमानुसार निविदा प्राप्त न होने (₹ 2.00 लाख), (iii) संस्वीकृति का आभाव (₹ 1.32 लाख), (iv) ससमय विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने (₹ 1.01 लाख) एवं (v) विपत्र पारित नहीं किये जाने (₹ 0.81 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 जिला प्रभार (अल्प बचत का प्रचार सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 2,18.25}	2,00.04	2,00.28	+0.24
	अनुपूरक 8.23}			
	पुनर्वि० -26.44}			

₹ 26.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का असामयिक निधन एवं सेवानिवृत्ति (₹ 22.50 लाख) के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 17 - वित्त (वाणिज्य कर) विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	56,17,83}	61,97,88	50,73,16	-11,24,72
अनुपूरक	5,80,05}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				10,83,18

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 11,24.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 2.50 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 73.70 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 5,03.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,80.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,83.18 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,24.72 लाख)से ₹ 41.54 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 वाणिज्य कर अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 56.03}	39.57	39.57	...
अनुपूरक 3.00}				
पुनर्वि० -19.46}				

₹ 19.46 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 3,21.14}	2,24.75	2,28.35	+3.60
	अनुपूरक 4.00}			
	पुनर्वि० -1,00.39}			
<p>₹ 1,00.39 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 3.60 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
3.	101 संग्रहण प्रभार 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 41,37.92}	32,59.46	32,14.32	-45.14
	अनुपूरक 84.40}			
	पुनर्वि० -9.62.86}			

₹ 5.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी निधि का मांग कम किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9,57.86 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 45.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3456	सिविल पूर्ति			
राजस्व :				
मूल	7,85,41,73}	11,25,11,33	9,57,10,79	-1,68,00,54
अनुपूरक	3,39,69,60}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,39,22,53
(14 नवम्बर 2011	: 5,28,90			
फरवरी 2012	: 44,86,05			
31 मार्च 2012	: 89,07,58)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,68,00.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 32,93.80 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 2,59,47.50 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 47,28.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,39,69.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,39,22.53 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,68,00.54 लाख) से ₹ 28,78.01 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, 102-सिविल पूर्ति योजना, 13-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 13-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग क्षेत्र उपयोग, 13-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,01.45 लाख, ₹ 1,26.51 लाख एवं ₹ 11,87.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,08,95.53 लाख, ₹ 47,34.16 लाख एवं ₹ 2,08,96.73 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 11 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,88.26}	2,11.80	2,15.83	+4.03
	अनुपूरक 74.27}			
	पुनर्वि० -50.73}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 48.83 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4.03 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	3456 सिविल पूर्ति 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 23,38.51}	20,42.61	20,42.61	...
	अनुपूरक 1,99.54}			
	पुनर्वि० -4,95.44}			

निधि का कम प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 4,97.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	102 सिविल पूर्ति योजना 02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 34,19.69}			
	अनुपूरक 6,53.35}	36,50.20	36,50.20	...
	पुनर्वि० -4,22.84}			

₹ 4,22.84 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,70.64 लाख की बचत निधि का उद्ध्यय प्रावधान अधिक किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 2,52.20 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

4.	03 अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 13,35.79}	9,45.69	1,61.79	-7,83.90
	पुनर्वि० -3,90.10}			

₹ 11,74.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

5.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 13,35.85}	5,96.36	2,84.08	-3,12.28
	पुनर्वि० -7,39.49}			

₹ 7,39.49 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,11.98 लाख की बचत (i) केवल जनवरी 2012 से मार्च 2012 के बीच ही योजना का कार्यान्वयन किये जाने (₹ 5,32.50 लाख) एवं (ii) योजना का कार्यान्वयन विचाराधीन रहने (₹ 1,79.48 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 27.51 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 3,12.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

6.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 8,62.48}	69.52	68.46	-1.06
	पुनर्वि० -7,92.96}			

₹ 7,92.96 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,49.56 लाख की बचत इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न कम उठाये जाने के कारण हुई थी। ₹ 5,43.40 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	17 किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 91.10}	58.13	20.21	-37.92
	पुनर्वि० -32.97}			
₹ 70.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	19 पुनर्सर्वेक्षित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को खाद्यान्न वितरण (योजना)			
	मूल 68,23.85}	79,04.83	78,64.67	-40.16
	अनुपूरक 20,81.43}			
	पुनर्वि० -10,00.45}			
₹ 10,00.45 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,66.15 लाख की बचत इस योजना के कुछ परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4,34.30 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 40.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 33.40}	2,23.53	2,01.74	-21.79
	अनुपूरक 3,14.79}			
	पुनर्वि० -1,24.66}			
₹ 1,24.66 लाख की प्रत्याशित बचत में से, निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 90.05 लाख की बचत हुई। ₹ 34.61 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 21.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	अनुपूरक 2,75.42}	1,59.25	1,59.25	...
	पुनर्वि० -1,16.17}			
₹ 1,16.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 15,89.22}			
	अनुपूरक 1,96.42}	15,65.07	15,65.07	...
	पुनर्वि० -2,20.57}			

₹ 2,20.57 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 74.80 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,45.77 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

12.	03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	मूल 4,61.33}	2,97.07	2,90.57	-6.50
	पुनर्वि० -1,64.26}			

₹ 1,70.76 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

13.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिन युक्त नमक का विरतण (योजना)			
	मूल 5,20.00}	2,28.33	98.04	-1,30.29
	पुनर्वि० -2,91.67}			

₹ 2,91.67 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,77.57 लाख की बचत (i) केवल जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक ही योजना का कार्यान्वयन किये जाने (₹ 2,06.46 लाख) एवं (ii) योजना का कार्यान्वयन विचाराधीन रहने (₹ 71.12 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 14.10 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,30.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

14.	10 गोदाम का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,12.00}	1,07.59	86.28	-21.31
	पुनर्वि० -4.41}			

₹ 25.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 2,11.20}	5.68	5.68	...
	पुनर्वि० -2,05.52}			
<p>₹ 2,05.52 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 61.20 लाख की बचत इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न कम उठाये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,44.32 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
16.	17 किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 31.80}	17.53	4.49	-13.04
	पुनर्वि० -14.27}			
<p>₹ 27.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
17.	19 पुनर्सर्वेक्षित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को खाद्यान्न वितरण (योजना)			
	मूल 20,98.18}			
	अनुपूरक 6,25.77}	23.59.13	22,98.69	-60.44
	पुनर्वि० -3,64.82}			
<p>₹ 3,64.82 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,73.16 लाख की बचत इस योजना के कुछ परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,91.66 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 60.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
18.	20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 13.00}			
	अनुपूरक 1,04.00}	36.60	31.16	-5.44
	पुनर्वि० -80.40}			
<p>₹ 85.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 1,07.80}	67.10	67.10
	पुनर्वि० -40.70}			
₹ 40.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 72,15.67}			
	अनुपूरक 12,47.51}	67,79.08	67,66.77	-12.31
	पुनर्वि० -16,84.10}			
₹ 16,84.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,54.56 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 13,29.54 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 12.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
21.	03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	मूल 17,43.88}	11,68.04	7,17.28	-4,50.76
	पुनर्वि० -5,75.84}			
₹ 10,26.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
22.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 21,44.15}	9,47.41	4,90.38	-4,57.03
	पुनर्वि० -11,96.74}			

₹ 11,96.74 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11,39.34 लाख की बचत (i) इस योजना का कार्यान्वयन केवल जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक ही कार्यान्वयन किये जाने (₹ 8,61.04 लाख) एवं योजना कार्यान्वयन विचाराधीन रहने (₹ 2, 78.30 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 57.40 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4,57.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	10 गोदाम का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,76.00}	4,63.62	4,20.35	-43.27
	पुनर्वि० -12.38}			
₹ 55.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
24.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 5,74.32}	1,03.49	1,03.49	...
	पुनर्वि० -4,70.83}			
₹ 4,70.83 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,39.24 लाख की बचत इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न कम उठाये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3,31.59 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
25.	17 किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 1,21.04}	56.93	12.31	-44.62
	पुनर्वि० -64.11}			
₹ 1,08.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
26.	19 पुनर्सर्वेक्षित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को खाद्यान्न वितरण (योजना)			
	मूल 72,17.76}			
	अनुपूरक 23,87.89}	75,70.21	72,98.79	-2,71.42
	पुनर्वि० -20,35.44}			

₹ 20,35.44 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6,10.68 लाख की बचत इस योजना के कुछ परिवारों को अन्त्योदय योजना में शामिल किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 14,24.76 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,71.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 53.60}			
	अनुपूरक 3,81.21}	2,77.88	2,75.92	-1.96
	पुनर्वि० -1,56.93}			

₹ 1,56.93 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,50.00 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.93 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

28.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	अनुपूरक 4,27.85}	2,84.29	2,84.91	+0.62
	पुनर्वि० -1,43.56}			

₹ 1,42.94 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3456 सिविल पूर्ति 102 सिविल पूर्ति योजना 08 ग्रामीण अन्न कोष (योजना)			
	मूल 35.20}	35.20	...	-35.20

₹ 35.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	22 एल०पी०जी० अनुदान (योजना)			
	मूल 1,32.00}
	पुनर्वि० -1,32.00}			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 12 एल०पी०जी० के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 51.48}
	पुनर्वि० -51.48}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में एल०पी०जी० पर दिये जाने वाले अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया पर निर्णय नहीं लिये जाने के कारण ₹ 1,32.00 लाख एवं ₹ 51.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 08 ग्रामीण अन्न कोष (योजना)			
	मूल 1,11.60}	1,11.60	...	-1,11.60
<p>₹ 1,11.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
5.	12 एल०पी०जी० के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 2,12.52}
	पुनर्वि० -2,12.52}			

एल०पी०जी० पर दिये जाने वाले अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया पर निर्णय नहीं लिये जाने के कारण ₹ 2,12.52 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 19 - वन एवं पर्यावरण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,46,96,82}	2,72,40,54	2,20,20,28	-52,20,26
अनुपूरक	25,43,72}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			51,37,27
(19 अगस्त 2011 : 12,66,55)			
31 मार्च 2012 : 38,70,72)			

पूंजी :

मूल	13,00,00}	13,00,00	12,50,00	-50,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			50,00
(31 मार्च 2012)			

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 52,20.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 13,32.93 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 12,08.29 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 2.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,43.72 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 51,37.27 लाख), अंतिम बचत (₹ 52,20.26 लाख) से ₹ 82.99 लाख) कम था।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,24.61 लाख की कुल बचत, जो ₹ 66,17.57 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 वानिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 28,57.99}			
	अनुपूरक 5.51}	24,71.58	24,71.58	...
	पुनर्वि० -3,91.92}			
2.	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण 02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,83.66}	1,37.26	1,37.89	+0.63
	पुनर्वि० -46.40}			
3.	004 अनुसंधान 02 अन्य अनुसंधान (गैर-योजना)			
	मूल 3,97.06}	3,27.84	3,27.49	-0.35
	पुनर्वि० -69.22}			
4.	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 02 कार्य योजना प्रमण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 2,58.21}	1,91.69	1,91.59	-0.10
	अनुपूरक 1.12}			
	पुनर्वि० -67.64}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,91.92 लाख, ₹ 46.40 लाख, ₹ 69.22 लाख एवं ₹ 67.64 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ वरीय वन पदाधिकारियों के पद रिक्त रहने एवं एम.ए.सी.पी. का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	06 मिट्टी संरक्षण एवं वनरोपण योजना (योजना)			
	मूल 29,43.76}	24,30.43	24,30.43	...
	पुनर्वि० -5,13.33}			
<p>₹ 4,84.42 लाख की प्रत्याशित बचत एवं पुनर्विनियोग द्वारा उपबंध में कटौती ₹ 28.91 लाख एस.सी.पी./एम. एस.सी.पी. की संस्वीकृति नहीं मिलने एवं सेवानिवृति तथा निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
6.	15 वन प्रबंधन सुविधायें (योजना)			
	मूल 7,82.50}			
	अनुपूरक 50.00}	7,09.32	6,89.59	-19.73
	पुनर्वि० -1,23.18}			
<p>₹ 1,23.18 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के लिए संस्वीकृत राशि हेतु निविदा का आमंत्रण नहीं किये जाने (₹ 1,18.18 लाख) एवं गैर-योजना से राशि खर्च किये जाने (₹ 5.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 19.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	102 समाज तथा फार्म वानिकी			
	09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 1,75.81}	1,06.95	1,03.06	-3.89
	पुनर्वि० -68.86}			

₹ 68.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पौधों की उत्तरजीविता के अनुसार व्यय किये जाने (₹ 68.46) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	105 वन उत्पाद 38 13वें वित्त आयोग से अनुदान (योजना)			
	मूल 18,93.00}	18,77.96	18,55.29	-22.67
	अनुपूरक 12,00.16}			
	पुनर्वि० -12,15.20}			

₹ 12,15.20 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 22.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

9.	110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 37 ईन्टेसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (योजना)			
	मूल 1,00.00}	94.44	94.44	...
	अनुपूरक 27.00}			
	पुनर्वि० -27.56}			

₹ 27.56 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

10.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 7,37.39}	7,39.52	7,39.52	...
	अनुपूरक 4,19.59}			
	पुनर्वि० -4,17.46}			

₹ 4,17.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना पूरा होने (₹ 4,17.12 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	796 09 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 11,19.50}			
	अनुपूरक 5,18.41}	8,57.57	8,57.57	...
	पुनर्वि० -7,80.34}			
	₹ 7,80.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने तथा योजना पूरा होने के कारण हुई थी।			
12.	13 पथ पट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल 4,49.45}			
	अनुपूरक 2,00.00}	5,75.12	5,75.12	...
	पुनर्वि० -74.33}			
	₹ 74.33 लाख की प्रत्याशित बचत पौधों की उत्तरजीविता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण हुई थी।			
13.	800 13 अन्य व्यय पथ पट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल 17,97.34}	16,92.80	16,92.80	...
	पुनर्वि० -1,04.54}			
	₹ 1,04.54 लाख की प्रत्याशित बचत मजदूरी में निधि की अनुपलब्धता (₹ 84.35 लाख) तथा पौधों की उत्ताजीविता के अनुसार व्यय किये जाने (₹ 20.19 लाख) के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीव परिरक्षण 01 अभ्यारण्य (गैर-योजना)			
	मूल 8,07.52 } पुनर्वि० -90.62 }	7,16.90	7,16.50	-0.40
<p>₹ 90.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की संस्वीकृति नहीं मिलने तथा सेवानिवृत्ति (₹ 90.15 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
15.	02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय (वन प्रबंधन योजना) (योजना)			
	मूल 80.00 } पुनर्वि० -28.33 }	51.67	51.67	...
<p>₹ 28.33 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
16.	03 हाथी परियोजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,70.00 } पुनर्वि० -65.51 }	1,04.49	1,02.14	-2.35
17.	08 पलामू व्याघ्र परियोजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (के०यो०यो०)			
	मूल 1,00.00 } पुनर्वि० -28.55 }	71.45	71.39	-0.06
18.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 65.00 } पुनर्वि० -21.05 }	43.95	43.95	...

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	37 ईन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}			
	अनुपूरक 81.00}	2,98.33	2,96.26	-2.07
	पुनर्वि० -82.67}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 65.51 लाख, ₹ 28.55 लाख, ₹ 21.05 लाख एवं ₹ 82.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति किये जाने के कारण हुई थी।

20.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 06 वन एवं पर्यावरण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,15.98}			
	अनुपूरक 4.00}	1,91.74	1,91.74	...
	पुनर्वि० -28.24}			

₹ 28.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानांतरण एवं वेतन पर्ची प्राप्त नहीं होने (₹ 26.53 लाख) तथा (ii) एल०टी०सी० का उपभोग करने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने (₹ 1.00 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीव परिरक्षण 38 ईन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (के०यो०यो०)			
मूल 3,35.85}			
पुनर्वि० -3,35.85}

भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति किये जाने के कारण ₹ 3,35.85 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

पूँजी:

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत व्यय			
04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
02 राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान (योजना)			
मूल	50.00}
पुनर्वि०	-50.00}

कोषागार से राशि की निकासी नहीं किए जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं

हुआ।

**अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	10,86,02,23}	10,94,23,08	8,16,29,79	-2,77,93,29
अनुपूरक	8,20,85}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (अगस्त 2011 : 5,78,05 31 मार्च 2012 : 2,32,43,15)				2,38,21,20

पूंजी :

मूल	3,41,24,67}	3,41,24,67	1,63,53,17	-1,77,71,50
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,72,40,55

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 2,77,93.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 1,30.13 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 6,90.72 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,20.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,38,21.20 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,77,93.29 लाख) से ₹ 39,72.09 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 02-स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना), 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 12-एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (गैर-योजना), 06-लोक स्वास्थ्य, 01-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण, 03-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (गैर-योजना) एवं 2211-परिवार कल्याण, 103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य, 01-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,97.22 लाख, ₹ 1,19.14 लाख, ₹ 1,37.47 लाख एवं ₹ 1,08.97 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 42,87.53 लाख, ₹ 12,63.17 लाख, ₹ 14,31.16 लाख एवं ₹ 12,62.27 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत, से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
	001 निदेशन और प्रशासन				
	02 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (गैर-योजना)				
	मूल 11,80.45}				
	अनुपूरक 4.38}	10,75.34	9,95.83	-79.51	
	पुनर्वि० -1,09.49}				
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)				
		मूल 5,61.99}			
		अनुपूरक 5.84}	5,15.74	5,11.07	-4.67
		पुनर्वि० -52.09}			
3.	04 अधीक्षण (योजना)				
		मूल 88.72}	27.68	23.66	-4.02
		पुनर्वि० -61.04}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	07 राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन, उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)			
	मूल 20,00.00}	17,67.46	17,17.96	-49.50
	पुनर्वि० -2,32.54}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,89.00 लाख, ₹ 56.76 लाख, ₹ 65.06 लाख एवं ₹ 2,82.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	09 स्वास्थ्य आकस्मिकता प्रबंधन कोष- मोबाईल हेल्थ क्लिनिक/ट्रॉमा सेन्टर (योजना)			
	मूल 10,00.00}	5.98	5.98	...
	पुनर्वि० -9,94.02}			
6.	110 अस्पताल और औषधालय 05 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, धनबाद (योजना)			
	मूल 5,00.00}	2,70.40	2,70.40
	पुनर्वि० -2,29.60}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,94.02 लाख एवं ₹ 2,29.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (गैर-योजना)			
	मूल 15,89.53}			
	अनुपूरक 50.72}	14,44.27	14,28.23	-16.04
	पुनर्वि० -1,95.98}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	13 सदर अस्पताल (गैर-योजना)			
	मूल 40,78.47}			
	अनुपूरक 34.83}	41,12.53	36,86.36	-4,26.17
	पुनर्वि० -0.77}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,12.02 लाख एवं ₹ 4,26.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	15 इटकी सेनेटोरियम (गैर-योजना)			
	मूल 6,01.43}	5,28.48	5,28.38	-0.10
	पुनर्वि० -72.95}			
₹ 72.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	16 मानसिक आरोग्यशाला (गैर-योजना)			
	मूल 21,28.00}	16,90.25	16,90.25
	पुनर्वि० -4,37.75}			
₹ 4,37.75 लाख की प्रत्याशित बचत समेकित अनुरक्षण हेतु अलग से प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	02 गरीबी रेखा अन्तर्गत चिकित्सा सहायता- गरीबी रेखा के नीचे लोगों को विशिष्ट रोगों (हृदय, किडनी, कैंसर आदि) की, चिकित्सा हेतु अनुदान तथा सर्व स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट को अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,16.51	1,34.17	-27.34
	पुनर्वि० -38.49}			
₹ 65.83 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	19 राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन, उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)			
	मूल 6,00.00}	5,30.11	5,30.11	...
	पुनर्वि० -69.89}			
	₹ 69.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 योजना का प्रशासन (कुष्ठ) (योजना)			
	मूल 2,38.32}	2,04.01	1,99.02	-4.99
	पुनर्वि० -34.31}			
	₹ 39.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
14.	04 अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा) (योजना)			
	मूल 1,74.27}	1,00.91	1,00.64	-0.27
	पुनर्वि० -73.36}			
15.	12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 4,60.01}	3,64.63	3,64.66	+0.03
	पुनर्वि० -95.38}			
	उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 73.36 लाख एवं ₹ 95.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
16.	19 राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन, उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)			
	मूल 24,00.00}	20,02.97	19,23.51	-79.46
	पुनर्वि० -3,97.03}			
	₹ 4,76.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 200 अन्य पद्धतियाँ 02 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, अस्पताल, गोड्डा (योजना)			
	मूल 94.68}	23.12	23.12	...
	पुनर्वि० -71.56}			
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, चाईबासा/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, साहेबगंज तथा गुमला (योजना)			
	मूल 60.50}	27.23	27.23	...
	पुनर्वि० -33.27}			
19.	07 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं का स्थापना (योजना)			
	मूल 69.18}	35.11	35.11	...
	पुनर्वि० -34.07}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 71.56 लाख, ₹ 33.27 लाख एवं ₹ 34.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी		
	103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
	01	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)		
	मूल	1,27,81.35}		
	अनुपूरक	33.74}	1,21,80.62	1,12,35.03
	पुनर्वि०	-6,34.47}		-9,45.59
21.	03	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)		
	मूल	53,06.05}		
	अनुपूरक	1,50.74}	54,55.09	48,36.52
	पुनर्वि०	-1.70}		-6,18.57
22.	110	अस्पताल और औषधालय		
	04	रेफरल अस्पताल (गैर-योजना)		
	मूल	27,75.39}		
	अनुपूरक	43.27}	27,22.06	24,21.36
	पुनर्वि०	-96.60}		-3,00.70
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 15,80.06 लाख, ₹ 6,20.27 लाख एवं ₹ 3,97.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
23.	800	अन्य व्यय		
	14	मल्टी सैक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु राज्यांश (योजना)		
	मूल	5,00.00}	1,31.82	1,,31.82
	पुनर्वि०	-3,68.18}		...

₹ 3,68.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ	8,62.10	6,33.17	-2.28.93
	101 आयुर्वेद			
24.	03 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)	8,62.10	6,33.17	-2.28.93
	मूल 10,54.69 } पुनर्वि० -1,92.59 }			
25.	102 होम्योपैथी	3,11.23	2,36.15	-75.08
	01 होम्योपैथीक औषधालय (गैर-योजना)			
25.	मूल 4,77.24 } पुनर्वि० -1,66.01 }	3,11.23	2,36.15	-75.08
	103 यूनानी			
26.	01 यूनानी औषधालय (गैर-योजना)	80.04	61.10	-18.94
	मूल 1,18.34 } पुनर्वि० -38.30 }			
27.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	38.46	38.46	...
	105 एलोपैथी			
27.	04 प्रशिक्षण-नर्स (योजना)	38.46	38.46	...
	मूल 88.00 } पुनर्वि० -49.54 }			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,92.59 लाख, ₹ 1,66.01 लाख एवं ₹ 38.30 लाख की प्रत्याशित बचत संविदा पर कार्य नहीं कराये जाने के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 2,28.93 लाख, ₹ 75.08 लाख एवं ₹ 18.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

₹ 49.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 1,85.00}	91.19	78.03	-13.16
	पुनर्वि० -93.81}			
₹ 1.06.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
29.	13 सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को पी०जी० कोर्स संचालन हेतु राज्यांश (योजना)			
	मूल 10,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -5,00.00}			
₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
30.	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 लोक स्वास्थ्य संस्थान (गैर-योजना)			
	मूल 2,82.59}			
	अनुपूरक 2.82}	2,36.37	2,26.04	-10.33
	पुनर्वि० -49.04}			
₹ 59.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
31.	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 02 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 5,68.28}			
	अनुपूरक 2.74}	4,31.32	4,26.32	-5.00
	पुनर्वि० -1,39.70}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई तथा ₹ 17.70 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 22.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
32.	106 सेरा/बैक्सीन का निर्माण 01 सरकारी वैक्सीन संस्थान, नामकुम (गैर-योजना)			
	मूल 1,92.80}	1,59.74	1,59.74	...
	पुनर्वि० -33.06}			
₹ 33.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
33.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 12,09.47}	8,23.42	8,12.84	-10.58
	पुनर्वि० -3,86.05}			
₹ 3,96.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
34.	07 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम- डी०डी०टी० छिड़काव (मजदूरी) (योजना)			
	मूल 1,00.25}	66.82	67.43	+0.61
	पुनर्वि० -33.43}			
₹ 32.82 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
35.	2211 परिवार कल्याण 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 5,54.88}	2,60.93	2,60.87	-0.06
	पुनर्वि० -2,93.95}			
36.	03 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण- जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 8,43.91}	6,27.09	6,03.85	-23.24
	पुनर्वि० -2,16.82}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
37.	003 प्रशिक्षण 04 एन०एन०एम०/एल०एच०भी० विद्यालय (के०यो०यो०)			
	मूल 6,20.34}	2,54.28	2,43.18	-11.10
	पुनर्वि० -3,66.06}			
38.	05 परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (के०यो०यो०)			
	मूल 97.78}	27.19	27.43	+0.24
	पुनर्वि० -70.59}			
39.	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 01 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 1,70,80.41}	48,16.36	45,24.78	-2,91.58
	पुनर्वि० -1,22,64.05}			
40.	102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं 01 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 4,94.95}	95.44	94.84	-0.60
	पुनर्वि० -3,99.51}			

भारत सरकार द्वारा निधि की कम संस्वीकृति के कारण उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत हुई थी। क्रम संख्या 36, 37 एवं 39 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 23.24 लाख, ₹ 11.10 लाख एवं ₹ 2,91.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 08 निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय के लिए सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 17,00.00}
	पुनर्वि० -17,00.00}			
<p>₹ 17,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
2.	13 टुबैको कंट्रोल (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>कोषागार द्वारा आपत्ति किये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
3.	16 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 28.59}
	पुनर्वि० -28.59}			
4.	110 अस्पताल और औषधालय 24 झारखंड राज्य के अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई, सुरक्षा, डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि के लिये आउटसोर्सिंग (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	789 20	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना झारखंड राज्य के अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई, सुरक्षा, डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि के लिये आउटसोर्सिंग (योजना)		
	मूल	2,20.00}
	पुनर्वि०	-2,20.00}
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 28.59 लाख, ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना अन्य स्वास्थ्य सेवाएं (कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	1,10.57}
	पुनर्वि०	-1,10.57}
7.	15	अंधेपन की रोकथाम (के०प्रा०यो०)		
	मूल	31.65}
	पुनर्वि०	-31.65}
भारत सरकार द्वारा निधि की संस्वीकृति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं होने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,10.57 लाख एवं ₹ 31.65 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	18	अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा)- संचारी रोग केन्द्र, राँची एवं आरोग्यशाला, इटकी का क्रियान्वयन (भवन निर्माण/ मशीनरी एवं उपकरण सहित) (योजना)		
	मूल	25.73}
	पुनर्वि०	-25.73}

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	21	औषधि (एलोपैथी) नियंत्रण लेबोरेट्रीज की स्थापना (भवन निर्माण एवं मशीन उपकरण) (योजना)		
		मूल 1,00.00}
		पुनर्वि० -1,00.00}		
10.	22	खाद्य अपमिश्रण (एलोपैथी) नियंत्रण लेबोरेट्रीज की स्थापना (भवन निर्माण एवं मशीन उपकरण) (योजना)		
		मूल 1,00.00}
		पुनर्वि० -1,00.00}		
11.	26	झारखंड राज्य अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी, सफाई-सुरक्षा, डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि के लिये आउट सोर्सिंग (योजना)		
		मूल 5,20.00}
		पुनर्वि० -5,20.00}		
12.	28	अंधेपन की रोकथाम (योजना)		
		मूल 31.66}
		पुनर्वि० -31.66}		
13.	02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	14	देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (योजना)		
		मूल 75.00}
		पुनर्वि० -75.00}		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -		
14.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	25.00}	25.00	...		
	105 एलोपैथी					
	09 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर-स्वच्छता (गैर-योजना)					
	मूल			-25.00		
15.	10 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर-सुरक्षा (गैर-योजना)	25.00}	25.00	...		
	मूल					-25.00

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,72,40.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,77,71.50 लाख) से ₹ 5,30.95 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(vi) शीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 09-भवन निर्माण-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 41-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-भवन-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन सहित) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,96.74 लाख एवं ₹ 2,19.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 22,86.00 लाख एवं ₹ 37,33.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 07 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 7,14.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -2,14.00}			
	₹ 2,14.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
2.	08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/ मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 3,76.00}	2,29.35	2,18.59	-10.76
	पुनर्वि० -1,46.65}			
3.	10 भवनें-स्वास्थ्य उप-केन्द्र की स्थापना- भवनें (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 8,00.00}	77.37	61.57	-15.80
	पुनर्वि० -7,22.63}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,57.41 लाख एवं ₹ 7,38.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	15 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक केन्द्र में उत्क्रमण (योजना) (योजना)			
	मूल 8,24.00}	3,01.39	3,01.39	...
	पुनर्वि० -5,22.61}			
₹ 5,22.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	110 अस्पताल और औषधालय 17 भवनें-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 9,99.00}	7,75.93	7,63.45	-12.48
	पुनर्वि० -2,23.07}			
6.	24 भवनें-सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 12,00.00}	2,23.88	1,50.35	-73.53
	पुनर्वि० -9,76.12}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,45.55 लाख एवं 10,49.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	31 भवनें- सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के लिए भवन का निर्माण (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल-कर्मियों का आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल 12,00.00}	35.43	35.43	...
	पुनर्वि० -11,64.57}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	34 अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	82.77	82.74	-0.03
	पुनर्वि० -3,17.23}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11,64.57 लाख एवं ₹ 3,17.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	01 सदर/अनुमंडलीय अस्पताल (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) भवनें-सदर अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 8,00.00}	6,07.78	4,84.26	-1,23.52
	पुनर्वि० -1,92.22}			
₹ 3,15.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	02 भवनें-सदर/अनुमंडलीय अस्पताल (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) भवनें-अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,38.25	2,38.25	...
	पुनर्वि० -61.75}			
11.	03 भवनें-सदर/अनुमंडलीय अस्पताल जिला चिकित्सा पदाधिकारी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों के लिए आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल 7,00.00}	99.98	99.98
	पुनर्वि० -6,00.02}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	05 भवनें- स्वास्थ्य उपकेन्द्र- की स्थापना-भवनें (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,51.38	1,48.90	-2.48
	पुनर्वि० -1,48.62}			
13.	06 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन सहित)-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसूति गृह/ मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 2,50.00}	1,54.69	1,54.69	...
	पुनर्वि० -95.31}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 61.75 लाख, ₹ 6,00.02 लाख, ₹ 1,48.62 लाख एवं ₹ 95.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
14.	07 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (मशीन सहित)- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 7,67.00}	7,40.96	6,57.76	-83.20
	पुनर्वि० -26.04}			
₹ 1,09.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
15.	11 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 5,50.00}	27.52	27.52
	पुनर्वि० -5,22.48}			
₹ 5,22.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 भवन-एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 8,54.98}	6,89.54	5,89.54	-1,00.00
	पुनर्वि० -1,65.44}			
₹ 2,65.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)				
17.	29 सदर अस्पताल राँची का 500 शय्या वाले सदर अस्पताल के रूप में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 35,00.00}	28,34.00	28,34.00	...
	पुनर्वि० -6,66.00}			
18.	33 भवनें-सदर अस्पताल (मशीन एवं उपकरण सहित) भवनें-अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 6,00.00}	4,50.00	4,50.00
	पुनर्वि० -1,50.00}			
19.	35 भवनें-सदर अस्पताल- जिला चिकित्सा पदाधिकारी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों के लिए आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	12.07	12.07	...
	पुनर्वि० -14,87.93}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	36 भवनें-सदर अस्पताल (मशीन एवं उपकरण सहित) सदर अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 15,00.00}	2,61.45	2,61.45	...
	पुनर्वि० -12,38.55}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 6,66.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 14,87.93 लाख एवं ₹ 12,38.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
21.	38 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन एवं उपकरण सहित) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 11,67.00}	4,88.21	4,26.43	-61.78
	पुनर्वि० -6,78.79}			
₹ 7,40.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
22.	39 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसूति गृह/मशीन सहित) (योजना)			
	मूल 4,70.00}	2,38.64	2,38.64
	पुनर्वि० -2,31.36}			
23.	40 भवनें-स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना-भवनें स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना (मशीन सहित) (योजना)			
	मूल 9,00.00}	36.96	32.62	-4.34
	पुनर्वि० -8,63.04}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	47 भवनें- (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) आयुष प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाएँ विभिन्न संस्थाओं के लिए भवन का निर्माण (औषधि जाँच प्रयोगशाला, राज्य औषधि, राँची) (योजना)			
	मूल 1,55.82}	52.45	52.45
	पुनर्वि० -1,03.37}			
25.	48 दुमका/खरसावाँ में 500 शय्या वाले अस्पताल का निर्माण (योजना)			
	मूल 35,00.00}	10,89.93	10,89.93
	पुनर्वि० -24,10.07}			
26.	50 भवन निर्माण- स्वास्थ्य निदेशालय का उत्क्रमण (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1.18	1.18
	पुनर्वि० -1,98.82}			
	उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
27.	51 सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण (आवासीय भवन) (योजना)			
	मूल 10,30.00}	3,72.25	3,31.98	-40.27
	पुनर्वि० -6,57.75}			
	₹ 6,98.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	200 अन्य पद्धतियाँ			
	02 राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 2,03.87}	1,62.07	1,62.07
	पुनर्वि० -41.80}			

₹ 41.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
	110 अस्पताल और औषधालय			
	01 निजी क्षेत्रों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए शॉफ्ट लोन (योजना)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			
2.	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन सहित)-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,40.00}
	पुनर्वि० -2,40.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	796 06	जनजातीय क्षेत्र उप योजना भवनें (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित)दुमका तथा चाईबासा में नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना (योजना)		
	मूल	20.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		
4.	42	भवनें-आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थाएं भवनें-योगा, सिद्धा, पंचकर्म केन्द्र का भवन निर्माण (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)		
	मूल	34.00}
	पुनर्वि०	-34.00}		
5.	45	क्षेत्रीय अस्पताल दुमका एवं चाईबासा का निर्माण/ उत्क्रमण (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)		
	मूल	2,50.00}
	पुनर्वि०	-2,50.00}		
6.	49	पारा मेडिकल कांडसिल का निर्माण (योजना)		
	मूल	1,00.00}
	पुनर्वि०	-1,00.00}		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	52	आयुष निदेशालय, जिला संयुक्त औषधालय/क्षेत्रीय ग्रामीण औषधालय (योजना)		
		मूल 2,50.00}
		पुनर्वि० -2,50.00}		
8.	800	अन्य व्यय		
	03	भवनें-आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों का भवन निर्माण-भवनें-योगा, सिद्धा, पंचकर्म केन्द्र का भवन निर्माण (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)		
		मूल 34.00}
		पुनर्वि० -34.00}		
9.	03	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		
	105	एलोपैथी		
	04	ए०एन०एम० स्कूल का निर्माण-भवन निर्माण (योजना)		
		मूल 2,50.00}
		पुनर्वि० -2,50.00}		
10.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
	03	भवनें- राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, चाईबासा, राजकीय आयुर्वेद फार्मसी, साहेबगंज/ गुमला (योजना)		
		मूल 3,86.00}
		पुनर्वि० -3,86.00}		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	05 ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण- भवन निर्माण			
	मूल 2,50.00}
	पुनर्वि० -2,50.00}			

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 21 - उच्च शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202 सामान्य शिक्षा				
राजस्व :				
मूल	4,34,76,83}	5,21,49,60	4,39,10,36	-82,39,24
अनुपूरक	86,72,77}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				82,39,24
(16 अगस्त 2011 : 44,15,00				
31 मार्च 2012 : 38,24,24)				

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 82,39.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 44,15.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (42,57.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 86,72.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) शीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 01-संत विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-सहायक अनुदान (गैर-योजना) तथा 02-सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका-सहायक अनुदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,75.95 लाख ₹ 2,86.37 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,00,14.92 लाख एवं ₹ 50,67.50 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत, (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल	95.18}	73.91	73.91
	अनुपूरक	4.00}		...
	पुनर्वि०	-25.27}		

₹ 25.27 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 03 सन्त विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}			
	अनुपूरक 2,00.00}	2,00.00	2,00.00	...
	पुनर्वि० -2,00.00}			
3.	05 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु सन्त विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को अनुदान (योजना)			
	मूल 9,60.00}			
	अनुपूरक 9,60.00}	7,97.57	7,97.57	...
	पुनर्वि० -11,22.43}			
4.	08 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु सन्त विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 80.00}	65.21	65.21	...
	अनुपूरक 80.00}			
	पुनर्वि० -94.79}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 11,22.43 लाख एवं ₹ 94.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू-सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 19,99.20}			
	अनुपूरक 9,64.17}	24,70.88	24,70.88	...
	पुनर्वि० - 4,92.49}			

₹ 4,92.49 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}			
	अनुपूरक 3,00.00}	2,70.32	2,70.32	...
	पुनर्वि० -3.29.68}			
<p>₹ 3,29.68 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 29.68 लाख की बचत विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त योजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	15 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा (गैर-योजना)			
	मूल 63,48.45}			
	अनुपूरक 1,94.18}	51,75.01	51,75.01	...
	पुनर्वि० -13.67.62}			
<p>₹ 13,67.62 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का मांग कम किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 02 सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}			
	अनुपूरक 2,00.00}	1,94.00	1,94.00	...
	पुनर्वि० -2.06.00}			
9.	04 राँची विश्वविद्यालय राँची-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}			
	अनुपूरक 5,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -5.00.00}			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	08 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}			
	अनुपूरक 4,00.00}	4,00.00	4,00.00	...
	पुनर्वि० -4.00.00}			
11.	09 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}			
	अनुपूरक 60.00}	60.00	60.00	...
	पुनर्वि० -60.00}			
12.	10 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु सिद्ध-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}			
	अनुपूरक 25.00}	0.86	0.86	...
	पुनर्वि० -49.14}			
13.	25 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}			
	अनुपूरक 60.00}	3.37	3.37	...
	पुनर्वि० -1,16.63}			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	27 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 14,40.00}			
	अनुपूरक 14,40.00}	7,97.57	7,97.57	...
	पुनर्वि० -20,82.43}			
15.	28 विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}			
	अनुपूरक 1,50.00}	1,48.17	1,48.17	...
	पुनर्वि० -1,51.83}			
16.	800 अन्य व्यय			
	22 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 15.00}			
	अनुपूरक 15.00}	2.79	2.79	...
	पुनर्वि० -27.21}			

उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	22,06,56,11}	25,04,22,87	22,48,05,75	-2,56,17,12
अनुपूरक	2,97,66,76}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,88,43,52
(18 फरवरी 2012 : 22,50,00				
31 मार्च 2012 : 1,65,93,52)				

पूंजी :

मूल	1,18,35,20}	1,21,77,30	1,06,23,53	-15,53,77
अनुपूरक	3,42,10}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				11,79,28
---	--	--	--	----------

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 2,56,17.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 2,23,89.80 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 43,63.96 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 30,13.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,97,66.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,88,43.52 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,56,17.12 लाख) से ₹ 67,73.60 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) शीर्ष-2055-पुलिस, 001-निदेशन और प्रशासन, 04-अधीक्षण (गैर-योजना), 101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता, 01-आपराधिक जाँच विभाग (गैर-योजना), 104-विशेष पुलिस, 02 पैदल सैन्य पुलिस (गैर-योजना), 04-एस०टी०एफ० (झारखण्ड जगुआर) (गैर-योजना), 109-जिला पुलिस, 01-जिला कार्यकारी बल (गैर-योजना), 110-ग्राम पुलिस, 01-चौकीदार-दफादार स्थापना (गैर-योजना), 2056-जेल, 101-जेल, 01-केन्द्रीय जेल (गैर-योजना), 02-जिला जेल (गैर-योजना), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 107-होमगार्ड, 01-ग्रामीण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,10.65 लाख, ₹ 1,65.57 लाख, ₹ 16,05.30 लाख, ₹ 2,38.13 लाख, ₹ 96,24.55 लाख, ₹ 9,75.23 लाख, ₹ 1,84.00 लाख, ₹ 2,59.61 लाख और ₹ 2,35.13 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 11,14.07 लाख, ₹ 20,42.53 लाख, ₹ 3,73,68.16 लाख, ₹ 62,78.60 लाख, ₹ 10,98.37.70 लाख, ₹ 1,35,38.45 लाख, ₹ 36,91.52 लाख, ₹ 35,06.00 लाख और ₹ 46,55.19 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 03 गृह विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 6,82.41 }			
	अनुपूर्क 74.10 }	5,34.80	5,34.65	-0.15
	पुनर्वि० -2,21.71 }			
2.	2055 पुलिस 001 निदेशन और प्रशासन 01 अभियोजन निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 14,89.71 }	11,71.88	11,49.51	-22.37
	पुनर्वि० -3,17.83 }			
3.	02 कानून व्यवस्था पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00 }	2,48.27	2,24.81	-23.46
	पुनर्वि० -1.73 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,40.20 लाख एवं ₹ 25.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	07 विधि विज्ञान प्रयोगशाला (गैर-योजना)			
	मूल 1,64.03 } अनुपूरक 29.29 } पुनर्वि० -65.74 }	1,27.58	1,27.09	-0.49
₹ 65.74 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 6.09 लाख की बचत पर्याप्त रासायनिक की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण हुई। ₹ 59.65 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	110 ग्राम पुलिस			
	02 मानकी मुण्डा डाकुआ के लिए सम्मान (गैर-योजना)			
	मूल 14,07.49 } पुनर्वि० -4,78.10 }	9,29.39	8,80.44	-48.95
₹ 5,27.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	111 रेल पुलिस			
	01 बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)			
	मूल 1,03.94 } पुनर्वि० -75.82 }	28.12	28.05	-0.07
₹ 75.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
	67 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 2,01,64.86 } पुनर्वि० -22,50.00 }	1,79,14.86	1,15.66,01	-63,48.85

₹ 85,98.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	2056 जेल			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 जेल निरीक्षणालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,67.33 }	1,25.75	1,25.75	...
	पुनर्वि० -41.58 }			
9.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	106 सिविल सुरक्षा			
	04 अग्निशमन सेवा (गैर-योजना)			
	मूल 2,08.40 }	1,35.56	1,35.56	...
	पुनर्वि० -72.84 }			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 41.58 लाख एवं ₹ 72.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	107 होमगार्ड			
	02 शहरी (गैर-योजना)			
	मूल 1,40.37 }	83.12	84.52	+1.40
	पुनर्वि० -57.25 }			
₹ 55.85 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
11.	108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण			
	01 अग्नि रक्षा सेवा (गैर-योजना)			
	मूल 12,13.21 }	9,11.02	9,11.02	...
	पुनर्वि० -3,02.19 }			
₹ 3,02.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	800 अन्य व्यय 09 उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिस कर्मी/ ग्रामीण पुलिस/ गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 8,00.00}	2,09.06	1,91.35	-17.71
	पुनर्वि० -5,90.94}			
₹ 6,08.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
13.	10 उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	5.10	5.19	+0.09
	पुनर्वि० -44.90}			
₹ 44.81 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
14.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 106 सुधारक सेवाएं 01 किशोर न्याय/बोर्ड/बाल कल्याण समितियों एवं विकलांगता से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता/मानदेय तथा रिमाण्ड होम के लिए परिवहन (गैर-योजना)			
	मूल 55.15}	47.85	1.94	-45.91
	अनुपूरक 0.12}			
	पुनर्वि० -7.42}			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	02 परिवीक्षा सेवाएं (गैर-योजना)			
	मूल 2,03.79}	1,55.91	1,54.13	-1.78
	पुनर्वि० -47.88}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 53.33 लाख एवं ₹ 49.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2055 पुलिस 104 विशेष पुलिस 01 अश्वारोही सैन्य पुलिस (गैर-योजना)			
	मूल 1,19.06}
	पुनर्वि० -1,19.06}			
	अश्वारोही सैन्य पुलिस की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,19.06 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
2.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 106 सिविल रक्षा 08 सिविल रक्षा का सुदृढीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,85.60}
	पुनर्वि० -2,85.60}			
3.	108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण 39 फायर इंजनों, आधुनिक उपकरणों, थर्मल इर्मिजिंग कैमरा बी.ए. सेट चार्जिंग मशीन, फायर सूट आदि का क्रय (योजना)			
	मूल 85.50}
	पुनर्वि० -85.50}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,85.60 लाख एवं ₹ 85.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

पूँजी:

(v) ₹ 15,53.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 3,42.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 0.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,42.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित-प्रावधान (₹ 11,79.28 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,53.77 लाख) से ₹ 3,74.49 लाख कम था।

(vii) शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211-पुलिस आवास, 01-पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 88.02 लाख की बचत, जो ₹ 43,70.80 लाख के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 12 नये बन्दी वार्ड/पेरीमीटर वाल का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,35.50	1,35.50	...
	पुनर्वि० -39.50}			
	₹ 39.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
2.	16 नये उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 11,50.00}	6,88.68	6,88.68	...
	पुनर्वि० -4,61.32}			
	₹ 1,74.32 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,87.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती क्रमशः बकाया ए०सी० बिल के विरुद्ध डी०सी० बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
3.	28 मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,98.59	2,98.59	...
	पुनर्वि० -1,01.41}			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 16 नये उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	21.60	21.60	...
	पुनर्वि० -1,28.40}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,04.41 लाख एवं ₹ 1,28.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	28 कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर्य घेराबंदी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)			
	मूल 10,00.00}	4,76.68	4,39.48	-37.20
	पुनर्वि० -5,23.32}			
₹ 5,23,32 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 3,71.21 लाख बचत (i) डी०जी०एस०ए० सविदा दर का बन्दोबस्त नहीं होने के फलस्वरूप एक्सरे मशीन का क्रय नहीं किये जाने (₹ 1,94.85 लाख) एवं (ii) बकाया ए०सी० बिल के विरुद्ध डी०सी० बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने (₹ 1,76.36 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,52.11 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 37.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)				
6.	4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 003 प्रशिक्षण 01 अग्निशमन सेवा हेतु विभिन्न उपकरण (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 3,42.00}	3,42.00	19.69	-3,22.31

₹ 3,22.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
10 विभिन्न जिलों में गैरेज, आवास, चहारदिवारी, प्रशिक्षण केन्द्र, भवन, बैरक, बिजली मोटर, जलापूर्ति, शौचालय, पार्क, प्रेक्षागृह/ट्रेनेज इत्यादि का निर्माण (योजना)			
मूल	75.00}
पुनर्वि०	-75.00}		

₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852	उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,26,90,45}	3,53,13,39	1,95,72,08	-1,57,41,31
अनुपूरक	1,26,22,94}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,57,91,48
(अगस्त 2011	:	85,60,10		
दिसम्बर 2011	:	41,11,31		
31 मार्च 2012	:	31,20,07)		

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 1,57,41.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 84,37.96 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 41,52.47 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 32.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,26,22.94 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,57,91.48 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,57,41.31 लाख) से ₹ 50.17 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 103 हस्तकरघा उद्योग 02 समेकित हस्तकरघा विकास योजना- हैण्डलूम कलस्टर विकास हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00}			
	अनुपूरक 6,00.00}	2,94.25	2,94.25	...
	पुनर्वि० -9,05.75}			
₹ 9,05.75 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 6,00.00 लाख) एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में योजना की स्वीकृति दिये जाने (₹ 3,05.75 लाख) के कारण हुई थी।				
2.	03 समेकित हस्तकरघा- हैण्डलूम ग्रुप संचालन- सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}			
	अनुपूरक 1,00.00}	1,00.00	1,00.00	...
	पुनर्वि० -1,00.00}			
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	11 समेकित हस्तकरघा विकास की योजना- हैण्डलूम-कलस्टर विकास हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 50.00}	15.48	15.48	...
	पुनर्वि० -84.52}			

₹ 84.52 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 50.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 34.52 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
4.	104 04 हस्तशिल्प उद्योग हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)				
	मूल	1,03.00}	72.96	72.96	...
	पुनर्वि०	-30.04}			

₹ 30.04 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11.00 लाख की बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 19.04 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

5.	107 03 रेशम उत्पादन उद्योग डिजाईन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग केन्द्र/ अनुसंधान विकास केन्द्र (योजना)				
	मूल	4,00.00}			
	अनुपूरक	4,00.00}	4,00.00	4,00.00	...
	पुनर्वि०	-4,00.00}			

₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने के कारण हुई थी।

6.	08 स्थानीय तसर प्रजातियों का संरक्षण एवं विकास (योजना)				
	मूल	5,42.00}	4,06.17	4,06.17	...
	पुनर्वि०	-1,35.83}			

₹ 1,35.83 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।

7.	10 रेशम के विकास की योजना- आधारभूत संरचना का विकास (योजना)				
	मूल	3,80.00}	2,98.94	2,98.94
	पुनर्वि०	-81.06}			

₹ 81.06 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 74.42 लाख की बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.64 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	12 सिल्क दूतों के माध्यम से न्यूक्लीयस सीड रेयरिंग (योजना)			
	मूल 3,60.00}	2,10.32	2,10.32	...
	पुनर्वि० -1,49.68}			
<p>₹ 1,49.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 86.48 लाख) योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 60.00 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
9.	14 रेशम के विकास- वृक्ष रोपण (योजना)			
	मूल 15.00}			
	अनुपूरक 15.00}	3.60	8.47	+4.87
	पुनर्वि० -26.40}			
<p>₹ 26.40 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 15.00 लाख) एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 11.40 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 4.87 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
10.	16 रेशम के विकास की योजना- केन्द्रीय परियोजना हेतु मैचिंग ग्रांट (योजना)			
	मूल 12,00.00}	4,84.60	5,28.10	+43.50
	पुनर्वि० -7,15.40}			

₹ 7,15.40 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान किये जाने (₹ 5,39.01 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 1,76.39 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 43.50 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	29 तसर कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,50.00}			
	अनुपूरक 3,50.00}	1,04.97	1,04.97	...
	पुनर्वि० -5,95.03}			

₹ 5,95.03 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,92.41 लाख की बचत (i) निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 3,50.00 लाख), (ii) योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 1,08.00 लाख) एवं (iii) व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 34.41 लाख) ₹ 1,02.62 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता (योजना)			
	मूल 3,50.00}			
	अनुपूरक 3,50.00}	3,50.00	3,50.00	...
	पुनर्वि० -3,50.00}			

₹ 3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने के कारण हुई थी।

13.	06 रेशम का विकास (योजना)			
	मूल 1,88.00}	1,34.31	1,34.31	...
	पुनर्वि० -53.69}			

₹ 53.69 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 18.96 लाख की बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 34.73 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

14.	07 बांस सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}			
	अनुपूरक 25.00}	24.45	24.45	...
	पुनर्वि० -25.55}			

₹ 25.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 25.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	17 बुनकरों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 35.00}	13.47	13.47	...
	पुनर्वि० -21.53}			
<p>₹ 21.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 21.50 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
16.	26 सिल्क दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 5,21.00}	3,36.85	3,36.85	...
	पुनर्वि० -1,84.15}			
<p>₹ 1,84.15 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,54.68 लाख की बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 1,30.00 लाख) एवं व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 24.68 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 29.47 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
17.	28 मलवारी कीटपालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	21.36	21.36	...
	अनुपूरक 1,50.00}			
	पुनर्वि० -2,78.64}			

₹ 2,78.64 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,69.89 लाख की बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 1,50.00 लाख) एवं व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 1,19.89 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 8.75 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	29 तसर कीटपालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,00.00}			
	अनुपूरक 7,00.00}	1,77.82	1,77.82	...
	पुनर्वि० -12,22.18}			

₹ 12,22.18 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11,35.28 लाख की बचत (i) निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 7,00.00 लाख), (ii) योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 2,20.00 लाख) एवं (iii) व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 2,15.28 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 86.90 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

19.	33 आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (योजना)			
	मूल 9,77.00}	8,00.20	8,00.20	...
	पुनर्वि० -1,76.80}			

क्रमशः निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 1,26.80 लाख प्रत्याशित की बचत हुई।

20.	34 स्थानीय तसर प्रजातियों का संरक्षण एवं विकास (योजना)			
	मूल 1,70.00}	1,23.95	1,23.95	...
	पुनर्वि० -46.05}			

₹ 46.05 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।

21.	36 हस्तकरघा विकास की योजना- झारखण्ड रेशम वस्त्र हस्तशिल्प विकास निगम हेतु प्रबंधकीय अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	3,00.00	...
	अनुपूरक 3,00.00}			
	पुनर्वि० -3,00.00}			

₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	46 रेशम का विकास- रेशम दूतों के माध्यम से न्यूक्लीयस स्पीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,27.12	1,27.12	...
	पुनर्वि० -72.88}			
<p>₹ 72.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 69.97 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
23.	47 रेशम का विकास- पोस्ट कोकून का विकास (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,45.00	2,45.00	...
	पुनर्वि० -55.00}			
<p>₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
24.	48 रेशम का विकास- रेशम उत्पादकों को प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	91.50	91.50	...
	पुनर्वि० -28.50}			
<p>₹ 28.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 16.36 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 9.98 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
25.	49 रेशम का विकास-वृक्षरोपण सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 40.00}			
	अनुपूरक 40.00}	18.00	18.00	...
	पुनर्वि० -62.00}			
<p>₹ 62.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 40.00 लाख) एवं व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 20.20 लाख) के कारण हुई थी।</p>				

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
26.	2852 उद्योग				
	80 सामान्य				
	102 औद्योगिक उत्पादकता				
	10 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)				
	मूल 7,00.00}				
	अनुपूरक 7,00.00}	2,00.00	2,00.00	...	
	पुनर्वि० -12,00.00}				
<p>₹ 12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 7,00.00 लाख) एवं व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 5,00.00 लाख) के कारण हुई थी।</p>					
27.	30 सूद अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)				
		मूल 1,50.00}			
		अनुपूरक 6,85.92}	6,16.36	6,16.36	...
		पुनर्वि० -2,19.56}			
<p>₹ 2,19.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>					
28.	42 प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटि रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य- सहायक अनुदान (योजना)				
		मूल 30.00}			
		अनुपूरक 30.00}	7.50	7.50	...
		पुनर्वि० -52.50}			

₹ 52.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 30.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 22.50 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,50.00}			
	अनुपूरक 7,50.00}	7,25.61	7,25.61	...
	पुनर्वि० -7,74.39}			
<p>₹ 7,74.39 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,50.00 लाख की बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 24.39 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
30.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)			
	मूल 23,00.00}			
	अनुपूरक 23,00.00}	3,82.94	3,82.94	...
	पुनर्वि० -42,17.06}			
<p>₹ 42,17.06 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 23,00.00 लाख), व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान किये जाने (₹ 19,00.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 17.06 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
31.	30 सूद अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	27.90	27.90	...
	पुनर्वि० -1,22.10}			
<p>₹ 1,22.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
32.	52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,50.00}			
	अनुपूरक 7,50.00}	2,17.10	2,17.10	...
	पुनर्वि० -12,82.90}			
<p>₹ 12,82.90 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12,66.00 लाख की बचत निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 7,50.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 5,16.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 16.90 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 01 लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 50.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 50.00 लाख) के केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने/योजना की स्वीकृति नहीं मिलने (₹ 50.00 लाख) के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	01 लघु उद्योगों के लिये कलस्टर विकास योजना (योजना)			
	मूल 3,00.00}			
	अनुपूरक 3,00.00}
	पुनर्वि० -6,00.00}			
निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 3,00.00 लाख) एवं व्यय की सम्भावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 3,00.00 लाख) के कारण ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	103 हस्तकरघा उद्योग 04 समेकित हस्तकरघा- मार्केटिंग इन्सैटिव सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10.00}			
	अनुपूरक 10.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 10.00 लाख) तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 10.00 लाख) के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	05 समेकित हस्तकरघा- हस्तकरघा संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10.00}			
	अनुपूरक 10.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 10.00 लाख) एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 10.00 लाख) के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	07 बुनकर सेवा केन्द्र/आइ.आई.एच.टी. की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}			
	अनुपूरक 30.00}
	पुनर्वि० -60.00}			
निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 30.00 लाख) एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 30.00 लाख) के कारण ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
6.	06 कृत्रिम ज्वेलरी प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 19 छोटानागपुर क्षेत्र हस्तशिल्प इकाई एवं इंदिरा गाँधी प्राथमिक योजना (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

8.	2852 उद्योग 80 सामान्य 102 औद्योगिक उत्पादकता 03 फूड पार्क/नौलेज पार्क की स्थापना- भूअर्जन सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	अनुपूरक 1,00.00}			
	पुनर्वि० -2,00.00}			

व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 1,00.00 लाख) एवं निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 1,00.00 लाख) के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	07 एसाइड योजना हेतु राज्यांश सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० -4,00.00}			

व्यय की संभावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिये प्रावधान किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) एवं निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	19 उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	10.00}		
	अनुपूरक	10.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		

निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 10.00 लाख) एवं योजना की स्वीकृति नहीं मिलने (₹ 10.00 लाख) के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

11.	53 कैपिटिव ऊर्जा उत्पादन अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनदुन (योजना)			
	मूल	10.00}		
	अनुपूरक	10.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		

निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 10.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्ध्यय में कटौती किये जाने (₹ 10.00 लाख) के कारण 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 53 कैपिटिव ऊर्जा उत्पादन अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनदुन (योजना)			
	मूल	10.00}		
	अनुपूरक	10.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		

निधि का आवंटन गलत प्राथमिक इकाई में किये जाने (₹ 10.00 लाख) एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्ध्यय में कटौती किये जाने (₹ 10.00 लाख) के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2220	सूचना तथा प्रचार			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	45,15,63}	57,77,83	46,39,96	-11,37,87
अनुपूरक	12,62,20}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,44,93
(फरवरी 2012	: 4,50,00			
31 मार्च 2012	: 6,94,93)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 11,37.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 12,62.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,44.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,37.87 लाख) से ₹ 7.06 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2220 सूचना तथा प्रचार			
	01 फिल्म			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 4,64.34}			
	अनुपूरक 12.20}	3,53.28	3,53.27	-0.01
	पुनर्वि० -1,23.26}			

₹ 1,23.26 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 89.07 लाख की बचत (i) निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 42.00 लाख), (ii) बकाये का भुगतान नहीं होने एवं सेवानिवृति (₹ 45.07 लाख) एवं (iii) बकाये के भुगतान में प्रक्रियात्मक विलम्ब (₹ 2.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 34.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
2.	02 जिला मोबाईल इकाई (गैर-योजना)			
	मूल 8,51.61}	4,94.54	4,59.04	+9.50
	पुनर्वि० -4,02.07}			

₹ 4,02.07 लाख की प्रत्याशित बचत (i) निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 3,00.00 लाख), (ii) एस०टी०डी० सुविधाओं का उपभोग नहीं किये जाने, सरकारी भवन में कार्यालय स्थानांतरित होने एवं विद्युत विपत्र इत्यादि प्राप्त नहीं होने (₹ 1,02.07 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 9.50 लाख की अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	03 क्षेत्रीय प्रचार योजना सूचना भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	85.00	85.00	...
	पुनर्वि० -15.00}			

₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलन में तकनीकी त्रुटि के कारण हुई थी।

4.	04 क्षेत्रीय प्रचार योजना- टेलीविजन सेट, माईक, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय (योजना)			
	मूल 40.00}	24.75	24.15	-0.60
	पुनर्वि० -15.25}			

₹ 15.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 क्षेत्रीय प्रचार योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	50.10	50.05	-0.05
	पुनर्वि० -39.90}			

₹ 39.90 लाख की प्रत्याशित बचत चालक की अनुपलब्धता के फलस्वरूप नई मोटरगाड़ी के क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	04 क्षेत्रीय प्रचार योजना- टेलीविजन सेट, माईक, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय (योजना)			
	मूल 60.00}	27.19	26.00	-1.19
	पुनर्वि० -32.81}			

₹ 32.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

7.	2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 15 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 49.68}	25.97	25.97	...
	पुनर्वि० -23.71}			

₹ 23.71 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों का अन्य विभागों में पदस्थापन एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2220 सूचना तथा प्रचार 60 अन्य 106 क्षेत्र प्रचार 10 क्षेत्रीय प्रचार योजना- नई मोटरगाड़ी का क्रय (योजना)			
	मूल 70.00}
	पुनर्वि० -70.00}			

नई मोटरगाड़ी का क्रय क्रियाविधि की अनुपलब्धता एवं कार्य बल के कारण ₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	11	क्षेत्रीय प्रचार योजना- सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (योजना)		
		मूल 30.00}
		पुनर्वि० -30.00}		...

सामुदायिक रेडियो के लिए चिह्नित प्रमंडल संचाल परगना में विशेषज्ञ संस्था की अनुपलब्धता के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)		
		मूल 2,00.00}
		पुनर्वि० -2,00.00}		...

(i) तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने (₹ 1,50.00 लाख) एवं (ii) प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने (₹ 50.00 लाख) के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

4.	07	क्षेत्रीय प्रचार योजना- जन संचार संस्थान की स्थापना (योजना)		
		मूल 25.00}
		पुनर्वि० -25.00}		...

निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

5.	09	क्षेत्रीय प्रचार योजना- सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना (योजना)		
		मूल 25.00}
		पुनर्वि० -25.00}		...

पुस्तकालय की स्थापना के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ₹ 25.00 के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	11 क्षेत्रीय प्रचार योजना- जनसंचार हेतु छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	13 क्षेत्रीय प्रचार योजना- प्रेस क्लब की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
कोषागार से राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	14 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

प्रक्रियात्मक कार्रवाई एवं कोषागार द्वारा राशि की निकासी हेतु प्राधिकार की आवश्यकता बताये जाने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 25 - सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	3,84,09}	3,94,74	1,51,85	-2,42,89
अनुपूरक	10,65}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,43,05
(28 मार्च 2012	: 2,39,44			
31 मार्च 2011	: 3,61)			
पूँजी :				
मूल	शून्य}	14,70,00	14,70,11	+11
अनुपूरक	14,70,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 2,42.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 (₹ 4.50 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 6.15 लाख) में प्राप्त किया गया 10.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमांत

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 10 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (गैर-योजना)			
	मूल 1,37.39}	61.08	61.24	+0.16
	अनुपूरक 10.65}			
	पुनर्वि० -86.96}			

₹ 86.80 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2. 19 सांस्थिक वित्त विभाग
(गैर-योजना)

	मूल 2,46.70}	90.61	90.61	...
	पुनर्वि० -1.56.09}			

₹ 1,56.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूजी :

(iii) अनुदान से ₹ 11,160; अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230	श्रम तथा रोजगार			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	8,21,04,43}	8,51,69,78	6,58,62,58	-1,93,07,20
अनुपूरक	30,65,35}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,88,58,75
(18 अगस्त 2011	: 8,23			
13 दिसम्बर 2011	: 2,00,00			
मार्च 2012	: 38,49,32			
31 मार्च 2012	: 1,48,01,20)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,93,07.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 2,22.65 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 18,23.09 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 10,19.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,65.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,88,58.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,93,07.20 लाख) से ₹ 4,48.45 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,80.04 लाख, ₹ 4,42.53 लाख एवं ₹ 5,16.34 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 1,19,98.12 लाख, ₹ 58,49.28 लाख एवं ₹ 1,72,86.20 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	02 कर्मचारी राज्य बीमा योजना (गैर-योजना)			
	मूल 16,57.80}			
	अनुपूरक 14.82}	10,77.03	10,67.76	-9.27
	पुनर्वि० -5,95.59}			

₹ 5,95.59 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,00.00 लाख की बचत (i) ए०सी०पी० का अनुमोदन नहीं होने एवं पुनरीक्षित वेतन का सत्यापन नहीं होने (₹ 3,00.00 लाख) एवं (ii) बिहार में योगदान देने हेतु बिरमित किये जाने एवं कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु (₹ 2,00.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 95.59 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 9.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 श्रमायुक्त (गैर-योजना)			
	मूल 2,09.83}			
	अनुपूरक 1.50}	1,12.58	1,12.58	...
	पुनर्वि० -98.75}			

₹ 98.75 लाख की प्रत्याशित बचत श्रमायुक्त तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	101 औद्योगिक संबंध			
	05 औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 3,07.71}			
	अनुपूरक 14.55}	1,75.57	1,75.57	...
	पुनर्वि० -1,46.69}			
<p>₹ 1,46.69 लाख की प्रत्याशित बचत पीठासीन अधिकारियों एवं समुह 3 एवं 4 कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।</p>				
4.	06 श्रम कानूनों का प्रर्वतन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 3,19.51}			
	अनुपूरक 43.13}	2,61.94	2,57.00	-4.94
	पुनर्वि० -1,00.70}			
5.	07 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (गैर-योजना)			
	मूल 10,84.96}			
	अनुपूरक 1.71}	9,95.39	9,93.11	-2.28
	पुनर्वि० -91.28}			
6.	102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा			
	01 स्टीम बायलर के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 1,03.79}			
	अनुपूरक 2.61}	70.98	70.98	...
	पुनर्वि० -35.42}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	02 कारखानों के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.81}			
	अनुपूरक 1.94}	3,68.56	3,68.52	-0.04
	पुनर्वि० -1,34.19}			
8.	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (गैर-योजना)			
	मूल 2,89.68}			
	अनुपूरक 0.20}	2,01.27	2,01.47	+0.20
	पुनर्वि० -88.61}			
<p>उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,00.70 लाख, ₹ 91.28 लाख, ₹ 35.42 लाख, ₹ 1,34.19 लाख तथा ₹ 88.61 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।</p>				
9.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 12,00.00}	4,25.62	4,25.62	...
	पुनर्वि० -7,74.38}			
<p>क्रमशः स्मार्ट कार्ड नहीं बनाने के कारण ₹ 2,69.85 लाख की प्रत्याशित बचत हुई तथा अगले वर्ष में स्मार्ट कार्ड बनाये जाने के कारण ₹ 4.53 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5.00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
10.	111 श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा 01 झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन नियमावली, 2006) के अन्तर्गत कल्याण बोर्ड का क्रियाकलाप एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 5,74.18}	5,74.18	17.24	-5,56.94

₹ 5,56.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	1,88.83	1,88.83	...
	पुनर्वि० -4,11.17}			

₹ 4,11.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11.17 लाख की बचत स्मार्ट कार्ड नहीं बनाने के कारण हुई थी। ₹ 4,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

12.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01 बाल श्रमिक आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	12.79	12.79	...
	पुनर्वि० -37.21}			
13.	02 श्रमायुक्त के अधीनस्थ नये राजपत्रित पदों का सृजन (योजना)			
	मूल 50.00}	6.82	7.78	+0.96
	पुनर्वि० -43.18}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 37.21 लाख एवं ₹ 43.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

14.	07 बीड़ी मजदूरों के लिये अस्पताल निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	12.32	12.32	...
	पुनर्वि० -37.68}			

₹ 37.68 लाख की प्रत्याशित बचत संबंधित उपायुक्तों द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 12,00.00}	6,83.02	6,83.02	...
	पुनर्वि० -5,16.98}			
<p>₹ 5,16.98 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 16.98 लाख की प्रत्याशित बचत स्मार्ट कार्ड नहीं बनाने के कारण हुई थी। ₹ 5,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
16.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 36.75}	10.25	10.19	-0.06
	पुनर्वि० -26.50}			
17.	38 झारखंड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैंटीन की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	30.00	30.00	...
	पुनर्वि० -70.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 26.50 लाख एवं ₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
18.	02 रोजगार सेवाएं 101 रोजगार सेवाएं 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 83.40}	37.02	37.07	+0.05
	पुनर्वि० -46.38}			

₹ 46.38 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पदों के विरुद्ध राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने तथा जिला रोजगार नियोजनालय को उप क्षेत्रीय रोजगार नियोजनालय में उत्क्रमित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	04 रोजगार कार्यालय का स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 8,78.00}	6,01.85	6,02.28	+0.43
	पुनर्वि० -2,76.15}			
	₹ 2,76.15 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।			
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 2,59.60}	1,56.85	1,55.66	-1.19
	पुनर्वि० -1,02.75}			
	₹ 1,02.75 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
21.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 5,00.00}	2,65.74	2,69.94	+4.20
	पुनर्वि० -2,34.26}			
22.	101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासन-राज्य (गैर-योजना)			
	मूल 25,40.65}	12,09.12	12,05.34	-3.78
	अनुपूरक 20.66}			
	पुनर्वि० -13,52.19}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,34.26 लाख एवं ₹ 13,52.19 लाख की प्रत्याशित बचत व्यावसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी। क्रम सं० 21 के अन्तर्गत ₹ 4.20 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण 01 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 99.56}	66.70	66.75	+0.05
	पुनर्वि० -32.86}			

₹ 32.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सृजित पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का पदस्थापना नहीं किये जाने (₹ 31.68 लाख) के कारण हुई थी।

24.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 96.53}	56.55	48.55	-8.00
	पुनर्वि० -39.98}			

₹ 39.98 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 8.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

25.	12 कन्सलटेन्सी (योजना)			
	मूल 50.00}	4.19	4.19	...
	पुनर्वि० -45.81}			

₹ 45.81 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 8.23 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति वर्ष के अन्त में दिये जाने के कारण हुई थी। ₹ 37.58 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
26.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	3,16.00	3,09.50	-6.50
	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 6,40.00} पुनर्वि० -3,24.00}			
27.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	1,43.60	1,37.80	-5.80
	02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 3,00.00} पुनर्वि० -1,56.40}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,30.50 लाख एवं ₹ 1,62.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
28.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (गैर-योजना)	1,27.70	1,27.70	...
	मूल 4,26.48} पुनर्वि० -2,98.78}			

राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों का स्थानान्तरण किये जाने के कारण ₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,78.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 10,60.00}	4,77.30	4,61.81	-15.49
	पुनर्वि० -5,82.70}			
₹ 5,98.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
30.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 11,22.28}	3,03.12	3,01.42	-1.70
	पुनर्वि० -8,19.16}			
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों का स्थानान्तरण किये जाने के कारण ₹ 1,72.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 6,46.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
31.	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 01 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 8,36.24}	5,40.36	5,40.37	+0.01
	अनुपूरक 1.18}			
	पुनर्वि० -2,97.06}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
32.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
	08 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,62.05}			
	अनुपूरक 7.33}	1,39.03	1,41.56	+2.53
	पुनर्वि० -30.35}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,97.06 लाख एवं ₹ 30.35 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। क्रम सं० 32 के अन्तर्गत ₹ 2.53 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

33.	11 सचिवालय भोजशाला स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 59.94}	34.43	34.43	...
	पुनर्वि० -25.51}			

₹ 25.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2230 श्रम तथा रोजगार			
	03 प्रशिक्षण			
	003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60.00}
	पुनर्वि० -60.00}			

केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने की योजना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
3.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचों का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 8,12.00}
	पुनर्वि० -8,12.00}			
<p>राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण ₹ 8,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
4.	40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
<p>₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
5.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्ल्यू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,05.48}
	पुनर्वि० -5,05.49}			

राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण ₹ 5,05.49 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्ल्यू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 7,75.00}
	पुनर्वि० -7,75.00}			
<p>₹ 7,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,50.00 लाख की बचत राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6,25.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
<p>केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने की योजना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
9.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचों का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 8,12.00}
	पुनर्वि० -8,12.00}			

राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण ₹ 8,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2012)।				
11.	42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 5,70.00}	2,79.64	...	-2,79.64
	पुनर्वि० -2,90.36}			
₹ 2,90.36 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,10.00 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,80.36 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,79.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
12.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 5,05.49}
	पुनर्वि० -5,05.49}			
राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण ₹ 5,05.49 के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
13.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 7,75.00}
	पुनर्वि० -7,75.00}			

₹ 7,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,50.00 लाख की बचत राज्य सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 6.25.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	45 दक्षता विकास के लिये योजना का शुरुआत (के०यो०यो०)			
	अनुपूर्क 1,82.83}	1,82.83	...	-1,82.83

₹ 1,82.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 5,00.00}	2,10.88	2,40.71	+29.83
	पुनर्वि० -2,89.12}			

₹ 2,89.12 लाख की प्रत्याशित बचत व्यावसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 29.83 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 28,01.12}	23,21.63	25,09.71	+1,88.08
	पुनर्वि० -4,79.49}			

राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 2,36.61 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,42.88 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,88.08 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 6,95.72}	3,83.54	3,99.15	+15.61
	पुनर्वि० -3,12.18}			
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 1,50.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,62.06 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 15.61 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 19,18.17}	16,11.70	16,61.35	+49.65
	पुनर्वि० -3,06.47}			
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,96.47 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 49.65 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 17,16.30}	8,79.52	9,52.97	+73.45
	पुनर्वि० -8,36.78}			
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,16.78 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 73.45 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 50,47.79}	40,94.96	41,61.68	+66.72
	पुनर्वि० -9,52.83}			
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 53.38 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,99.45 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 66.72 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 45,16.50}	29,51.45	30,51.07	+99.62
	पुनर्वि० -15,65.05}			

राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशनरों के स्थानान्तरण के कारण ₹ 7,47.48 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,17.57 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 99.62 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			

राजस्व :

मूल	1,76,94,46}	2,07,95,83	1,63,72,47	-44,23,36
अनुपूरक	31,01,37}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012) 44,53,87

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 44,23.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 3,35.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 25,73.87 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1,92.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 31,01.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 44,53.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 44,23.36 लाख) से ₹ 30.51 लाख अधिक था।
- (iii) शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 01-सिविल और सेशन न्यायालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,08.41 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 1,55,95.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2014 न्याय प्रशासन			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			
1.	02 फास्ट ट्रैक कोर्ट (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	3,35.00}	2,62.72	2,09.82
	पुनर्वि०	-72.28}		-52.90

₹ 72.28 लाख की प्रत्याशित बचत पीठासीन पदाधिकारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 52.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता 02 निर्धनों को कानूनी सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 2,08.05}			
	अनुपूरक 2.50}	1,10.03	1,09.78	-0.25
	पुनर्वि० -1,00.52}			
₹ 1,00.52 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।				
3.	03 सरकारी मुकदमें (गैर-योजना)			
	मूल 1,94.00}			
	अनुपूरक 65.00}	2,44.38	2,25.59	-18.79
	पुनर्वि० -14.62}			
₹ 14.62 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ वकीलों द्वारा विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 18.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	04 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडिशियल अकादमी) (गैर-योजना)			
	मूल 1,35.90}	67.09	67.28	+0.19
	पुनर्वि० -68.81}			

₹ 68.81 लाख की प्रत्याशित बचत ज्यूडिशियल अकादमी में पदों के रिक्त रहने (₹ 34.77 लाख) एवं आर्थिक मितव्ययिता के उपायों (₹ 34.04 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	06 स्थायी लोक अदालत- अध्यक्ष एवं सदस्य के लिये दैनिक शुल्क (गैर-योजना)			
	मूल 1,25.00}			
	अनुपूरक 96.00}	1,56.88	1,61.95	+5.07
	पुनर्वि० -64.12}			

₹ 64.12 लाख की प्रत्याशित कुछ लोक अदालतों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 5.07 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

6.	116 राज्य प्रशासनिक अधिकरण 01 विधि आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 63.40}	5.74	5.57	-0.17
	पुनर्वि० -57.66}			

₹ 57.66 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार में विलम्ब एवं अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष के अन्त में किये जाने (₹ 47.16 लाख) तथा मितव्ययिता (₹ 10.50 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2014 न्याय प्रशासन 105 सिविल और सेशन न्यायालय 04 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला जजों के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)			
	मूल 2,19.26}
	पुनर्वि० -2,19.26}			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	05	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गठित प्रातःकालीन/सायंकालीन कोर्ट (गैर-योजना)		
	मूल	16,52.40}
	पुनर्वि०	-16,52.40}
3.	06	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट बिल्डिंग हेतु (गैर-योजना)		
	मूल	2,97.40}
	पुनर्वि०	-2,97.40}
4.	114 08	विधि सलाहकार और परामर्शदाता 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ए०डी०आर०केन्द्र में मध्यस्थों/सुलहकर्ताओं को प्रशिक्षण (गैर-योजना)		
	मूल	5,97.80}
	पुनर्वि०	-5,97.80}
5.	09	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ज्यूडीशियल अकादमी के आधारभूत संरचना हेतु (गैर-योजना)		
	मूल	3,00.00}
	पुनर्वि०	-3,00.00}

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	10	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों/ लोक अभियोजकों को जुडीशियल अकादमी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण (गैर-योजना)		
	मूल	2,64.40}
	पुनर्वि०	-2,64.40}		
7.	11	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मेगा लोक अदालत एवं वैधिक सहायता (गैर-योजना)		
	मूल	1,98.80}
	पुनर्वि०	-1,98.80}		

उपर्युक्त सात मामलों में विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**विनियोग संख्या - 28 - झारखण्ड उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2014	न्याय प्रशासन			
राजस्व :				
मूल	37,47,54}	42,17,36	36,86,28	-5,31,08
अनुपूरक	4,69,82}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				5,49,45

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 5,31.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 2,78.10 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 1,44.72 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 47.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,69.82 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,49.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,31.08 लाख) से ₹ 18.37 लाख अधिक था।
- (iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102	उच्च न्यायालय			
02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)			
मूल	19.94}
पुनर्वि०	-19.94}			

विधि मंत्रालय द्वारा निधि को विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 19.94 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 28 - क्रमांत

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
102 उच्च न्यायालय				
01 उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना)				
मूल	37,27.60}	36,67.91	36,86.28	+18.37
अनुपूरक	4,69.82}			
पुनर्वि०	-5,29.51}			

₹ 5,29.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः उच्च न्यायालय, राँची के माननीय न्यायाधीशों का पद रिक्त रहने (₹ 4,94.23 लाख) एवं आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों (₹ 80.28 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 18.37 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	26,26,40}	26,70,23	18,48,42	-8,21,81
अनुपूरक	43,83}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,46,47
(20 मार्च 2012 : 33,95				
31 मार्च 2012 : 2,12,52)				

पूंजी :

मूल	50,00}	50,00	...	- 50,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
------------------------------	--	--	--	-------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 8,21.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 43,83 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,46.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,21.81 लाख) से ₹ 5,75.34 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमशः

(iii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन और प्रशासन 01 खनन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 13,12.23}			
	अनुपूरक 42.48}	13,54.71	8,82.26	-4,72.45
2.	01 खनन स्थापना (योजना)			
	मूल 1,90.00}	1,90.00	94.67	-95.33
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,72.45 लाख एवं ₹ 95.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	102 खनिज खोज 01 भूतात्विक स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 8,09.50}			
	अनुपूरक 1.35}	6,85.35	6,82.69	-2.66
	पुनर्वि० -1,25.50}			
4.	02 भूतात्विक वेधन एवं प्रयोगात्मक कार्य (योजना)			
	मूल 1,60.00}			
	पुनर्वि० -78.36}	81.64	76.73	-4.91

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,28.16 लाख एवं ₹ 83.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 04 खान एवं भूतत्व विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,54.67}	1,12.06	1,12.06	...
	पुनर्वि० -42.61}			

₹ 42.61 लाख की प्रत्याशित बचत बिहार संवर्ग का बंटवारा/सेवानिवृत्ति/मृत्यु/कर्मचारियों का स्थानांतरण, सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालने एवं कर्मचारियों की कमी के कारण हुई थी।

पूँजी :

- (iv) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (v) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय			
02 अलौह धातु			
004 अनुसंधान तथा विकास			
01 खनन स्थापना - मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
मूल 50.00}	50.00	...	-50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,39,91}	1,48,21	1,21,43	-26,78
अनुपूरक	8,30}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 26,54

पूंजी :

मूल	1,08,50,11}	1,60,43,04	70,45,65	-89,97,39
अनुपूरक	51,92,93}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 80,47,85
(अगस्त 2011 : 50,46,11
6 जनवरी 2012 : 6,60,00
31 मार्च 2012 : 23,41,74)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 26.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 5.75 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 2.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 5.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान 01 झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 9.25}	3.17	3.17	...
	पुनर्वि० -6.08}			
₹ 6.08 लाख की प्रत्याशित बचत झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने एवं माननीय अध्यक्ष महोदय को दर्जा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
2.	02 झारखंड राज्य हज समिति को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 36.53}	30.01	30.01	...
	पुनर्वि० -6.52}			
₹ 6.52 लाख की प्रत्याशित बचत झारखंड राज्य हज समिति में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 13 झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 79.75}	75.93	75.69	-0.24
	अनुपूरक 8.30}			
	पुनर्वि० -12.12}			
₹ 12.12 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

पूँजी :

(iii) ₹ 89.97.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 40,00.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 6,60.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 5,32.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 51,92.93 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 80,47.85), अंतिम बचत (₹ 89,97.39 लाख) से ₹ 9,49.54 लाख कम था।

(v) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	02 अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु साईकिल योजना (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,02.95	4,02.98	+0.03
	पुनर्वि० -97.05}			
₹ 97.05 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
2.	04 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए व्याससायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	27.39	-22.61
₹ 22.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 30,00.00}	12,67.98	12,63.27	-4.71
	पुनर्वि० -17,32.02}			

₹ 17,32.02 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 6,14.00}	1,45.05	1,45.22	+0.17
	पुनर्वि० -4,68.95}			

₹ 4,68.95 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से पर्याप्त निधि विमुक्त नहीं होने एवं राज्यांश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव के कारण हुई थी।

5.	16 अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 4,00.00}	4,00.00	3,48.68	-51.32

₹ 51.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 04 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 07 अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान (के०यो०यो०)			
	मूल 4,00.00}
	पुनर्वि० -4,00.00}			
उपशीर्ष का गलत नामकरण के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	07 अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	08 हज हाऊस का निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 46,46.11}
	पुनर्वि० -46,46.11}			
उपशीर्ष का गलत नामकरण के कारण ₹ 46,46.11 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	08 हज हाउस का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,14.00}	6,14.00	...	-6,14.00
₹ 6,14.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	10 छात्रावासों-बर्तन उपस्करण एवं टी०वी० (के०यो०यो०)			
	मूल 60.00}			
	अनुपूरक 6,00.00}
	पुनर्वि० -6,60.00}			
उपशीर्ष का गलत नामकरण के कारण ₹ 6,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के सहायतार्थ (योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	...	-2,25.00
8.	14 आय वृद्धि परिसम्पत्ति हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,25.00 लाख एवं ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	9,57}	17,07	2,41	-14,66
अनुपूरक	7,50}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				14,66

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 14.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 7.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
090	सचिवालय			
22	संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)			
मूल	9.57}			
अनुपूरक	7.50}	2.41	2.41	...
पुनर्वि०	-14.66}			

₹ 14.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 32 - विधान मंडल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
मुख्य शीर्ष				
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
राजस्व :				
दत्तमत:				
मूल	40,83,20}	45,83,95	41,57,35	-4,26,60
अनुपूरक	5,00,75}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				4,31,10

प्रभारित :

मूल	18,00}	25,00	13,28	-11,72
अनुपूरक	7,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				11,72

टीका एवं टिप्पणियाँ:

दत्तमत :

(i) ₹ 4,26.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 5.00 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 4,95.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,31.10 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,26.60 लाख) से ₹ 4.50 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, 103-विधानमंडल सचिवालय, 01-विधान सभा सचिवालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,69.13 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 28,22.35 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	02 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
	101 विधान सभा			
	04 सचेतकगण का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 46.70}			
	अनुपूरक 40.00}	68.34	68.34
	पुनर्वि० -18.36}			

₹ 18.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माननीय सचेतकगण के निजी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने (₹ 6.33 लाख), मोटर वाहन के उपयोग में मित्तव्ययिता बरतने (₹ 4.80 लाख) एवं एल.टी.सी. के विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने (₹ 0.30 लाख) के कारण हुई थी।

2.	07 सदस्यगण-निःशुल्क रेल भाड़ा एवं कूपन (गैर-योजना)			
	मूल 6,10.00}	4,68.80	4,64.61	-4.19
	पुनर्वि० -1,41.20}			

₹ 1,41.20 लाख की प्रत्याशित बचत कूपन का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	10 सदस्यगण-माननीय सदस्यों के निजी सहायकों का वेतन (गैर-योजना)			
	मूल 74.40}	1,26.17	1,26.17	...
	अनुपूरक 69.00}			
	पुनर्वि० -17.23}			

₹ 17.23 लाख की प्रत्याशित बचत अनुसेवकों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

प्रभारित:

(iv) ₹ 11.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 7.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल			
101 विधान सभा			
01 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, आतिथ्य भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित) (गैर-योजना)			
मूल	18.00}		
अनुपूरक	7.00}	13.28	13.28
पुनर्वि०	-11.72}	

₹ 11.72 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 33 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2220 सूचना एवं प्रचार			

राजस्व :

मूल	13,71,76}	15,52,10	12,29,41	-3,22,69
अनुपूरक	1,80,34}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				3,23,91

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 3,22.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 1,14.14 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 66.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,80.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2051 लोक सेवा आयोग			
	103 कर्मचारी चयन आयोग			
1.	01 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
	मूल			
	90.06}			
	अनुपूरक			
	45.60}	62.48	62.23	-0.25
	पुनर्वि०			
	-73.18}			

₹ 73.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 04 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 5,49.63 }			
	अनुपूरक 42.97 }	5,19.04	5,18.78	-0.26
	पुनर्वि० -73.56 }			
3.	05 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.47 }	63.55	63.55
	पुनर्वि० -36.92 }			
	₹ 36.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
4.	2070 अल्प प्रशासनिक सेवाएं 104 निगरानी 01 लोकायुक्त का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 60.69 }			
	अनुपूरक 78.51 }	1,24.56	1,25.25	+0.69
	पुनर्वि० -14.64 }			

₹ 14.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) लोकायुक्त के कार्यालय में विभिन्न पदों के रिक्त रहने एवं संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं चालक के वेतनमान को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण (₹ 13.93 लाख) तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु समयाभाव (₹ 0.71 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 0.69 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 उप दंडाधिकारी का प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 11.10}	0.50	0.50
	पुनर्वि० -10.60}			
6.	02 श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान, रांची का उन्नयन (योजना)			
	मूल 88.90}	55.44	55.44	...
	पुनर्वि० -33.46}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10.60 लाख एवं ₹ 33.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)				
7.	2220 सूचना तथा प्रचार 60 अन्य 001 निदेशन और प्रशासन 02 राज्य सूचना आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 2,10.51}	1,52.17	1,52.15	-0.02
	अनुपूरक 12.00}			
	पुनर्वि० -70.34}			

₹ 70.34 लाख की प्रत्याशित बचत सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने के कारण हुई थी।

**विनियोग संख्या - 34 - झारखंड लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2051	लोक सेवा आयोग			
राजस्व :				
मूल	4,84,20}	6,14,20	4,38,67	-1,75,53
अनुपूरक	1,30,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,74,98

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,75.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,30.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102	राज्य लोक सेवा आयोग			
01	लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
मूल	4,84.20}			
अनुपूरक	1,30.00}	4,39.22	4,38.67	-0.55
पुनर्वि०	-1,74.98}			

₹ 1,74.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2235	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :				
मूल	2,30,61,20}	4,99,32,18	2,07,53,63	-2,91,78,55
अनुपूरक	2,68,70,98}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,81,62,27
(25 जुलाई 2011 :	9,80,00			
5 नवम्बर 2011 :	58,12,10			
28 फरवरी 2012 :	1,72,50			
31 मार्च 2012 :	2,11,97,67)			

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 2,91,78.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 11,08.08 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 2,55,90.40 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1,72.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,68,70.98 लाख का अनुपूरक पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,81,62.27 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,91,78.55 लाख) से ₹ 10,16.28 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 23-झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (योजना) के अन्तर्गत ₹ 10,00.00 लाख की बचत, जो कि ₹ 1,57,46.00 लाख के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 90 योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 4,61.99}	3,13.52	3,13.63	+0.11
	पुनर्वि० -1,48.47}			
₹ 1,48.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 02 13वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में जिला जीर्णोद्धार राशि के लिये अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	2,00.00	...
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० -2,00.00}			
₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान (वेतन) के अन्तर्गत योजना उद्भव्य का गलत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	03 योजना इकाई का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 4,61.41}	3,43.99	3,42.52	-1.47
	पुनर्वि० -1,17.42}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 झारखंड राज्य योजना पर्वद (योजना)			
	मूल 10,00.00}	38.10	38.91	+0.81
	पुनर्वि० -9,61.90}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,17.42 लाख एवं ₹ 9,61.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	07 ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड (योजना)			
	मूल 5,00.00}			
	अनुपूरक 5,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -5,00.00}			
₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान (वेतन) के अन्तर्गत योजना उद्व्यय का गलत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
6.	11 राज्य योजना के लिए अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 50,00.00}			
	अनुपूरक 1,72.50}	1,72.50	1,72.50	...
	पुनर्वि० -50,00.00}			
₹ 50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के अनुशांसा के आलोक में योजना उद्व्यय का पुनरीक्षण एवं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण हुई थी।				
7.	19 13वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में जिला जीर्णोद्धार राशि के लिये अनुदान (योजना)			
	मूल 2,80.00}			
	अनुपूरक 2,80.00}	2,80.00	2,80.00	...
	पुनर्वि० -2,80.00}			
₹ 2,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान (वेतन) के अन्तर्गत योजना उद्व्यय का गलत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
8.	20 जिला योजना (योजना)			
	मूल 1,49.00}	82.87	82.84	-0.03
	पुनर्वि० -66.13}			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	800 अन्य व्यय 12 जिला योजना (योजना)			
	मूल 1,34.00} पुनर्वि० -78.04}	55.96	55.95	-0.01
10.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	अनुपूरक 54,44.40} पुनर्वि० -43,79.49}	10,64.91	10,64.34	-0.57
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	अनुपूरक 54,00.00} पुनर्वि० -40,90.05}	13,09.95	13,05.92	-4.03
12.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 204 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 02 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 12,58.31} पुनर्वि० -2,46.32}	10,11.99	10,11.99	...
13.	05 प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,85.37} पुनर्वि० -1,52.89}	1,32.48	1,32.48	...

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	15 बी०एस०एल०एल०डी० के अन्तर्गत पायलट स्कीम का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 0.04}			
	अनुपूर्क 1,28.08}	2.25	2.25	...
	पुनर्वि० -1,25.87}			
15.	205 राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी 01 सांख्यिकी यंत्र का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 60.00}	19.46	19.38	-0.08
	पुनर्वि० -40.54}			
उपर्युक्त आठ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
16.	02 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सांख्यिकी तंत्र के लिये अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 4,80.00}	3,98.67	3,89.88	-8.79
	पुनर्वि० -81.33}			
₹ 90.12 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
17.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 85.00}	48.13	47.26	-0.87
	पुनर्वि० -36.87}			
₹ 36.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2053 जिला प्रशासन 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 11 राज्य योजना के लिये अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 6,00.00}
	पुनर्वि० -6,00.00}			
योजना एवं विकास विभाग के अनुशांसा के आलोक में योजना उद्व्यय का पुनरीक्षण एवं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	12 जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेन्सी (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	13 झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (योजना)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
योजना एवं विकास विभाग के अनुशांसा के आलोक में योजना उद्व्यय का पुनरीक्षण एवं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (नागरिक निबन्धन प्रणाली व्यय का सुदृढीकरण) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 24.00}
	पुनर्वि० -24.00}			

₹ 24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	22	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (योजना)		
		मूल 5,00.00}
		पुनर्वि० -5,00.00}		...
<p>₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	800 11	अन्य व्यय राज्य योजना के लिये अनाबद्ध राशि (योजना)		
		अनुपूरक 84,33.00}
		पुनर्वि० -84,33.00}		...
<p>योजना एवं विकास विभाग के अनुशंसा के आलोक में योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण एवं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण ₹ 84,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
7.	14	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (योजना)		
		मूल 3,00.00}
		पुनर्वि० -3,00.00}		...
<p>₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
8.	15	झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (योजना)		
		मूल 12,50.00}
		पुनर्वि० -12,50.00}		...

योजना एवं विकास विभाग के अनुशंसा के आलोक में योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण एवं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण ₹ 12,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,90,99,80}	1,93,88,77	1,86,81,59	-7,07,18
अनुपूरक	2,88,97}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				7,24,21

पूंजी :

मूल	3,00,60,00}	3,00,60,00	2,41,26,29	-59,33,71
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				59,11,84

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 7,07.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 50.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 1,90.00 लाख) और मार्च 2012 (₹ 48.97 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,88.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,24.21 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,07.18 लाख) से ₹ 17.03 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जल पूर्ति, 101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम, 09-स्वर्णरेखा जल पूर्ति योजना (गैर-योजना), 102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (गैर-योजना) एवं 03-हैंड पम्प, टैंक एवं कुआँ-उच्च दबाव ट्यूबवेल (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,50.64 लाख की कुल बचत ₹ 1,17.68 लाख की निवल बचत एवं ₹ 2,75.85 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 24,52.66 लाख, ₹ 33,10.22 लाख एवं ₹ 79,96.60 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जल पूर्ति			
	101 शहरी जल पूर्ति			
	01 आदित्यपुर जलपूर्ति योजना (गैर-योजना)			
	मूल 6,97.15}			
	अनुपूरक 2.50}	6,20.40	6,20.00	-0.40
	पुनर्वि० -79.25}			

निधि के अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 9.65 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 69.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	02 हटिया जल पूर्ति योजना (गैर-योजना)			
	मूल 6,23.45}			
	अनुपूरक 38.00}	5,80.26	5,82.51	-2.25
	पुनर्वि० -81.19}			

₹ 90.20 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी मुख्यतः रेशनिंग द्वारा आपूर्ति के फलस्वरूप जल का कम पंपिंग (₹ 90.00 लाख) के कारण हुई थी जबकि ₹ 9.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि वेतन का भुगतान किये जाने के कारण हुई थी।

पूँजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 59,11.84 लाख), अंतिम बचत (₹ 59,33.71 लाख) से ₹ 21.87 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(v) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01 जल पूर्ति 102 ग्रामीण जल पूर्ति 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (योजना)			
	मूल 43,93.20}	21,54.34	21,35.33	-19.01
	पुनर्वि० -22,38.86}			
2.	03 ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,70.00}	1,55.49	1,49.26	-6.23
	पुनर्वि० -1,14.51}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 22,57.87 लाख एवं ₹ 1,20.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उप नगरीय क्षेत्र में जल पूर्ति (योजना)			
	मूल 10,20.00}	35.73	47.94	+12.21
	पुनर्वि० -9,84.27}			
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (नलकूप एवं कुओं से) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	73.31	76.38	+3.07
	पुनर्वि० -26.69}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,72.06 लाख एवं ₹ 23.62 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 29,24.10}	15,30.11	15,28.84	-1.27
	पुनर्वि० -13,93.99}			
₹ 13,95.26 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	03 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (नलकूप एवं कुओं से) (योजना)			
	मूल 2,75.00}	1,69.40	1,69.60	+0.20
	पुनर्वि० -1,05.60}			
₹ 1,05.40 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरीय क्षेत्रों में जल पूर्ति (योजना)			
	मूल 7,30.00}	1,54.83	1,54.60	-0.23
	पुनर्वि० -5,75.17}			
8.	06 बड़े शहरो में जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 4,50.00}	3,71.15	3,61.49	-9.66
	पुनर्वि० -78.85}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,75.40 लाख एवं ₹ 88.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
101 शहरी जल पूर्ति			
1. 01 त्वरित शहरी जल पूर्ति योजना (के०प्रा०यो०)			
मूल 60.00}
पुनर्वि० -60.00}			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
2. 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
मूल 3,22.70}
पुनर्वि० -3,22.70}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 3,22.70 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

(vii) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष "उचंत" जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2215 जल पूर्ति तथा सफाई					
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	1,14.48	1,14.48
जोड़	1,14.48	1,14.48
4215 जल पूर्ति तथा सफाई					
पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	5.52	5.52
जोड़	5.52	5.52

**अनुदान संख्या - 37 - राजभाषा विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	13,34,04}	15,66,21	15,36,29	-29,92
अनुपूरक	2,32,17}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				29,92

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 29.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,32.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं, 08-राजभाषा का स्थापना के अन्तर्गत ₹ 24.03 लाख की बचत हुई, जो कि ₹ 14,92.97 लाख के कुल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या - 38 - निबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण			
राजस्व :				
मूल	18,30,94}	20,83,94	11,36,34	-9,47,60
अनुपूरक	2,53,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				3,44,93

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 9,47.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,53.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,44.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,47.60 लाख) से ₹ 6,02.67 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01	स्टाम्प-न्यायिक		
	101	स्टाम्पों की लागत		
1.	01	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार/कोषागार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)		
	मूल	2,00.00}	1,95.68	0.66
	पुनर्वि०	-4.32}		-1,95.02

अनुदान संख्या - 38 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	02	स्टाम्प-न्यायिकेतर			
	101	स्टाम्पों की लागत			
	01	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार/कोषागार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
		मूल 1,77.34 } अनुपूरक 2,50.00 } पुनर्वि० -75.87 }	3,51.47	1.47	-3,50.00
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,99.34 लाख एवं ₹ 4,25.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					
3.	03	निबंधन			
	001	निदेशन तथा प्रशासन			
	02	जिला प्रभार (गैर-योजना)			
		मूल 12,43.82 } पुनर्वि० -2,14.23 }	10,29.59	10,43.97	+14.38
₹ 1,99.85 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					
4.	04	अधीक्षण (गैर-योजना)			
		मूल 1,34.03 } अनुपूरक 3.00 } पुनर्वि० -50.25 }	86.78	84.75	-2.03
	₹ 52.28 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02 स्टाम्प-न्यायिकेत्तर			
101 स्टाम्पों की लागत			
02 प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
मूल 70.00}	70.00	...	-70.00

₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
राजस्व :				
मूल	3,62,60,89}	4,87,60,89	2,20,72,42	-2,66,88,47
अनुपूरक	1,25,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,26,23,32

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 2,66,88.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,25.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,26,23.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,66,88.47 लाख) से ₹ 1,40,65.15 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,36.90	1,36.90	...
	01 पुनर्वास			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित स्थापना व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 2,05.91 } पुनर्वि० -69.01 }			
₹ 69.01 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य स्थानों पर होने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को अद्यतन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
2.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	9.83	9.83	...
	01 सूखा			
	101 आनुग्रहिक राहत			
	01 अन्य कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -9,90.17 }			
3.	07 कृषि इनपुट अनुदान (फसलक्षति 50 प्रतिशत से अधिक) (गैर-योजना)	11.34	11.34	...
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -9,88.66 }			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	102 पीने के पानी की पूर्ति 01 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	8.94	8.94	...
	पुनर्वि० -4,91.06}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 9,90.17 लाख, ₹ 9,88.66 लाख एवं ₹ 4,91.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	02 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}			
	अनुपूरक 1,00,00.00}	72,60.07	72,60.07	...
	पुनर्वि० -32,39.93}			
₹ 32,39.93 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	02 बाढ़, चक्रवात आदि 101 आनुग्रहिक राहत 02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 25,00.00}	77.10	77.10	...
	पुनर्वि० -24,72.90}			
₹ 24,72.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	03 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,54.19	1,51.19	-3.00
	पुनर्वि० -45.81}			
₹ 45.81 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	113 घर की मरम्मत/पुननिर्माण के लिए सहायता 02 बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	2,01.06	1,86.57	-14.49
	पुनर्वि० -7,98.94}			
<p>₹ 7,98.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पलामु जिला से प्रत्यर्पण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 14.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
9.	114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता 01 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	8.37	8.37	-
	पुनर्वि० -41.63}			
<p>₹ 41.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
10.	05 आपदा राहत निधि 101 आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण-आपदा राहत निधि 05 राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना)			
	मूल 2,04,32.00}	2,04,32.00	1,02,16.00	-1,02,16.00
11.	06 राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना)			
	मूल 68,10.00}	68,10.00	34,05.00	-34,05.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	80 सामान्य			
	101 विनाश का सामना करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र			
12.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन का विकास (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	80.40	-1,19.60

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,02,16.00 लाख, ₹ 34,05.00 एवं ₹ 1,19.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध			
13.	01 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
	मूल 6,00.00}	5,15.69	5,12.89	-2.80
	पुनर्वि० -84.31}			

विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश योजनाओं का प्रबंध किये जाने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 3,34.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 01 सूखा 101 आनुग्रहिक राहत 01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00 }
	पुनर्वि० -10,00.00 }			
(i) जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 7,50.00 लाख) एवं (ii) प्राकृतिक विपत्ति के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती (₹ 2,50.00 लाख) किये जाने के कारण ₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00 }
	पुनर्वि० -20,00.00 }			
3.	104 चारे की पूर्ति 01 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
4.	282 लोक स्वास्थ्य 01 दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
5.	02 बाढ़, चक्रवात आदि 101 आनुग्रहिक राहत 01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 25.00 }
	पुनर्वि० -25.00 }			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	112 01	जनसंख्या का निष्क्रमण जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)		
	मूल	20.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		
7.	113 03	घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये सहायता आग से जले मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण (गैर-योजना)		
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		
8.	282 01	लोक स्वास्थ्य मानव दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}		
9.	80 102 02	सामान्य विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (गैर-योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}		
10.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन का विकास (योजना)		
	मूल	50.00}	50.00	-50.00

जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	796 02	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन का विकास (योजना)		
	मूल	2,50.00}	2,50.00	...
				-2,50.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(v) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि:

9वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की योजना बनायी। यह योजना वित्तीय वर्ष 1990-91 में लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी 10वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को 1995-96 से जारी रखने की अनुशंसा की तथा यह वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक जारी रही। पुनः 11वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 2004-05 तक जारी रखने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के प्रशासन एवं संचालन की योजना को वर्ष 2005-2010 के अंत तक जारी रखा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), ने अपने पत्र संख्या 32-3/2010 एन०डी०एम०-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अधीन वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा मोचन निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया गया। राज्य आपदा मोचन निधि में 31 मार्च 2010 के शेष को राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा आपदा मोचन निधि का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए।

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

झारखण्ड के आपदा राहत कोष के लिए वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक अंशदान की राशि निम्नलिखित होगी:-

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	जोड़
	(करोड़ रुपयों में)					
केन्द्रांश (75%)	1,94.59	2,04.32	2,14.53	2,25.26	2,36.52	10,75.22
राज्यांश (25%)	64.86	68.10	71.51	75.08	78.84	3,58.39
जोड़	2,59.45	2,72.42	2,86.04	3,00.34	3,15.36	14,33.61

वर्ष 2011-12 के लिये, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या- एफ 23 (3) एफ०सी०डी०/2010 दिनांक 7.12.2011 एवं 9.3.2012 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, (प्रत्येक के लिये ₹ 1,02.16 करोड़) के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिये केन्द्रांश एवं राज्यांश का मात्र एक किश्त के रूप में ₹ 1,36.21 करोड़ की राशि (₹ 1,02.16 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 34.05 करोड़ का राज्यांश की एक किश्त) का निधि में पत्र संख्या- आपदा प्रबंधन-101/2011-246 दिनांक 29.12.2011 के द्वारा संस्वीकृति निर्गत की। अतः वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1,38.88 करोड़, जिसमें अव्ययित जमा शेषों के रूप में ₹ 2.37 करोड़ शामिल है, को राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया। राज्य आपदा मोचन निधि की दूसरी किश्त का स्थानान्तरण नहीं किया गया तथा वित्त लेखे, 2011-12 में राज्य आपदा मोचन निधि के शेष के अन्तर्गत ₹ 1,36.21 करोड़ रखा गया।

वर्ष 2011-12 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने पुनः वर्ष 2000-01 से 2002-03, 2005-06 एवं 2008-09 से संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रस्तुत किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का कार्योत्तर अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के जाँचोपरान्त, पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 1,62.55 करोड़, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिये था। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 1,62.55 करोड़ नामे किया गया।

तत्पश्चात् विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये राज्य आपदा मोचन निधि समिति के अनुमोदन के साथ राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 81.15 करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया। राज्य आपदा मोचन निधि से इसी राशि को समायोजित किया गया। अथशेष के रूप में ₹ 5,44.75 करोड़ तथा निधि में स्थानान्तरित राशि एवं निधि से प्रतिपूर्ति की गई राशि को लेखे में लिये जाने के फलस्वरूप 31 मार्च 2012 को ₹ 2,43.71 करोड़ अन्त शेष हुआ।

**अनुदान संख्या - 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,17,85,13}	3,28,97,65	2,49,82,22	-79,15,43
अनुपूरक	11,12,52}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(सितम्बर 2011	:	15	
(31 मार्च 2012	:	75,34,53)	75,34,68

पूंजी :

मूल	1}	5,31	5,30	-1
अनुपूरक	5,30}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2012)			1
-----------------	--	--	---

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 79,15.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 6,20.41 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 1,19.08 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 3,73.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,12.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 75,34.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 79,15.43 लाख) से ₹ 3,80.75 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि, 03-परिसदन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 65.75 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 7,97.82 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 05 अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन वापसी हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 25.00}	1.95	1.95
	पुनर्वि० -23.05}			
₹ 23.05 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी (अगस्त 2012)।				
2.	14 भूमि एवं अन्य अभिलेखों के नक्शों का मुद्रण (योजना)			
	मूल 75.00}	44.72	44.72
	पुनर्वि० -30.28}			
₹ 30.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	15 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 32,58.51}	21,96.91	21,96.91
	अनुपूरक 43.51}			
	पुनर्वि० -11,05.11}			

₹ 11,05.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने (₹ 10,66.76 लाख), (ii) बन्दोबस्त कार्यालय, पलामु द्वारा गलत मांग-पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप 15.11.2000 से पूर्व के बकाये का भुगतान नहीं होने (₹ 9.67 लाख) एवं (iii) बिहार सरकार से कोडेस्टल नक्शा प्राप्त नहीं होने (₹ 22.50 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध 01 राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता और सैरात रेमीशन कमिटी सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 1,64,99.36}			
	अनुपूरक 1.64}	1,21,09.58	1,20,91.44	-18.14
	पुनर्वि० -43,91.42}			
<p>₹ 43,91.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 18.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
5.	01 राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता और सैरात रेमीशन कमिटी सहित) (योजना)			
	मूल 35.00}	11.88	1.22	-10.66
	पुनर्वि० -23.12}			
<p>₹ 23.12 लाख की प्रत्याशित बचत स्वायत्तशासी संवर्ग पद समिति द्वारा तीन बंदोबस्त कार्यालय के लिए गाड़ी खरीदने/क्रय की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 राजस्व प्रशासन पर व्यय- नई गाड़ियों का क्रय (योजना)			
	मूल 40.00}	17.73	17.73
	पुनर्वि० -22.27}			

₹ 22.17 लाख की प्रत्याशित बचत स्वायत्तशासी संवर्ग पद समिति द्वारा गाड़ी खरीदने/क्रय करने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	14 भूमि एवं अन्य अभिलेखों के नक्शों का मुद्रण (योजना)			
	मूल 75.00}	48.45	48.45
	पुनर्वि० -26.55}			
	₹ 26.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
8.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 17 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,35.23}			
	अनुपूरक 13.52}	2,17.68	2,16.66	-1.02
	पुनर्वि० -1,31.07}			
	₹ 1,31.07 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।			
9.	092 अन्य कार्यालय 04 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 9,17.22}	9,17.22	6,25.64	-2,91.58
	₹ 2,91.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
10.	099 राजस्व बोर्ड 01 सामान्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,62.00}			
	अनुपूरक 11.31}	1,47.02	1,48.06	+1.04
	पुनर्वि० -26.61}			
	₹ 25.57 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	04 भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 54.95}	54.95	26.58	-28.37
₹ 28.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
12.	2053 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापनाएं 01 जिला प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 49,12.06}			
	अनुपूरक 43.44}	41,04.30	41,13.64	+9.34
	पुनर्वि० -8,51.20}			
₹ 8,41.86 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
13.	094 अन्य स्थापनाएं 01 अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 25,34.48}			
	अनुपूरक 3.70}	21,14.31	20,78.83	-35.48
	पुनर्वि० -4,23.87}			
₹ 4,59.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
14.	04 प्रमाण-पत्र स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,76.47}			
	पुनर्वि० -44.90}	1,31.57	1,32.33	+0.76

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	101 आयुक्त 01 मुख्य कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 5,61.91}			
	अनुपूरक 38.22}	5,11.49	5,11.49	...
	पुनर्वि० -88.64}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 44.90 लाख एवं ₹ 88.64 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० - 50.00}			
2.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू- अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण प्रत्येक के ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध 03 भू-दान यज्ञ समिति को सहायता अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 21.38}
	पुनर्वि० -21.38}			
भू-दान यज्ञ समिति के भंग किये जाने के कारण ₹ 21.38 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 जमीन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को शेष की भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० - 40.00}			

जिलों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,93,39,07}	2,21,11,05	2,03,09,22	-18,01,83
अनुपूरक	27,71,98}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10,55,83
(7 मार्च 2012 : 57,35			
31 मार्च 2012 : 9,98,48)			

पूंजी :

मूल	16,91,60,00}	16,96,60,00	7,96,66,21	-8,99,93,79
अनुपूरक	5,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			9,12,14,09
(मार्च 2012 : 9,06,70,40			
31 मार्च 2012 : 5,43,69)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 18,01.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 8,25.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 36.67 लाख) तथा मार्च 2012 (₹ 19,10.31 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27,71.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,55.83 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,01.83 लाख) से ₹ 7,46.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 03-राज्य राजमार्ग, 337-सड़क निर्माण कार्य, 01-सड़क निर्माण-कार्य (गैर-योजना) एवं 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 08-राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना प्रभाग-कार्य सम्पादन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,49.10 लाख एवं ₹ 1,05.86 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 1,15,00.00 लाख एवं ₹ 14,08.56 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3054 सड़क तथा सेतु			
	01 राष्ट्रीय राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण-कार्य			
	01 राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 8,25.00}	5,89.38	35.39	-5,53.99
	पुनर्वि० -2,35.62}			
₹ 7,89.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	03 राज्य राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण-कार्य			
	02 कार्य प्रभारित स्थापना पर व्यय (गैर-योजना)			
		मूल 29.41 }		
	अनुपूरक 5.99 }	12.90	12.62	-0.28
	पुनर्वि० -22.50 }			
₹ 22.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	80 सामान्य			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 निदेशन (गैर-योजना)			
		मूल 5,69.37 }		
	अनुपूरक 2.00 }	5,07.14	5,11.00	+3.86
	पुनर्वि० -64.23 }			
₹ 60.37 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	03 अनुश्रवण (योजना)			
	मूल 1,66.33}	1,27.32	1,16.41	-10.91
	पुनर्वि० -39.01}			
	₹ 49.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
5.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 59.67}	36.80	36.79	-0.01
	पुनर्वि० -22.87}			
6.	06 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,08.33}	70.63	70.63	...
	पुनर्वि० -37.70}			
	उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 22.87 लाख एवं ₹ 37.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 अनुश्रवण (योजना)			
	मूल 2,29.87}	1,49.31	1,29.15	-20.16
	पुनर्वि० -80.56}			
	₹ 1,00.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
8.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 12 पथ निर्माण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,30.29}	86.29	86.30	+0.01
	अनुपूरक 2.00}			
	पुनर्वि० -46.00}			
	₹ 45.99 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3054 सड़क तथा सेतु 03 राज्य राजमार्ग 799 उचंत 05 उचंत (गैर-योजना)	...	52.76	+52.76

बिना बजट प्रावधान के ₹ 52.76 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) ₹ 8,99,93.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,12,14.09 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,99,93.79 लाख) से ₹ 12,20.30 लाख अधिक था।

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03 राज्य राजमार्ग 101 सेतु 01 पुल (योजना)
	मूल 29,00.00}	12,71.05	12,71.05	...
	पुनर्वि० -16,28.95}			

₹ 16,28.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	337 सड़क निर्माण कार्य 01 वृहद सड़कें (योजना)
	मूल 4,44,00.00}	1,37,93.86	1,17,04.19	-20,89.67
	पुनर्वि० -3,06,06.14}			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	08 वृहद् सड़कें-राज्य राजमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 85,00.00 } पुनर्वि० -26,72.45 }	58,27.55	40,54.50	-17,73.05
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01 वृहद् सड़कें (योजना)			
	मूल 8,65,60.00 } पुनर्वि० -3,65,48.03 }	5,00,11.97	4,06,77.33	-93,34.64
5.	03 पुल (योजना)			
	मूल 45,00.00 } पुनर्वि० -32,11.63 }	12,88.37	10,27.55	-2,60.82
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,26,95.81 लाख, ₹ 44,45.50 लाख, ₹ 4,58,82.67 लाख एवं ₹ 34,72.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	08 वृहद् सड़कें-राज्य राजमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 2,15,00.00 } पुनर्वि० -1,57,46.90 }	57,53.10	57,53.10	...

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	09 झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}			
	अनुपूरक 5,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -5,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,57,46.90 लाख एवं ₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 राज्य राजमार्ग			
	052 मशीनरी तथा उपस्कर			
	06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
	मूल 1,20.00}
	पुनर्वि० -1,20.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
	मूल 1,80.00}
	पुनर्वि० -1,80.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,20.00 लाख एवं ₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(ix) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
799 उच्चत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)			
	...	1,46,78.49	+1,46,78.49

₹ 1,46,78.49 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(x) उच्चत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 2,94,78.13 लाख (निवल) का उपयोग "उच्चत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
(i) 3054-सड़क तथा सेतु विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,24.85	52.76	...	52.76	4,77.61
जोड़	4,24.85	52.76	...	52.76	4,77.61
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,43,22.03	1,86,55.05	39,76.56	1,46,78.49	2,90,00.52
जोड़	1,43,22.03	1,86,55.05	39,76.56	1,46,78.49	2,90,00.52

(xi) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2009-10	4,70,98.48	76,17.99	16.17	92.60	0.20
2010-11	6,72,04.62	76,45.90	11.38	38.33	0.06
2011-12	8,27,07.42	25,31.22	3.06	5.54	...

**अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2053 जिला प्रशासन			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 साचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	8,36,37,42}	8,36,58,94	6,19,58,94	-2,17,00,00
अनुपूरक	21,52}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 1,88,13,51

पूंजी :

मूल	4,35,92,00}	5,60,92,00	5,13,21,11	-47,70,89
अनुपूरक	1,25,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 40,77,18

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 2,17,00.00 लाख की वृहत् (प्रावधान का 26%) अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 21.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,88,13.51 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,17,00.00 लाख) से ₹ 28,86.49 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:- :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 02 सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 101 लघु सिंचाई 01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)	1,09.00	1,08.64	-0.36
	मूल 1,80.00 } पुनर्वि० -71.00 }			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)	1,68.90	1,46.97	-21.93
	मूल 2,30.00 } पुनर्वि० -61.10 }			
3.	03 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम जल छाजन निदेशालय (योजना)	26.31	26.12	-0.19
	मूल 2,00.00 } पुनर्वि० -1,73.69 }			
4.	06 स्व रोजगार कार्यक्रम 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (योजना)	10,40.70	9,19.38	-1,21.32
	मूल 19,08.00 } पुनर्वि० -8,67.30 }			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)	14,16.10	12,34.99	-1,81.11
	मूल 34,43.00 } पुनर्वि० -20,26.90 }			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 10,40.00}	3,27.96	3,19.32	-8.64
	पुनर्वि० -7,12.04}			
7.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (योजना)			
	मूल 25,30.00}	25,30.00	18,39.45	-6,90.55
8.	800 अन्य व्यय 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)			
	मूल 21,39.00}	5,76.40	5,71.29	-5.11
	पुनर्वि० -15,62.60}			
9.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 9,60.00}	2,49.64	2,49.64	...
	पुनर्वि० -7,10.36}			
10.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 19,80.00}	10,75.67	10,75.67	...
	पुनर्वि० -9,04.33}			
11.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 02 इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 54,00.00}	41,51.91	41,51.91	...
	पुनर्वि० -12,48.09}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 27,00.00}	19,73.48	19,68.32	-5.16
	पुनर्वि० -7,26.52}			
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 नरेगा-मुख्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 2,58.00}	1,77.23	48.80	-1,28.43
	पुनर्वि० -80.77}			
14.	02 इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 69,00.00}	44,21.61	44,22.22	+0.61
	पुनर्वि० -24,78.39}			
15.	03 इंदिरा आवास के लिए प्रशासनिक व्यय (योजना)			
	मूल 1,00.00}	23.45	23.45	...
	पुनर्वि० -76.55}			
16.	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 47,00.00}	38,48.09	38,48.09	...
	पुनर्वि० -8,51.91}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	789 04	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	22,00.00 } -2,73.48 }	19,26.52	19,26.52 ...
18.	796 04	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	71,00.00 } -11,45.61 }	59,54.39	59,54.39 ...
19.	2515 102 10	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (गैर-योजना)		
	मूल पुनर्वि०	1,14,96.05 } -3,50.30 }	1,11,45.75	1,00,22.27 -11,23.48
20.	29	ग्रामीण आवास (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	14,40.00 } -14,34.80 }	5.20	5.20 ...
21.	796 09	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	2,50.00 } -19.21 }	2,30.79	1,91.82 -38.97

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	17 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- प्रखंड भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 42,12.00}	42,07.94	36,80.30	-5,27.64
	पुनर्वि० -4.06}			
23.	29 ग्रामीण आवास (योजना)			
	मूल 18,40.00}	35.00	35.00	...
	पुनर्वि० -18,05.00}			
24.	30 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)			
	मूल 2,76.00}	1,64.84	1,64.84	...
	पुनर्वि० -1,11.16}			
उपर्युक्त चौबीस मामलों में बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
25.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 10 ग्रामीण विकास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,71.94}	3,15.05	3,16.70	+1.65
	पुनर्वि० -56.89}			

₹ 56.89 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1.65 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2505	ग्राम रोजगार		
	02	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना		
	101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना		
	05	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)		
	मूल	36.00}
	पुनर्वि०	-36.00}		
2.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	05	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)		
	मूल	46.00}
	पुनर्वि०	-46.00}		
3.	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	29	ग्रामीण आवास (योजना)		
	मूल	7,20.00}
	पुनर्वि०	-7.20.00}		
4.	30	प्रशासनिक व्यय (योजना)		
		मूल	1,08.00}	...
	पुनर्वि०	-1,08.00}		

उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

पूँजी

(v) ₹ 47,70.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 40,77.18 लाख), अंतिम बचत (₹ 47,70.89 लाख) से ₹ 6,93.71 लाख कम था।

(vii) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 09-विधानसभा सदस्यों की अनुशांसा के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,54.56 लाख एवं ₹ 1,32.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 64,04.56 लाख एवं ₹ 71,28.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	16,00.00	13,95.38	-2,04.62
	103 ग्राम विकास			
	07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)	16,00.00	13,95.38	-2,04.62
	मूल 16,00.00 }			
2.	10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)	1,06,53.28	1,04,70.71	-1,82.57
	मूल 78,09.12 }			
	अनुपूरक 40,00.00 }	1,06,53.28	1,04,70.71	-1,82.57
	पुनर्वि० -11,55.84 }			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	34,58.55	32,50.83	-2,07.72
	07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	मूल 39,00.00 }	34,58.55	32,50.83	-2,07.72
	पुनर्वि० -4,41.45 }			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)			
	मूल 99,78.32}	1,41,50.32	1,40,54.19	-96.13
	अनुपूरक 60,00.00}			
	पुनर्वि० -18,28.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(viii) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उचंत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामें और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 का अन्तशेष
(लाख रुपयों में)					
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.01
जोड़	0.01	0.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	1,69.16
जोड़	1,69.16	1,69.16

**अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	71,29,24}	94,93,73	54,65,16	-40,28,57
अनुपूरक	23,64,49}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,16,05
(17 अगस्त 2011 : 15,00,00				
फरवरी 2011 : 19,92,69				
31 मार्च 2012 : 5,23,36)				

पूंजी :

मूल	75,67,00}	85,47,86	33,20,45	-52,27,41
अनुपूरक	9,80,86}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				52,27,41
(6 मार्च 2012 : 34,27,86				
31 मार्च 2012 : 17,99,55)				

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 40,28.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 15,09.80 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 3,80.89 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 4,73.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23,64.49 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 40,16.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 40,28.57 लाख) से ₹ 12.52 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,42.69}			
	अनुपूरक 13.97}	1,31.79	1,31.02	-0.77
	पुनर्वि० -24.87}			
2.	02 राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद (गैर-योजना)			
	मूल 32.18}	16.62	16.62	...
	पुनर्वि० -15.56}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 24.87 लाख एवं ₹ 15.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	004 अनुसंधान 05 बीआईटी मेसरा, राँची-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,34.00}			
	अनुपूरक 4,34.00}	4,34.00	4,34.00	...
	पुनर्वि० -4,34.00}			
₹ 4,34.00 लाख की प्रत्याशित बचत वस्तु शीर्ष '79' के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।				
4.	41 झारखण्ड काउंसिल ऑफ साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, राँची-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 62.00}			
	अनुपूरक 62.00}	62.00	62.00	...
	पुनर्वि० -62.00}			

₹ 62.00 लाख की प्रत्याशित बचत वस्तु शीर्ष '79' के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	105 बहुशिल्प 01 डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित (गैर-योजना)			
	मूल 23,94.71}			
	अनुपूरक 81.69}	15,10.68	15,10.68	...
	पुनर्वि० -9,65.72}			
6.	44 राजकीय पॉलिटेक्नीकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिपलोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 1,24.00}			
	अनुपूरक 2,74.30}	3,55.10	3,54.24	-0.86
	पुनर्वि० -43.20}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,65.72 लाख एवं ₹ 43.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	112 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 01 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 20,72.11}			
	अनुपूरक 2,88.52}	17,36.52	17,30.74	-5.78
	पुनर्वि० -6,24.11}			
₹ 6,29.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	02 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण योजना (योजना)			
	मूल 93.00}	26.75	26.80	+0.05
	पुनर्वि० -66.25}			

₹ 66.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	789 30	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों को सहायता-बी०आई०टी०, मेसरा को सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	84.00}		
	अनुपूरक	84.00}	84.00	84.00
	पुनर्वि०	-84.00}		...
10.	796 05	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना बीआईटी मेसरा, राँची-सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	1,82.00}		
	अनुपूरक	1,82.00}	1,82.00	1,82.00
	पुनर्वि०	-1,82.00}		...
11.	41	झारखंड काउंसिल ऑफ साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, राँची-सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	26.00}		
	अनुपूरक	26.00}	26.00	26.00
	पुनर्वि०	-26.00}		...
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 84.00 लाख, ₹ 1,82.00 लाख एवं ₹ 26.00 लाख की प्रत्याशित बचत अलग वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।				
12.	45	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल	39.00}	13.24	13.24
	पुनर्वि०	-25.76}		...

₹ 25.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 004 अनुसंधान 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	4,34.00}		
	अनुपूरक	4,34.00}
	पुनर्वि०	-8,68.00}		
<p>₹ 8,68.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,34.00 लाख की बचत अलग वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4,34.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	84.00}		
	अनुपूरक	84.00}
	पुनर्वि०	-1,68.00}		
<p>₹ 1,68.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 84.00 लाख की बचत अलग वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 84.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	1,82.00}		
	अनुपूरक	1,82.00}
	पुनर्वि०	-3,64.00}		

₹ 3,64.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,82.00 लाख की बचत अलग वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत बजट आवंटन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,82.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 1,82.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

पूँजी :

(v) ₹ 52,27.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 9,80.86 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 02-तकनीकी शिक्षा, 105-इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान, 06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,81.36 लाख की बचत, जो कि ₹ 30,50.40 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	18.46	18.46	...
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान	4,32.95	4,32.95	...
	04 तकनीकी-विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 1,24.00}			
	पुनर्वि० -1,05.54}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना	4,32.95	4,32.95	...
	06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 12,79.20}			
	पुनर्वि० -8,46.25}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,05.54 लाख एवं ₹ 8,46.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीणोद्धार (के०यो०यो०)			
	मूल 15,17.14}			
	अनुपूरक 9,80.86}
	पुनर्वि० -24,98.00}			
भूमि का अधिग्रहण नहीं होने एवं प्राक्कलन तैयार नहीं किये जाने के कारण ₹ 24,98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 24.00}
	पुनर्वि० -24.00}			
₹ 24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीणोद्धार (के०यो०यो०)			
	मूल 2,93.64}
	पुनर्वि० -2,93.64}			

भूमि का अधिग्रहण नहीं होने एवं प्राक्कलन तैयार नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,93.64 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 5,90.40}
	पुनर्वि० -5,90.40}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 52.00}
	पुनर्वि० -52.00}			
6.	06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (के०यो०यो०)			
	मूल 6,36.22}
	पुनर्वि० -6,36.22}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,90.40 लाख एवं ₹ 52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

भूमि का अधिग्रहण नहीं होने एवं प्राक्कलन तैयार नहीं किये जाने के कारण ₹ 6,36.22 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 44 - मानव संसाधन विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
2205	कला एवं संस्कृति			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	18,01,96}	31,17,86	30,17,30	-1,00,56
अनुपूरक	13,15,90}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(17 अक्टूबर 2011 : 5.83 } 10.57
31 मार्च 2012 : 4.74 }

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 1,00.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 5.83 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 13,10.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,15.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,00.56 लाख) से 89.99 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय	3,15.29	2,66.20	-49.09
	01 शिक्षा विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,65.22} अनुपूरक 50.07}			
2.	03 झारखण्ड शिक्षा अधिकरण (गैर-योजना)	46.49	16.63	-29.86
	मूल 46.49}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 49.09 लाख तथा ₹ 29.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 45 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2203	तकनीकी शिक्षा			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	61,80,50}	67,36,79	12,72,18	54,64,61
अनुपूरक	5,56,29}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				54,42,01
(16 जुलाई 2011	: 7,50			
16 सितम्बर 2011	: 3,82,00			
16 नवम्बर 2011	: 53,00			
21 फरवरी 2012	: 1,05,79			
7 मार्च 2012	: 30,00,00			
31 मार्च 2012	: 18,93,72)			

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 54,64.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 11.50 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 4,39.00 लाख) और मार्च 2012 (₹ 1,05.79 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,56.29 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 54,42.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 54,64.61 लाख) से 22.60 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 003 प्रशिक्षण 08 आई०टी०/कम्प्यूटर प्रशिक्षण- कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, विकास एवं रखरखाव (योजना)			
	मूल 50.00}	38.00	27.00	-11.00
	पुनर्वि० -12.00}			

₹ 12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 11.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 ई-गवर्नेंस-डिजीटाईजेशन ऑफ गवर्मेंट रिकार्ड एण्ड लीगेसी डाटा एण्ड पचेज ऑफ लैपटॉप (योजना)			
	मूल 2,50.00}	1,68.00	1,68.00	...
	पुनर्वि० -82.00}			

₹ 82.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

3.	12 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, विकास एवं रखरखाव (योजना)			
	मूल 50.00}	39.49	27.99	-11.50
	अनुपूरक 35.00}			
	पुनर्वि० -45.51}			

₹ 45.51 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 35.00 लाख की बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। ₹ 10.51 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 11.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	21 ई-गवर्नेंस-नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)			
	मूल 5,82.00}	2,34.00	2,34.00	...
	पुनर्वि० -3,48.00}			
<p>₹ 3,48.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,86.95 लाख की बचत विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 61.05 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
5.	48 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (जमशेदपुर) के लिए सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}			
	अनुपूरक 3,00.00}	2,11.18	2,11.18	...
	पुनर्वि० -3,88.82}			
<p>₹ 3,88.82 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	64 ई-गवर्नेंस ग्रीवांस एवं एमरजेन्सी सर्विस के संबंध में सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	अनुपूरक 41.00}	21.05	21.05	...
	पुनर्वि० -19.95}			
<p>₹ 19.95 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।</p>				
7.	800 अन्य व्यय 59 एस०टी०पी०आई० को अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,00.00	1,00.00	...
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत एस०टी०पी०आई०, धनबाद के लिए अनुदान के रूप में बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	65 झारखण्ड राज्य के कारा/ सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु (योजना)			
	अनुपूर्क 62.74 } पुनर्वि० -45.95 }	16.79	16.79	...

₹ 45.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः परियोजना की संस्वीकृति नहीं मिलने (₹ 44.74 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 61 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में यूनिक आइटेन्टीफिकेशन के तहत बी०पी०एल० के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)			
	मूल 11,64.00 } पुनर्वि० -11,64.00 }

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 11,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 नेशनल ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,00.00 } पुनर्वि० -12,00.00 }

(i) केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने (₹ 11,50.00 लाख) एवं (ii) योजना उद्व्यय में कटौती (₹ 50.00 लाख) के कारण ₹ 12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	17 ई-गवर्नेस (योजना)			
	मूल	45.00}
	पुनर्वि०	-45.00}		
योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	55 ई-प्रोक्योरमेन्ट (योजना)			
	मूल	3,00.00}
	पुनर्वि०	-3,00.00}		
(i) योजना उद्व्यय में कटौती (₹ 2,09.71 लाख) एवं (ii) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 90.29 लाख) के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	61 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में यूनिक आइडेन्टीफिकेशन के तहत बी०पी०एल० के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)			
	मूल	11,64.00}
	पुनर्वि०	-11,64.00}		
योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 11,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	63 ई-गवर्नेस आपदा प्रबंधन/गृह/स्वास्थ्य आदि सभी विभागों के लिए ग्रीवांस एवं एमरजेन्सी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	अनुपूरक	41.00}
	पुनर्वि०	-41.00}		

(i) योजना उद्व्यय में कटौती (₹ 32.29 लाख) और (ii) कॉल सेन्टरों का शुभारंभ नहीं होने (₹ 8.71 लाख) के कारण ₹ 41.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	81 झारखण्ड राज्य के कारा/सिविल कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु (योजना)			
	अनुपूरक 61.05}
	पुनर्वि० -61.05}			
परियोजनाओं की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 61.05 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	800 अन्य व्यय 10 नेशनल ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 3,35.00}
	पुनर्वि० -3,35.00}			
योजना उद्ध्यय में कटौती के कारण ₹ 3,35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	40 ई-गवर्नेंस- नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

(i) निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 44.74 लाख) एवं (ii) अन्य विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 5.26 लाख) के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	8,78,50}	10,39,25	8,02,09	-2,37,16
अनुपूरक	1,60,75}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,27,23
पूंजी :				
मूल	18,90,00}	19,77,00	18,42,20	-1,34,80
अनुपूरक	87,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				74,53
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 2,37.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,60.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,27.23 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,37.16 लाख) से ₹ 9.93 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3452 पर्यटन			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 93.20}			
	अनुपूरक 1.50}	58.74	57.63	-1.11
	पुनर्वि० -35.96}			

₹ 37.07 लाख की कुल बचत के कारणों के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	03 प्रबंधकीय अनुदान/सबसिडी/ प्रोत्साहन आदि (योजना)			
	मूल 50.00}	39.00	39.00	...
	पुनर्वि० -11.00}			

₹ 11.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3452 पर्यटन			
01 पर्यटक अवसंरचना			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
14 पर्यटन प्रशिक्षण एवं कौशल का विकास (के०यो०यो०)			
अनुपूरक 1,58.60}
पुनर्वि० -1,58.60}			

₹ 1,58.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी:

(v) ₹ 1,34.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 87.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 74.53 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,34.80 लाख) से ₹ 60.27 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	64 कंसलटेंसी एवं अन्य सेवाएं (नई) (योजना)			
	मूल 75.00}	67.78	54.78	-13.00
	पुनर्वि० -7.22}			

₹ 20.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	65 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (नई) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,97.68	2,97.68	...
	पुनर्वि० -1,02.32}			

₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एवं ₹ 2.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 64 कंसलटेंसी एवं अन्य सेवाएं (नई) (योजना)			
	मूल 75.00}	53.47	31.20	-22.27
	पुनर्वि० -21.53}			

₹ 43.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 02 संवर्धन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 13.00}
	पुनर्वि० -13.00}			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 संवर्धन (योजना)			
	मूल 13.00}	13.00	...	-13.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 02 संवर्धन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12.00}
	पुनर्वि० -12.00}			
4.	02 संवर्धन (योजना)			
	मूल 12.00}	12.00	...	-12.00

उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उपशीर्ष-02-संवर्धन के अन्तर्गत ₹ 25.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2041 वाहन कर			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएं			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5055 सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	5,13,65,64}	8,23,74,64	4,92,00,30
अनुपूरक	3,10,09,00}		-3,31,74,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,30,35,16
(20 जनवरी 2012 : 1,00,00,00			
31 मार्च 2012 : 2,30,35,16)			
पूजी :			
मूल	14,75,00}	15,63,00	3,18,96
अनुपूरक	88,00}		-12,44,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			12,11,80
(04 नवम्बर 2011 : 70,00			
05 दिसम्बर 2011 : 18,00			
31 मार्च 2012 : 11,23,80)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 3,31,74.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 (₹ 9.00 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 3,10,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,10,09.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,30,35.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,31,74.34 लाख) से ₹ 1,39.18 लाख कम था।
 (iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2041 वाहन कर 001 निदेशान और प्रशासन 01 राज्य परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,40.48}			
	अनुपूरक 7.50}	89.70	76.53	-13.17
	पुनर्वि० -58.28}			
2.	101 संग्रहण प्रभार 01 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 94.18}	52.96	44.86	-8.10
	पुनर्वि० -41.22}			
3.	02 मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)			
	मूल 6,75.60}	4,56.15	3,38.79	-1,17.36
	पुनर्वि० -2,19.45}			
4.	3055 सड़क परिवहन 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01 राज्य पथ परिवहन निगम, झारखंड को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 62,23.19}	35,85.37	35,85.37	...
	पुनर्वि० -26,37.82}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 71.45 लाख, ₹ 49.32 लाख एवं ₹ 3,36.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

₹ 26,37.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	3075	अन्य परिवहन सेवाएं		
	60	अन्य		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	01	झारखंड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (योजना)		
	मूल	1,32,15.00}		
	अनुपूरक	2,00,00.00}	2,32,15.00	2,32,15.00
	पुनर्वि०	-1,00,00.00}		...

₹ 1,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।

6.	3451	सचिसवालय-आर्थिक सेवाएं		
	090	सचिवालय		
	14	परिवहन विभाग (गैर-योजना)		
		मूल	1,42.37}	
	अनुपूरक	1.50}	79.10	79.50
	पुनर्वि०	-64.77}		+0.40

₹ 64.37 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3075	अन्य परिवहन सेवाएं		
	60	अन्य		
	101	लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता		
	02	रेल परियोजनाएं (बी०आर०जी०एफ०) (योजना)		
	मूल	80,00.00}
	पुनर्वि०	-80,00.00}		...

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 रेल परियोजनाएं (बी०आर०जी०एफ०) (योजना)			
	मूल 1,20,00.00}
	पुनर्वि० -1,20,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 80,00.00 लाख एवं ₹ 1,20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) ₹ 12,44.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 88.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,11.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,44.04 लाख) से ₹ 32.24 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 12 झारखण्ड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत तथा कार्यशाला (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,33.65	1,35.82	+2.17
	पुनर्वि० -16.35}			

₹ 14.18 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	18.35	18.35	...
	अनुपूरक 40.00}			
	पुनर्वि० -61.65}			
3.	13 झारखण्ड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्यालय की जीर्णोद्धार एवं मरम्मत तथा कार्यशाला (योजना)			
	मूल 1,00.00}	71.49	71.49	...
	पुनर्वि० -28.51}			
4.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिए यातायात नियमों एवं अधिनियमों से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 15.00}	5.00	5.00	...
	पुनर्वि० -10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 28.51 लाख तथा ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 02 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 12.00}
	पुनर्वि० -12.00}			
2.	03 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 6,00.00}
	पुनर्वि० -6,00.00}			
3.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 30.00}			
	अनुपूरक 30.00}	15.00	...	-15.00
	पुनर्वि० -45.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12.00 लाख एवं ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उपशीर्ष-02-परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण भवन का निर्माण के अन्तर्गत ₹ 25.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

₹ 45.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 30.00 लाख की बचत बजट का गलत वर्गीकरण किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 15.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 30.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिए यातायात नियमों एवं अधिनियमों से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 10.00}	10.00	...	-10.00
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00}
	पुनर्वि० -4,00.00}			
6.	08 मशीन एवं उपकरण (ध्वनि रहित जेनरेटर का क्रय) (योजना)			
	मूल 10.00}
	पुनर्वि० -10.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 10.00 लाख, ₹ 4,00.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उपशीर्ष-03 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-चेक पोस्ट का निर्माण के अन्तर्गत ₹ 24.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व :

मूल	3,07,02,36}	3,59,54,88	2,64,88,65	-94,66,23
अनुपूरक	52,52,52}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 90,02,59

पूंजी :

मूल	10,03,55,73}	10,03,55,73	1,87,49,67	-8,16,06,06
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 6,74,19,59

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 94,66.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 2,33.10 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 50,18.32 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 52,52.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 90,02.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 94,66.23 लाख) से ₹ 4,63.64 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 09-परिवहन के लिए शहरी निकायों आदि को सहाय्य अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,14.25 लाख की बचत, जो कि ₹ 25,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जल पूर्ति			
	191 नगर निगम को सहायता			
	01 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}			
	अनुपूरक 47,32.49}	60,48.15	60,48.15	...
	पुनर्वि० -6,84.34}			

₹ 6,84.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक अनुमोदन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

2.	02 मल-जल तथा सफाई			
	191 नगर निगम को सहायता			
	07 शहरी स्थानीय निकायों को सिवरेज/ड्रेनेज निर्माण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 8,00.00}	4,80.00	4,80.00	...
	पुनर्वि० -3,20.00}			

₹ 3,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।

3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	07 शहरी स्थानीय निकायों को ड्रेनेज निर्माण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,20.00	1,00.62	-19.38
	पुनर्वि० -80.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 शहरी स्थानीय निकायों को सिवरेज/ड्रेनेज निर्माण के लिए सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	6,00.00	5,86.99	-13.01
	पुनर्वि० -4,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 80.00 लाख एवं ₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 19.38 लाख एवं ₹ 13.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 99.03}	62.66	58.88	-3.78
	अनुपूरक 1.53}			
	पुनर्वि० -37.90}			
₹ 1.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती और ₹ 36.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	191 नगर निगम को सहायता 05 शहरी स्थानीय निकायों के आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 6,00.00}	5,55.00	4,49.73	-1,05.27
	पुनर्वि० -45.00}			

₹ 45.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। ₹ 1,05.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	09 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों आदि को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}	14,25.00	14,25.00	...
	पुनर्वि० -5,75.00}			
	₹ 5,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर निधि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
8.	32 उषा स्कीम के तहत स्लम सर्वे, लाइवलीहुड सर्वे, बी०पी०एल० सर्वे एवं डाटा एन्ट्री हेतु केन्द्रीय अनुदान (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 42.93}	22.28	20.28	-2.00
	पुनर्वि० -20.65}			
	₹ 20.65 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य शहरों के लिए केन्द्रांश का बँटवारा नहीं होने के कारण हुई थी।			
9.	192 नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता 07 नगर पर्षद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 3,91.06}	3,11.85	3,11.85	...
	पुनर्वि० -79.21}			
	₹ 79.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
10.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 05 नगर विकास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,71.94}			
	अनुपूरक 12.50}	2,53.46	2,43.75	-9.71
	पुनर्वि० -30.98}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	092 अन्य कार्यालय 04 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों का वेतनादि (गैर-योजना)	3,92.69	3,65.33	-27.36
	मूल 6,06.74 } पुनर्वि० -2,14.05 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 40.69 लाख एवं 2,41.41 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगम को सहायता 06 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)
	मूल 2,00.00 } पुनर्वि० -2,00.00 }			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 06 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)
	मूल 50.00 } पुनर्वि० -50.00 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख एवं 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उपर्युक्त दो उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 6,80.00 लाख एवं ₹ 1,70.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	2217 शहरी विकास			
	80 सामान्य			
	191 नगर निगम को सहायता			
3.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रान्ट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -10,00.00 }
4.	30 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मन्स ग्रान्ट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00 } पुनर्वि० -5,00.00 }
5.	192 नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता			
	08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रान्ट के तहत नगर पषदों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 25,95.90 } पुनर्वि० -25,95.90 }

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	09	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मैन्स ग्रान्ट के तहत नगर पर्वदों को अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	5,71.00}
	पुनर्वि०	-5,71.00}		
7.	193	नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता		
	08	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रान्ट के तहत नगर पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)		
	मूल	10,00.00}
	पुनर्वि०	-10,00.00}		
8.	09	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मैन्स ग्रान्ट के तहत नगर पंचायतों को सहायता (योजना)		
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		

उपर्युक्त छः मामलों में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,74,19.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,16,06.06 लाख) से ₹ 1,41,86.47 लाख कम था।

(vi) शीर्ष 4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, 34-एस०जे०एस०आर०वाई० को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०) के अन्तर्गत ₹ 84.36 लाख की बचत, जो कि ₹ 15,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	74.17	49.01	-25.16
	60 अन्य शहरी विकास योजनाएं			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	31 समेकित अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,35.00 } पुनर्वि० -15,60.83 }			

₹ 15,60.83 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश का कम आवंटन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 25.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	37 केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता (के०प्रा०यो०)	6,48.00	97.50	-5,50.50
	मूल 6,48.00 }			

₹ 5,50.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

3.	191 नगर निगम को सहायता	26.75	22.76	-3.99
	06 केन्द्र प्रायोजित समेकित अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00 } पुनर्वि० -2,73.25 }			

₹ 2,73.25 लाख की प्रत्याशित बचत के केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	14 जे०एन०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 4,63,00.00}	88,00.00	88,00.00	...
	पुनर्वि० -3,75,00.00}			
	₹ 3,75,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।			
5.	15 शहरी प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	4,07.38	-92.62
	₹ 92.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
6.	16 प्रोन्नति, अवार्ड, प्रचार, छपाई, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि (योजना)			
	मूल 1,00.00}	5.38	5.38	...
	पुनर्वि० -94.62}			
	₹ 94.62 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।			
7.	21 केन्द्र प्रायोजित एस०जे०एस० आर०वाई० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	4,42.12	4,42.12	...
	पुनर्वि० -5,57.88}			
	₹ 5,57.88 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती (₹ 5,00.00 लाख) एवं (ii) निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 57.88 लाख) के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	23 जे०एन०एन०यू०आर०एम० के लिए सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 70,00.00}	35,88.66	18,16.79	-17,71.87
	पुनर्वि० -34,11.34}			

₹ 34,11.34 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम प्रावधान किये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 17,71.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
9.	33 जे०एन०एन०यू०आर०एम० के लिए सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 20,00.00}	9,50.59	9,50.59	...
	पुनर्वि० -10,49.41}			

₹ 10,49.41 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
10.	30 राँची में संस्थाओं के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	5,62.41	5,62.41	...
	पुनर्वि० -94,37.59}			

₹ 94,37.59 लाख की प्रत्याशित बचत (i) योजना उद्व्यय में कटौती (₹ 54,06.00 लाख), (ii) प्राधिकृत समिति से समय पर संचिका वापस नहीं होने (₹ 38,31.59 लाख) एवं (iii) निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	35 केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,48.00}	6,48.00	33.66	-6,14.34
	पुनर्वि० -79,93.95}			
	₹ 6,14.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
12.	36 जे०एन०एन०आर०एम० के लिए सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 1,10,00.00}	30,06.05	30,06.05	...
	पुनर्वि० -79,93.95}			
	₹ 79,93.95 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्ब्यय में कटौती के कारण हुई थी।			
	6217 नगर विकास के लिए उधार			
	60 अन्य शहरी विकास योजनाएँ			
	192 नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता			
13.	03 नगर पर्वद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 5,21.42}	4,15.80	4,15.80	...
	पुनर्वि० -1,05.62}			
	₹ 1,05.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य शहरी विकास योजनाएँ 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 07 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)	47,00.00	...	-47,00.00
2.	21 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान (के०प्रा०यो०)	47,00.00	...	-47,00.00
3.	32 वधशाला के आधुनिकीकरण हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)	7,79.00	...	-7,79.00
4.	35 एन०यू०आई०एस० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)	6,00.00	...	-6,00.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 47,00.00 लाख, ₹ 47,00.00 लाख एवं ₹ 7,79.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी क्रमशः ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 7,00.00 लाख एवं ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	191 नगर निगम को सहायता			
	18 केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना (वाम्बे योजना के लिए आधारभूत संरचना सहित) हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
6.	19 केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}
	पुनर्वि० -20,00.00}			
7.	20 केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}
	पुनर्वि० -20,00.00}			
8.	22 केन्द्र प्रायोजित एन०यू०आई०एस० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 30 केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना (वाम्बे योजना के लिए आधारभूत संरचना सहित) हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
	उपर्युक्त पाँच मामलों में योजना उद्व्यय में कटौती के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
10.	32 केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,24.00}	3,24.00	...	-3,24.00
	₹ 3,24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 08 झारखण्ड अरवन प्लानिंग मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00
	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।			
12.	32 केन्द्र प्रायोजित वधशाला के आधुनिकीकरण हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 6,00.00}			
	पुनर्वि० -6,00.00}

निविदा का निष्पादन नहीं होने के कारण ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	33	केन्द्र प्रायोजित राजीव आवास योजना (वाम्बे योजना के लिए आधारभूत संरचना सहित) के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)		
	मूल	2,30.00}
	पुनर्वि०	-2,30.00}		...

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 2,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2700	मुख्य सिंचाई		
2701	मध्यम सिंचाई		
2705	कमान क्षेत्र विकास		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	3,07,53,24}	3,08,42,13	2,24,64,88	-83,77,25
अनुपूरक	88,89}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				75,55,76
(7 मार्च 2012	:	85,00		
31 मार्च 2012	:	74,70,76)		

पूँजी :

मूल	9,11,30,00}	9,11,30,00	1,96,60,50	-7,14,69,50
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,20,79,69
(11 फरवरी 2012	:	63,30,00		
7 मार्च 2012	:	4,41,73,00		
31 मार्च 2012	:	1,15,76,69)		

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 83,77.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 0.20 लाख) और दिसम्बर 2011 (₹ 88.69 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 88.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 75,55.76 लाख), अंतिम बचत (₹ 83,77.25 लाख) से ₹ 8,21.49 लाख कम था।

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2700 मुख्य सिंचाई				
	01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक				
	001 निदेशन और प्रशासन				
	01 तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)				
	मूल 5,70.75 }				
	अनुपूरक 2.45 }	3,04.34	3,02.70	-1.64	
	पुनर्वि० -2,68.86 }				
₹ 2,68.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					
2.	02 स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना)				
		मूल 1,20,61.33 }	1,01,45.86	99,34.85	-2,11.01
		अनुपूरक 19.41 }			
		पुनर्वि० -19,34.88 }			
₹ 21,45.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					
3.	2701 मध्यम सिंचाई				
	03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक				
	001 निदेशन और प्रशासन				
	03 सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण (गैर-योजना)				
	मूल 1,51.52 }				
	अनुपूरक 0.55 }	1,14.87	1,14.84	-0.03	
	पुनर्वि० -37.20 }				
₹ 37.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।					

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	06 छोटीनागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 53,59.61}			
	अनुपूरक 22.02}	42,19.81	41,15.30	-1,04.51
	पुनर्वि० -11,61.82}			
5.	07 मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 88,47.01}			
	अनुपूरक 40.87}	76,65.06	73,11.42	-3,53.64
	पुनर्वि० -12,22.82}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12,66.33 लाख और ₹ 15,76.46 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 काँची कमान क्षेत्र विकास 02 काँची सिंचाई योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	1.82	1.81	-0.01
	पुनर्वि० -78.18}			
7.	101 मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	15.00	15.00	...
	पुनर्वि० -65.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 78.18 लाख और ₹ 65.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	3451 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 09 जल संसाधन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 5,63.68 } अनुपूरक 2.88 }	5,66.56	4,58.11	-1,08.45

₹ 1,08.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2701 मध्यम सिंचाई 03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का संपोषण (गैर-योजना)			
	मूल 24,67.00 } पुनर्वि० -24,67.00 }

₹ 24,67.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 काँची कमान क्षेत्र निकास 02 काँची सिंचाई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 80.00 } पुनर्वि० -80.00 }

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	101 मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 80.00}
	पुनर्वि० -80.00}			
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
5.	01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
6.	02 काँची जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
7.	02 काँची जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	-	-20.00

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	001 निदेशन और प्रशासन			
8.	01 गंगा नदी के दाएं तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी क्रमशः 80.00 लाख, ₹ 80.00 लाख, ₹ 20.00 लाख, ₹ 20.00 लाख, ₹ 20.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

पूँजी:

- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,20,79.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,14,69.50 लाख) से ₹ 93,89.81 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
1.	09 स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	26,22.56	22,19.08	-4,03.48
	पुनर्वि० -3,77.44}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
2.	09 स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	29,70.42	13,65.49	-16,04.93
	पुनर्वि० -29.58}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	10 स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 3,00,00.00}	1,24,91.52	58,93.04	-65,98.48
	पुनर्वि० -1,75,08.48}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 7,80.92 लाख, ₹ 16,34.51 लाख और ₹ 2,41,06.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यक			
	799 उचन्त			
4.	01 उचन्त-विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)			
		...	-3,12.87	-3,12.87
₹ 3,12.87 लाख की बचत नामे से जमा अधिक होने के कारण हुई।				
	80 सामान्य			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
5.	46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,90.69	1,90.60	-0.09
	पुनर्वि० -3,09.31}			
₹ 3,09.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	62 मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 8,45.00}	7,71.20	5,53.70	-2,17.50
	पुनर्वि० -73.80}			
₹ 2,91.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	64 छोटाणागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 17,00.00}	10,52.61	10,52.61	...
	पुनर्वि० -6,47.39}			
₹ 6,47.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 5,00.00}	2,62.49	2,52.37	-10.12
	पुनर्वि० -2,37.51}			
9.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (योजना)			
	मूल 4,00.00}	48.95	41.06	-7.89
	पुनर्वि० -3,51.05}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,47.63 लाख और ₹ 3,58.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	62 मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 15,68.00}	10,96.18	10,96.18	...
	पुनर्वि० -4,71.82}			
₹ 4,71.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	68 भवनों का संधारण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	93.64	66.35	-27.29
	पुनर्वि० -6.36}			
12.	70 ई-गवर्नेंस (योजना)			
	मूल 80.00}	53.14	45.73	-7.41
	पुनर्वि० -26.86}			
13.	71 सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 5,70.00}	1,97.95	1,21.99	-75.96
	पुनर्वि० -3,72.05}			
14.	73 मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. (चालू योजना) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 90,90.00}	5,33.52	4,68.62	-64.90
	पुनर्वि० -85,56.48}			
15.	800 अन्य व्यय 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,92.06	1,64.42	-27.64
	पुनर्वि० -3,07.94}			
16.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० (योजना)			
	मूल 6,00.00}	5,10.39	4,23.58	-86.81
	पुनर्वि० -89.61}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 27,00.00}	20,60.08	20,70.50	+10.42
	पुनर्वि० -6,39.92}			
₹ 6,29.50 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
18.	67 सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 5,70.00}	22.00	21.24	-0.76
	पुनर्वि० -5,48.00}			
19.	69 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. अन्तर्गत (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 11,80.00}	2,69.63	2,68.23	-1.40
	पुनर्वि० -9,10.37}			
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग			
20.	01 बाढ़ सुरक्षात्मक एवं कटाव निरोधक सिविल निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	3,71.94	3,71.94	...
	पुनर्वि० -8,28.06}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 5,48.00 लाख, ₹ 9,10.37 लाख और ₹ 8,28.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
21.	56 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 5,75.00}	5,24.46	5,06.19	-18.27
	पुनर्वि० -50.54}			

₹ 68.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4700 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	10 स्वर्ण रेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,40,00.00}
	पुनर्वि० -2,40,00.00}			
2.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	63 मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,61.00}
	पुनर्वि० -3,61.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	65 छोटीनागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 47.00}	35.80	...	-35.80
	पुनर्वि० -11.20}			
4.	69 छोटीनागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना ए०आई०बी०पी० अन्तर्गत (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 14,10.00}
	पुनर्वि० -14,10.00}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 वाल्मी एवं सिंचाई परियोजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 90.00}
	पुनर्वि० -90.00}			
6.	63 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 6,12.00}
	पुनर्वि० -6,12.00}			
7.	800 अन्य व्यय 65 छोटीनागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8. 70 छोटानागपुर एवं संधाल परगना अन्तर्गत चालू योजना ए०आई०बी०पी० (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
मूल 31,40.00}
पुनर्वि० -31,40.00}			

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-63-मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण तथा 65-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण और लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अन्तर्गत 63-मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण के अधीन क्रमशः ₹ 25.00 लाख, ₹ 23.00 लाख तथा ₹ 32.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग पूर्व वर्ष (2010-11) में भी नहीं किया गया था।

(viii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग			
72 मध्यम सिंचाई परियोजना ए०आई०बी०पी० (चालू योजना) (योजना)			
मूल 12,96.00}	12,72.33	14,17.02	+1,44.69
पुनर्वि० -23.67}			

₹ 23.67 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,44.69 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ (-)3,12.87 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	45,96.58	72.45	3,85.32	(-)3,12.87	42,83.71
जोड़	45,96.58	72.45	3,85.32	(-)3,12.87	42,83.71

**अनुदान संख्या - 50 - लघु सिंचाई विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2702	लघु सिंचाई			
4702	लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	80,90,96}	81,05,36	62,01,72	-19,03,64
अनुपूरक	14,40}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				17,01,90
पूंजी :				
मूल	6,56,70,00}	6,56,70,00	2,17,76,58	-4,38,93,42
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				4,17,21,79
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 19,03.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 14.40 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,01.90 लाख), अंतिम बचत (₹ 19,03.64 लाख) से ₹ 2,01.74 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2702 लघु सिंचाई 02 भू-जल 005 अन्वेषण 01 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (गैर-योजना)			
	मूल 68,72.68 } अनुपूरक 14.40 } पुनर्वि० -5,04.58 }	63,82.50	61,85.75	-1,96.75
2.	02 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 6,80.82 } पुनर्वि० -6,67.17 }	13.65	11.17	-2.48
3.	03 सतही सिंचाई योजना का सम्पोषण (गैर-योजना)			
	मूल 3,04.46 } पुनर्वि० -2,97.15 }	7.31	4.79	-2.52

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 7,01.33 लाख, ₹ 6,69.65 लाख एवं ₹ 2,99.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण			
05 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण (गैर-योजना)			
मूल 2,33.00}
पुनर्वि० -2,33.00}			

₹ 2,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,17,21.79 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,38,93.42 लाख) से ₹ 21,71.63 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	101 सतही जल			
	18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 6,50.00}	2,20.75	1,32.90	-87.85
	पुनर्वि० -4,29.25}			
2.	19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 8,00.00}	6,50.14	6,19.88	-30.26
	पुनर्वि० -1,49.86}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 6,00.00}	2,01.94	89.13	-1,12.81
	पुनर्वि० -3,98.06}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 5,17.10 लाख, ₹ 1,80.12 लाख तथा ₹ 5,10.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	4,84.01	4,84.01	...
	पुनर्वि० -20,15.99}			
₹ 20,15.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	33 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी० केन्द्रांश (योजना)			
	मूल 2,50,00.00}	68,53.50	63,28.54	-5,24.96
	पुनर्वि० -1,81,46.50}			
6.	18 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	42.50	32.22	-10.28
	पुनर्वि० -57.50}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,69.19	3,52.52	-16.67
	पुनर्वि० -30.81}			
8.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	7.54	7.53	-0.01
	पुनर्वि० -1,92.46}			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 4,50.00}	2,93.90	2,91.77	-2.13
	पुनर्वि० -1,56.10}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,86,71.46 लाख, ₹ 67.78 लाख, ₹ 47.48 लाख, ₹ 1,92.47 लाख तथा ₹ 1,58.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 8,00.00}	4,24.46	4,24.46	...
	पुनर्वि० -3,75.54}			
₹ 3,75.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
11.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 6,00.00}	4,36.93	4,10.57	-26.36
	पुनर्वि० -1,63.07}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	24 नई योजनाओं को भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 70.00}	48.65	32.83	-15.82
	पुनर्वि० -21.35}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,89.43 लाख तथा ₹ 37.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

13.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

14.	30 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी०-केन्द्रांश (योजना)			
	मूल 2,50,00.00}	1,32,77.59	1,16,58.80	- 16,18.79
	पुनर्वि० -1,17,22.41}			

₹ 1,33,41.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
2.	07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। ₹ 3,00.00 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग पूर्व वर्ष (2010-11) में भी नहीं किया गया था।				
3.	31 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान- परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	32 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 9,00.00}
	पुनर्वि० -9,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30.00 लाख एवं ₹ 9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। ₹ 30.00 लाख एवं ₹ 5,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग पूर्व वर्ष (2010-11) में भी नहीं किया गया था।				
6.	29 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 37,70.00}
	पुनर्वि० -37,70.00}			
₹ 37,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 लघु सिंचाई सांख्यिकी का पुनर्स्थापन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।				
8.	07 वाटर बॉडिज का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	07 वाटर बॉडिज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
<p>₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग पूर्व वर्ष (2010-11) में भी नहीं किया गया था।</p>				
10.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70.00}
	पुनर्वि० -70.00}			
11.	26 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

उपयुक्त दोनों मामलों में ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामलों में, बिना बजट प्रावधान का व्यय किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
799 उचंत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)			
	...	2,80.62	+2,80.62

बिना बजट प्रावधान के व्यय किये गये ₹ 2,80.62 लाख के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 2,80.62 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 को अन्तशेष
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	2,09.53	5,61.24	2,80.62	2,80.62	4,90.15
जोड़	2,09.53	5,61.24	2,80.62	2,80.62	4,90.15

**अनुदान संख्या - 51 - कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	7,50,97,65}	9,35,19,21	6,26,04,86	-3,09,14,35
अनुपूरक	1,84,21,56}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				67,81,32
(16 जुलाई 2011 : 1,13,00				
अगस्त 2011 : 4,58,00				
फरवरी 2012 : 7,29,09				
1 मार्च 2012 : 38,31				
31 मार्च 2012 : 54,42,92)				

पूंजी :

मूल	1,20,74,00}	1,68,09,80	1,33,74,22	-34,35,58
अनुपूरक	47,35,80}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				17,26,06
---	--	--	--	----------

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 3,09,14.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 (₹ 17,62.28 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 1,06,61.30 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 59,97.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,84,21.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 67,81.32 लाख), वृहद अंतिम बचत (₹ 3,09,14.35 लाख) से 2,41,33.03 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 277-शिक्षा, 28-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 11-प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०), 59-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना) तथा 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 23-प्रवेशिकोत्तर प्रवैधिकी छात्रवृत्ति (पुस्तक अधिकोष सहित) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,02.05 लाख, ₹ 1,85.78 लाख, ₹ 1,48.14 लाख एवं ₹ 1,12.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 15,60.00 लाख, ₹ 24,90.00 लाख, ₹ 34,40.00 लाख एवं ₹ 26,76.20 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	17,26.02	15,96.95	-1,29.07
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
मूल	18,19.36}			
अनुपूरक	6.73}			
पुनर्वि०	-1,00.07}			
₹ 2,29.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,25.82	1,24.69	-1.13
	01 निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
मूल	1,80.00}			
पुनर्वि०	-54.18}			

₹ 54.18 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	16 शिक्षा-भोकेशनल प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	65.02	-1,59.98
	अनुपूर्क 40.00}			
	पुनर्वि० -2,50.34}			
	₹ 1,59.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
4.	19 शिक्षा-गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 2,40.00}			
	अनुपूर्क 40.00}	29.66	29.66	...
	पुनर्वि० -2,50.34}			
	₹ 2,50.34 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,20.00 लाख की बचत (i) गलत शीर्ष के अन्तर्गत निधि का प्रावधान किये जाने (₹ 1,80.00 लाख) एवं (ii) सहायक अनुदान (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने (₹ 40.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 30.34 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
5.	26 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 10,13.00}	10,13.00	8,78.50	-1,34.50
	₹ 1,34.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
6.	42 शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 2,00.00}	37.70	37.70	...
	पुनर्वि० -1,62.30}			
	₹ 1,62.30 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	46 शिक्षा-चिकित्सा सहायता (योजना)			
	मूल 30.00}			
	अनुपूरक 30.00}	30.00	26.02	-3.98
	पुनर्वि० -30.00}			
₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत बजट में गलत वर्गीकरण के कारण हुई थी।				
8.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 03 लड़के एवं लड़कियों के लिये लिये छात्रावास (गैर-योजना)			
	मूल 5,94.25}	5,15.20	4,65.89	-49.31
	पुनर्वि० -79.05}			
₹ 1,28.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	04 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 55,03.56}	55,04.33	47,58.28	-7,46.05
	अनुपूरक 0.77}			
₹ 7,46.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	06 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 1,00.00}	16.07	16.07	...
	पुनर्वि० -83.93}			

₹ 83.93 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	10 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 5,29.00}	4,62.65	4,31.40	-31.25
	पुनर्वि० -66.35}			
₹ 97.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
12.	13 छात्र/छात्राओं हेतु साइकिल योजना (योजना)			
	मूल 4,14.00}			
	अनुपूरक 2,36.98}	5,82.10	5,79.01	-3.09
	पुनर्वि० -68.88}			
₹ 68.88 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
13.	18 अन्य कल्याण कार्यक्रम- गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}			
	अनुपूरक 20.00}	14.60	14.60	...
	पुनर्वि० -30.40}			
₹ 30.40 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.00 लाख की बचत सहायक अनुदान (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.40 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
14.	27 अन्य कल्याण कार्यक्रम- चिकित्सा सहायता (योजना)			
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 20.00}	20.00	14.83	-5.17
	पुनर्वि० -20.00}			

₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत बजट में गलत वर्गीकरण के कारण हुई थी। ₹ 5.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	54 आदिम जनजातियों के लिये अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	99.66	56.44	-43.22
	पुनर्वि० -0.34}			
16.	65 प्रवेशिकोत्तर प्राथमिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 5,00.00}	15,18.06	9,02.78	-6,15.28
	अनुपूरक 10,18.06}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 43.22 लाख एवं ₹ 6,15.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
17.	66 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास (के०यो०यो०)			
	मूल 2,45.00}	1,20.00	1,20.00	...
	पुनर्वि० -1,25.00}			
₹ 1,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।				
18.	69 पहाड़िया दीवाकालिन विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,85.69}	1,85.69	1,04.84	-80.85

₹ 80.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	72 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	1,20.00	1,20.00	...
	पुनर्वि० -1,30.00}			
	₹ 1,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।			
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 शिक्षा-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 91,40.00}	2,07,33.51	91,85.26	-1,15,48.25
	अनुपूरक 1,15,93.51}			
	₹ 1,15,48.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
21.	17 मेसो परियोजना का प्रशासन (योजना)			
	मूल 7,50.00}	5,86.01	5,17.31	-68.70
	पुनर्वि० -1,63.99}			
	₹ 2,32.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
22.	24 अनुसूचित जनजातियों के लिये भोकेशनल शिक्षा (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	2,46.52	-2,53.48
	₹ 2,53.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (योजना)			
	मूल 2,20.00}	1,11.32	65.89	-45.43
	पुनर्वि० -1,08.68}			
<p>₹ 1,08.68 लाख की प्रत्याशित बचत नवनिर्मित आश्रम विद्यालय, जामताड़ा का आरम्भ नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 45.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
24.	37 बिरसा मुंडा उल्हातु, प्राथमिक विद्यालय का संधारण (योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 50.00}	37.44	37.44	...
	पुनर्वि० - 62.56}			
<p>₹ 62.56 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 50.00 लाख की बचत सहायक अनुदान (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12.56 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
25.	39 ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (योजना)			
	मूल 23,30.00}	18,04.54	17,95.59	-8.95
	पुनर्वि० -5,25.46}			
<p>₹ 5,25.46 लाख की प्रत्याशित बचत नवनिर्मित पाँच मेसो ग्रामीण अस्पतालों का कार्य नहीं करने के कारण हुई थी। ₹ 8.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
26.	42 शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 4,00.00}	53.25	53.25	...
	पुनर्वि० -3,46.75}			
<p>₹ 3,46.75 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	45 शिक्षा कन्सल्टेंसी स्टडी (योजना)			
	मूल 1,25.00}	1,25.00	44.63	-80.37
	अनुपूरक 30.00}			
	पुनर्वि० -30.00}			
	₹ 80.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
28.	46 शिक्षा-चिकित्सा सहायता (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	23.50	-6.50
	अनुपूरक 30.00}			
	पुनर्वि० -30.00}			
	₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत बजट में गलत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
29.	51 शिक्षा-गैर सरकारी संस्थाओं को प्राथमिक पी०टी०सी० आवासीय विद्यालय चलाने हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,30.00}	1,10.88	1,10.88	...
	अनुपूरक 1,10.00}			
	पुनर्वि० -1,29.12}			
	₹ 1,29.12 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,10.00 लाख की बचत सहायक अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 19.12 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
30.	52 शिक्षा-झारखंड आदिवासी विकास कार्यक्रम (बाह्य संपोषित परियोजना) के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	94.35	94.35	...
	पुनर्वि० -9,05.65}			
	₹ 9,05.65 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
31.	54 अनुसूचित जनजातियों के लिये भोक्शनल शिक्षा-गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 75.00}	68.67	68.67	...
	अनुपूरक 58.00}			
	पुनर्वि० -64.33}			

₹ 64.33 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 58.00 लाख की बचत सहायक अनुदान सामान्य (गैर-बेतन) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.33 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

32.	55 आदिम जनजातियों के लिये अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,42.96	1,60.82	-82.14
	पुनर्वि० -17.04}			

₹ 99.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

33.	61 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 14,71.00}	14,20.62	12,71.39	-1,49.23
	पुनर्वि० -50.38}			

₹ 1,99.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

34.	77 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,72.00}	1,46.00	1,46.00	...
	पुनर्वि० -2,26.00}			

₹ 2,26.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 03 प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०) मूल 6,60.00 } अनुपूरक 7,38.16 } पुनर्वि० -6,06.00 }	7,92.16	7,92.16	...
<p>₹ 6,06.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः गलत शीर्ष के अन्तर्गत निधि का प्रावधान किये जाने (₹ 6,00.00 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
36.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०) मूल 60.00 }	60.00	4.00	-56.00
37.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना) मूल 60.00 }	60.00	16.97	-43.03
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों ₹ 56.00 लाख एवं ₹ 43.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
38.	07 आवासीय विद्यालयों का संधारण (योजना) मूल 87.00 } पुनर्वि० -8.46 }	78.54	58.90	-19.64
<p>₹ 28.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
39.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 10 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना) मूल 4,00.00 } पुनर्वि० -2,64.17 }	1,35.83	1,35.83	...

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
40.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2,07.55	2,05.73	-1.82
	090 सचिवालय			
	06 कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,33.75}			
	अनुपूरक 4.21}			
	पुनर्वि० -30.41}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,64.17 लाख एवं ₹ 30.41 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	80.00	...	-80.00
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	04 अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			

₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (योजना)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि -40.00}			
केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।				
3.	22 बाबु जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 5,05.00}
	पुनर्वि० -5,05.00}			
केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	67 शिक्षा-विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीभूत योजना (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00
₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।				
5.	70 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	अनुपूरक 1,80.00}	1,80.00	...	-1,80.00

₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	06 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 1,29.09}
	पुनर्वि० -1,29.09}			
<p>₹ 1,29.09 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
7.	64 गैर-सरकारी समस्याओं को प्राथमिक आवासीय विद्यालय संचालन हेतु अनुदान (के०यो०यो०)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	...	-6,00.00
8.	70 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	...	-60.00
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,00.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
9.	71 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम (के०यो०यो०)			
	मूल 41.50}
	पुनर्वि० -41.50}			

केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 41.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 व्यवसायिक प्रशिक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 40.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

11.	04 आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 71,32.00}	71,32.00	...	-71,32.00

₹ 71,32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

12.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 38.31}
	पुनर्वि० -88.31}			

₹ 88.31 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

13.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 38.31}
	पुनर्वि० -88.31}			

₹ 88.31 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	28 लाह विकास योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
<p>₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अनावश्यक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
15.	63 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास भी बर्तन एवं उपस्कर (के०यो०यो०)			
	मूल 62.00}	62.00	...	-62.00
16.	70 प्राक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 62.00 लाख एवं ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
17.	70 प्राक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
18.	71 कोचिंग एण्ड एलाइड (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25.00}	13.31	...	-13.31
	पुनर्वि० -11.69}			

₹ 11.69 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 13.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	71 कोचिंग एण्ड एलाइड (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

20.	72 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	...	-1,20.00

₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

21.	75 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,65.00}	1,20.00	...	-1,20.00
	पुनर्वि० -2,45.00}			

₹ 2,45.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश से कम निधि विमुक्त किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,20.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(v) ₹ 34,35.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 47,35.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,26.06 लाख), अंतिम बचत (₹ 34,35.58 लाख) से ₹ 17,09.52 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 5,00.00 } पुनर्वि० -3,11.42 }	1,88.58	1,79.97	-8.61
₹ 3,11.42 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 8.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	08 छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,00.00 } पुनर्वि० -94.01 }	1,05.99	1,05.99	...
3.	19 आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00 } पुनर्वि० -1,09.89 }	90.11	89.93	-0.18
4.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 04 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास-छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,00.00 } पुनर्वि० -23.71 }	1,76.29	1,73.83	-2.46

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 94.01 लाख, ₹ 1,09.89 लाख एवं ₹ 23.71 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	283 आवास 06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,78.50	-21.50
	पुनर्वि० -2,06.76}			
	₹ 21.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,50.00}	1,43.24	1,36.28	-6.96
	पुनर्वि० -2,06.76}			
	₹ 2,06.76 लाख की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश विमुक्त किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
7.	03 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (योजना)			
	मूल 3,50.00}	2,45.91	2,45.91	...
	पुनर्वि० -1,04.09}			
	₹ 1,04.09 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
8.	05 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय/ आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार/निर्माण (बिरसा मुण्डा डी.ए.वी. विद्यालय) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	70.00	-1,30.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 4,50.00}	4,48.70	3,58.30	-90.40
	पुनर्वि० -1.30}			
10.	08 संविधान की धारा 275(1) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 78,04.00}	1,25,39.80	1,12,63.46	-12,76.34
	अनुपूरक 47,35.80}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,30.00 लाख, ₹ 90.40 लाख एवं ₹ 12,76.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
11.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	30.35	30.35	...
	पुनर्वि० -69.65}			
₹ 69.65 लाख की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश विमुक्त किये जाने के कारण हुई थी।				
12.	07 छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,10.00}	40.35	32.23	-7.12
	पुनर्वि० -69.65}			

₹ 69.65 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 7.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	18.63	17.90	-0.73
	पुनर्वि० -81.37}			

₹ 81.37 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

14.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 1,05.00}	4.40	4.40	...
	पुनर्वि० -1,00.60}			

₹ 1,00.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹ 1,00.00 लाख) के कारण हुई थी।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (के०प्रा०यो०)	1,50.00	...	-1,50.00
	मूल	1,50.00}	1,50.00	...

₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 1,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या - 52 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला एवं संस्कृति		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	64,83,41}	72,26,43	33,88,45	-38,37,98
अनुपूरक	7,43,02}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				36,28,00
(7 मार्च 2012	: 25,97,50			
31 मार्च 2012	: 10,30,50)			

पूंजी :

मूल	27,11,50}	27,11,50	24,84,66	-2,26,84
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,22,77
(7 मार्च 2012	: 74,00			
31 मार्च 2012	: 1,48,77)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 38,37.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 7,43.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 36,28.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 38,37.98 लाख) से ₹ 2,09.98 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 27-खेलकूद कल्याण कोष, छात्रवृत्ति एवं सम्मान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 51.37 लाख की बचत, जो कि ₹ 7,76.00 लाख के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2204 102 02 खेलकूद तथा युवा सेवाएं विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस- वरीय शाखा (गैर-योजना)			
	मूल 2,35.98 } पुनर्वि० -42.82 }	1,93.16	1,93.16	...
2.	03 राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस- कनीय शाखा (गैर-योजना)			
	मूल 2,80.77 } पुनर्वि० -46.13 }	2,34.64	2,33.25	-1.39
3.	104 13 खेलकूद युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 70.00 } पुनर्वि० -47.99 }	22.01	22.01	...
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 42.82 लाख, ₹ 46.13 लाख एवं ₹ 47.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	26 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री/ अनुदान/कार्यशाला (योजना)			
	मूल 1,50.00 } पुनर्वि० -12.90 }	1,37.10	93.84	-43.26

₹ 56.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	29 पंचायत युवा खेलकूद अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,53.58	-46.42
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 पायका(पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,25.66	-74.34
7.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	22.74	-17.26
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 46.42 लाख, ₹ 74.34 लाख एवं ₹ 17.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
8.	13 युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 80.00}	30.00	25.50	-4.50
	पुनर्वि० -50.00}			
₹ 54.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	16 झारखंड राज्य खेलकूद प्राधिकरण हेतु अनुदान/ खेल प्रकाशन एवं पुस्तकालय (योजना)			
	मूल 6,70.00}	1,70.00	1,70.00	...
	पुनर्वि० -5,00.00}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	2205 कला एवं संस्कृति 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 45.55 } अनुपूरक 4.05 } पुनर्वि० -16.77 }	32.83	32.89	+0.06
11.	103 पुरातत्व विज्ञान 01 पुरातत्व निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 71.47 } पुनर्वि० -22.45 }	49.02	49.02	...
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 10 पुरातात्विक गतिविधियाँ एवं आयोजन (योजना)			
	मूल 30.00 } पुनर्वि० -19.50 }	10.50	10.35	-0.15
13.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 02 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,12.98 } पुनर्वि० -36.45 }	76.53	76.52	-0.01

उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 104 खेल-कूद 16 झारखंड राज्य खेलकूद प्राधिकरण हेतु अनुदान/ खेल प्रकाशन एवं पुस्तकालय (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
2.	29 पंचायत युवा खेलकूद अभियान (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
3.	2205 कला एवं संस्कृति 106 पुरातत्व सर्वेक्षण 01 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 27 मिट्टी कला बोर्ड का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
5.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 22,00.00}
	पुनर्वि० -22,00.00}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

पूजा :

(v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 खेल-कूद और युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 09 खेल छात्रावास एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण (योजना)	3.38	3.38	...
	मूल 50.00 } पुनर्वि० -46.62 }			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 03 जिला/ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम एवं खेलकूद संरचना (योजना)	80.77	80.77	...
	मूल 1,00.00 } पुनर्वि० -19.23 }			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम (रखरखाव) एवं विद्युत विपत्र (योजना)	15.70	15.70	...
	मूल 30.00 } पुनर्वि० -14.30 }			
4.	04 कला तथा संस्कृति 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 संग्रहालय भवनों का निर्माण (योजना)	64.00	64.00	...
	मूल 1,00.00 } पुनर्वि० -36.00 }			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 46.62 लाख, ₹ 19.23 लाख, ₹ 14.30 लाख एवं ₹ 36.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमांत

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202	शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	03	खेलकूद और युवा सेवाएं		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	13	एन०सी०सी० प्रशासनीक भवन निर्माण (नई योजना) (योजना)		
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		
2.	04	कला और संस्कृति		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	07	हेरिटेज पार्क (नई योजना) (योजना)		
		मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी क्रमशः ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या - 53 - मत्स्य
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2405	मछली-पालन			
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	35,94,72}	45,32,72	37,55,66	-7,77,06
अनुपूरक	9,38,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				7,03,83
पूंजी :				
मूल	10,20,00}	10,20,00	2,70,10	-7,49,90
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (7 दिसम्बर 2011 : 4,07,00 31 मार्च 2012 : 2,62,80)				6,69,80
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व :				
(i) ₹ 7,77.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये मार्च 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 9,38.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,03.83 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,77.06 लाख) से ₹ 73.23 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2405-मत्स्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 46-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना) के अन्तर्गत ₹ 41.20 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 5,89.00 लाख के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2405 मछली-पालन 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 मत्स्य विकास योजना एवं मत्स्य अनुसंधान योजना (गैर-योजना)			
	मूल 6,71.80}	5,55.65	5,55.65	...
	पुनर्वि० -1,16.15}			
	₹ 1,16.15 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र आदि के फलस्वरूप पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।			
2.	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 09 मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार (क०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}	1.91	1.91	...
	पुनर्वि० -18.09}			
	₹ 18.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
3.	19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 3,48.92}	2,20.43	2,20.43	...
	पुनर्वि० -1,28.49}			
	₹ 1,28.49 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के फलस्वरूप पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।			
4.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 1,38.00}	1,12.60	95.06	-17.54
	पुनर्वि० -25.40}			

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	49 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों तथा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 1,10.00}	97.93	96.83	-1.10
	पुनर्वि० -12.07}			
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 60.00}	50.17	47.11	-3.06
	पुनर्वि० -9.83}			
7.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 40.00}	32.23	29.66	-2.57
	पुनर्वि० -7.77}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,70.00}	2,40.04	2,39.46	-0.58
	पुनर्वि० -29.96}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	11 डी०पी०आर० योजना (योजना)			
	मूल 30.00}	2.87	2.87	...
	पुनर्वि० -27.13}			

₹ 27.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	18 मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन (योजना)			
	मूल 66.00}	55.34	55.05	-0.29
	पुनर्वि० -10.66}			
	₹ 10.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
11.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 2.00.00}	1,58.13	1,31.58	-26.55
	पुनर्वि० -41.87}			
	₹ 68.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
12.	48 झासकोफिश का गठन (योजना)			
	मूल 80.00}	22.00	22.00	...
	पुनर्वि० -58.00}			
13.	52 मत्स्यिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,90.00}	1,60.00	1,60.00	...
	पुनर्वि० -30.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 58.00 लाख एवं ₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2405 मछली-पालन			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
09 मत्स्यकी प्रशिक्षण एवं विस्तार (के०प्रा०यो०)			
मूल 16.00}
पुनर्वि० -16.00}			

₹ 16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी:

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,69.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,49.90 लाख) से ₹ 80.10 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन			
1.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,47.00}	2,47.00	1,72.50	-74.50
	पुनर्वि० -64.90}			

₹ 74.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
2.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (योजना)			
	मूल 1,03.00}	38.10	37.80	-0.30
	पुनर्वि० -64.90}			

₹ 64.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	03 मछुआरों का आवास शौचालय, पेयजल एवं नागरिक सुविधाएँ (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,03.00}	65.10	59.80	-5.30
	पुनर्वि० -37.90}			

₹ 37.90 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 5.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2012)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 2,47.00}
	पुनर्वि० -2,47.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,47.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	03 मछुआरों के लिये आवास, शौचालय, पेयजल एवं नागरिक सुविधाएँ (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,54.00}
	पुनर्वि० -1,54.00}			

भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 54 - डेयरी
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2404	डेरी विकास			
राजस्व :				
मूल	82,43,19}	82,69,69	60,81,93	-21,87,76
अनुपूरक	26,50}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				21,88,08

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 21,87.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 26.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथवश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 21,88.08 लाख), अंतिम बचत (₹ 21,87.76 लाख) से ₹ 0.32 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	102 डेरी विकास परियोजनाएं 02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल	12,06.20}	9,25.02	9,23.99
	पुनर्वि०	-2,81.18}		-1.03

₹ 2,81.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	07 क्षेत्रीय डेरी विकास कार्यालय एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,37.89}	1,13.56	1,13.59	+0.03
	पुनर्वि० -24.33}			
₹ 24.33 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	09 दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,92.00}	2,91.24	2,91.24	...
	पुनर्वि० -1,00.76}			
₹ 1,00.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	10 विस्तृत ईकाइयाँ (गैर-योजना)			
	मूल 4,38.20}			
	अनुपूरक 1.50}	3,52.40	3,52.37	-0.03
	पुनर्वि० -87.30}			
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई तथा ₹ 89.30 लाख की प्रत्याशित बचत हुई।				
5.	31 चैक कटर योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,27.50}	22.65	22.65	...
	पुनर्वि० -4,04.85}			
₹ 4,04.85 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,98.62}	1,63.33	1,64.60	+1.27
	पुनर्वि० -1,35.29}			

₹ 1,34.02 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 16,45.18}	10,98.57	10,98.00	-0.57
	पुनर्वि० -5,46.61}			

₹ 5,46.61 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	102 डेरी विकास परियोजनाएं 04 ग्रामीण डेयरी (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	28	ग्रास लैंड डेवलपमेंट (के०यो०यो०)		
		मूल 3,37.75}
		पुनर्वि० -3,37.75}		
<p>केन्द्रीय अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 3,37.75 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 93.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
3.	29	फाँडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट की स्थापना (के०प्रा०यो०)		
		मूल 42.50}
		पुनर्वि० -42.50}		
4.	29	फाँडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट की स्थापना (योजना)		
		मूल 42.50}
		पुनर्वि० -42.50}		
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्दांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण प्रत्येक के ₹ 42.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी क्रमशः ₹ 21.25 लाख एवं ₹ 63.75 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
5.	796 04	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ग्रामीण डेयरी (योजना)		
		मूल 25.00}
		पुनर्वि० -25.00}		

₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 55 - ग्रामीण कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3054	सड़क एवं सेतु		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	1,39,53,49}	1,39,56,49	1,28,96,69	-10,59,80
अनुपूरक	3,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 10,02,24

पूँजी :

मूल	3,85,00,00}	3,85,00,00	3,36,66,81	-48,33,19
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012) 33,96,12

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,02.24 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,59.80 लाख) से ₹ 57.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर रोजगार योजना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,91.26	2,89.03	-2.23
	पुनर्वि० -1,08.74}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 11,00.00}	7,04.81	6,50.74	-54.07
	पुनर्वि० -3,95.19}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,10.97 लाख एवं ₹ 4,49.26 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 25 मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 72.43}	26.52	26.52	...
	पुनर्वि० -45.91}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	26 प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,42.20}			
	अनुपूरक 3.00}	1,08.99	1,08.99	...
	पुनर्वि० -36.21}			
	उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 45.91 लाख एवं ₹ 36.21 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य बल में कमी के कारण हुई थी।			
5.	27 अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 45,69.25}	42,37.50	42,36.97	-0.53
	पुनर्वि० -3,31.75}			
6.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 16 ग्रामीण कार्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,69.61}	86.90	86.21	-0.69
	पुनर्वि० -82.71}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,31.75 लाख एवं ₹ 82.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

पूँजी :

(iii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 33,96.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,33.19 लाख) से ₹ 14,37.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(iv) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 103-ग्राम विकास, 04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना) तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,59.85 लाख एवं ₹ 2,49.92 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 1,45,65.00 लाख एवं ₹ 1,64,65.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 103 18	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ग्राम विकास न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	1,35.00 } -1,01.68 }	33.32	33.32 ...
2.	789 04	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	38,00.00 } -7,84.91 }	30,15.09	21,87.79 -8,27.30
3.	796 18	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल पुनर्वि०	1,35.00 } -1,09.54 }	25.46	25.46 ...

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,01.68 लाख, ₹ 7,84.91 लाख एवं ₹ 1,09.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
	103 ग्राम विकास			
1.	14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}
	पुनर्वि० -2,50.00}			
₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
3.	19 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुल (योजना)			
	मूल 8,00.00}
	पुनर्वि० -8,00.00}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		
	19	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुल (योजना)		
	मूल	2,00.00}
	पुनर्वि०	-2,00.00}		
5.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	02	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकार (जे०एस० आर०डी०ए०) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		
6.	14	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)		
		मूल	2,50.00}	...
	पुनर्वि०	-2,50.00}		

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 8,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
	क्षेत्रीय कार्यालयों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
8.	20 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

**अनुदान संख्या - 56 - पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०
(विशेष प्रमंडल) विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2015	निर्वाचन		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		
6515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज		

राजस्व :

मूल	12,72,29,76}	14,12,39,94	11,02,16,29	-3,10,23,65
अनुपूरक	1,40,10,18}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,99,17,49
(21 फरवरी 2012 : 15,00,00				
7 मार्च 2012 : 1,57,05,00				
31 मार्च 2012 : 1,27,12,49)				

पूंजी :

मूल	2,50,00}	2,50,00	1,70,30	-79,70
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				22,93
---	--	--	--	-------

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 3,10,23.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 24,18.72 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 7.20 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 1,15,84.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,40,10.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,99,17.49 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,10,23.65 लाख) से ₹ 11,06.16 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 01-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को बेसिक ग्रांट (गैर-योजना), 198-ग्राम पंचायतों को सहायता, 01-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के सामान्य क्षेत्र के लिए बेसिक ग्रांट (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,07.67 लाख एवं ₹ 1,65.59 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 35,55.00 लाख एवं ₹ 1,06,63.75 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2015 निर्वाचन			
	109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार			
	01 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (गैर-योजना)			
	मूल 1,39.31}			
	अनुपूरक 63.50}	1,64.70	1,64.45	-0.25
	पुनर्वि० -38.11}			
₹ 38.11 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
2.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	03 जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,08,49.24}	73,21.46	72,54.91	-66.55
	पुनर्वि० -35,27.78}			
₹ 35,94.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	04 राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 56.79}	2.58	2.58	...
	पुनर्वि० -54.21}			
	₹ 54.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	05 पंचायत चुनाव (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}			
	अनुपूरक 14,33.48}	11,93.82	11,35.77	-58.05
	पुनर्वि० -3,39.66}			

₹ 3,97.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

5.	06 जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,55.16}	1,01.37	95.90	-5.47
	पुनर्वि० -53.79}			

₹ 53.79 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारी का मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
₹ 5.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

6.	14 पंचायत मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,15.00}	88.80	88.85	+0.05
	पुनर्वि० -26.20}			

₹ 26.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹ 23.60 लाख) के कारण हुई थी।

7.	15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (योजना)			
	मूल 1,42,45.00}	72,41.60	72,38.20	-3.40
	पुनर्वि० -70,03.40}			

₹ 70,03.40 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	31 प्रमंडलीय/जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,18.37	94.11	-24.26
	पुनर्वि० -31.63}			
9.	003 प्रशिक्षण 01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (गैर-योजना)			
	मूल 1,85.35}	1,62.13	1,58.02	-4.11
	पुनर्वि० -23.22}			
10.	101 पंचायती राज 04 पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/ दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता का भुगतान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 20,00.00}	16,45.74	12,07.09	-4,38.65
	पुनर्वि० -3,54.26}			
11.	102 सामुदायिक विकास 18 पंचायत भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	97.64	67.41	-30.23
	पुनर्वि० -2.36}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 55.89 लाख, ₹ 27.33 लाख, ₹ 7,92.91 लाख एवं ₹ 32.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (योजना)			
	मूल 51,69.00}	35,44.00	35,44.00	...
	पुनर्वि० -16,25.00}			
	₹ 16,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।			
13.	18 पंचायत भवनों का निर्माण/अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	61.95	-38.05
	₹ 38.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (योजना)			
	मूल 1,49,42.00}	76,76.75	76,73.34	-3.41
	पुनर्वि० -72,65.25}			
	₹ 72,65.25 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।			
15.	26 प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,10.00}	1,43.74	1,44.02	+0.28
	पुनर्वि० -66.26}			
	₹ 65.98 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	28 गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष जिला एवं गैर समेकित कार्य योजना जिला के लिए विशेष अनुदान (योजना)			
	मूल 65,00.00}			
	अनुपूरक 15,00.00}	65,00.00	65,00.00	...
	पुनर्वि० -15,00.00}			

₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

17.	799 उचंत 01 विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम (गैर-योजना)			
		...	-28.35	-28.35

₹ 28.35 लाख की अंतिम बचत अधिक जमा के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 24 पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

योजना उद्ब्यय में कटौती के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	196 02	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों के विशेष क्षेत्रीय अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	7,00.00}
	पुनर्वि०	-7,00.00}		
	केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
3.	03	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को परफॉरमेन्स अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	11,20.00}
	पुनर्वि०	-11,20.00}		
	₹ 8,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
4.	197 02	प्रखण्ड पंचायत/महल पंचायतों को सहायता 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों के विशेष क्षेत्रीय अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	7,00.00}
	पुनर्वि०	-7,00.00}		
	केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृति विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	03	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विशेष क्षेत्रीय अनुदान (गैर-योजना)		
		मूल 11,20.00}
		पुनर्वि० -11,20.00}		...
<p>₹ 8,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
6.	198	ग्राम पंचायतों को सहायता		
	02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को विशेष क्षेत्रीय बेसिक अनुदान (गैर-योजना)		
		मूल 21,00.00}
		पुनर्वि० -21,00.00}		...
<p>केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृति विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 21,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
7.	03	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉरमेन्स अनुदान (गैर-योजना)		
		मूल 33,59.00}
		पुनर्वि० -33,59.00}		...
<p>₹ 25,19.25 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 8,39.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण सहित) (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

9.	24 पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 79.70 लाख) से ₹ 56.77 लाख से कम था।

(vi) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज			
197 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को उधार			
01 जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार (गैर-योजना)			
मूल 2,50.00}	2,27.07	1,70.30	-56.77
पुनर्वि० -22.93}			

₹ 22.93 लाख की प्रत्याशित बचत अनुदान के अनुपात में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 56.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमांत

(vii) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गये व्यय में से ₹ (-) 28.35 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष 'उचंत', के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामें और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2011 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2012 का अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	...	28.35	(-) 28.35	(-) 28.34
जोड़	0.01	...	28.35	(-) 28.35	(-) 28.34
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	1,69.16
जोड़	1,69.16	1,69.16

**अनुदान संख्या - 57 - आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2216	आवास			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
6216	आवास के लिए उधार			
राजस्व :				
मूल	9,46,39}	9,46,39	7,91,16	-1,55,23
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				22,78
पूंजी :				
मूल	1,00,00}	1,00,00	1,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22.78 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,55.23 लाख) से ₹ 1,32.45 लाख से कम था।

अनुदान संख्या - 57 - क्रमांत

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2216	आवास			
	03	ग्रामीण आवास			
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	01	सिद्धू-कान्हू आवास योजना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	7,50.00}	7,49.10	6,16.65	-1,32.45
	पुनर्वि०	-0.90}			

₹ 1,33.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

2.	2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	090	सचिवालय			
	04	आवास विभाग (गैर-योजना)			
		मूल	46.39}	24.51	24.51
	पुनर्वि०	-21.88}			

₹ 21.88 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 58 - माध्यमिक शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	6,29,16,37}	6,75,24,76	4,75,49,82	-1,99,74,94
अनुपूरक	46,08,39}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (अगस्त 2011 : 27,97,91 31 मार्च 2012 : 1,22,11,85)				1,50,09,76
पूंजी :				
मूल	35,00,00}	35,00,00	17,00,00	-18,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				18,00,00
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 1,99,74.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 28,41.56 लाख) एवं दिसम्बर 2011 (₹ 17,66.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 46,08.39 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,50,09.76 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,99,74.94 लाख) से ₹ 49,65.18 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,38.47}	1,00.60	1,00.61	+0.01
	पुनर्वि० -37.87}			
₹ 37.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01 माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 3,66,79.74}	3,26,41.18	2,79,61.53	-46,79.65
	पुनर्वि० -40,38.56}			
₹ 87.18.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	04 नेतरहाट आवासीय विद्यालय (आवासीय महाविद्यालय सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 8,54.29}	5,13.64	5,15.41	+1.77
	अनुपूरक 5.83}			
	पुनर्वि० -3,46.48}			
₹ 3,44.71 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
4.	12 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,06.37	1,86.94	-19.43
	पुनर्वि० -48.63}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	18 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 51.00}	27.23	21.39	-5.84
	पुनर्वि० -23.77}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 68.06 लाख एवं ₹ 29.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	24 सामान्य वर्गों के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 4,20.00}	1,47.00	1,46.97	-0.03
	पुनर्वि० -2,73.00}			
7.	28 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (योजना)			
	मूल 4,50.00}	2,86.22	2,86.22	...
	पुनर्वि० -1,63.78}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,73.00 लाख एवं ₹ 1,63.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	110 04	अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता सैनिक स्कूल, तिलैया (गैर-योजना)		
	मूल	2,97.91}		
	अनुपूरक	2,97.91}	2,97.91	2,97.91
	पुनर्वि०	-2,97.91}		...
<p>₹ 2,97.91 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान सामान्य (वेतन) के तहत निधि का गलत आवंटन के कारण हुई थी।</p>				
9.	789 12	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद-सृजन (योजना)		
	मूल	80.00}	59.18	32.76
	पुनर्वि०	-20.82}		-26.42
10.	24	सामान्य वर्गों के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)		
	मूल	2,50.00}	87.50	61.04
	पुनर्वि०	-1,62.50}		-26.46

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 47.24 लाख एवं ₹ 1,88.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (योजना)			
	मूल 17,00.00}			
	अनुपूरक 17,00.00}	17,00.00	17,00.00	...
	पुनर्वि० -17,00.00}			
<p>₹ 17,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यपालक समिति के निर्णयानुसार सहायक अनुदान के तहत प्रथम अनुपूरक में प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
12.	11 राज्य के बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,67.87	2,67.87	...
	पुनर्वि० -32.13}			
<p>₹ 32.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
13.	24 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत सामान्य वर्गों के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण (योजना)			
	मूल 3,30.00}	1,15.50	1,15.48	-0.02
	पुनर्वि० -2,14.50}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	44 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत सामान्य प्रवेशिकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,50.96	2,50.96	...
	पुनर्वि० -49.04}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,14.50 लाख एवं ₹ 49.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 06 इन्दिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग में भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 84.00}
	पुनर्वि० -84.00}			

₹ 84.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 42.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

2.	22 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (योजना)			
	मूल 94.00}
	पुनर्वि० -94.00}			

पिछले आवंटित निधि शेष रहने के कारण ₹ 94.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 42.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (योजना)			
	मूल 10,53.00}
	पुनर्वि० -10,53.00}			
4.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)			
	मूल 15,44.00}
	पुनर्वि० -15,44.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10,53.00 लाख एवं ₹ 15,44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
5.	46 +2 विद्यालयों में कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा (योजना)			
	मूल 51.00}
	पुनर्वि० -51.00}			
पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित निधि शेष रहने के कारण ₹ 51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03 नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (योजना)			
	मूल 8,00.00}
	पुनर्वि० -8,00.00}			
कार्यपालक समिति के निर्णयानुसार सहायत अनुदान के तहत प्रथम अनुपूरक में प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	22 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (योजना)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
पिछले आवंटित निधि शेष रहने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 9,00.00}
	पुनर्वि० -9,00.00}			
9.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)			
	मूल 6,00.00}
	पुनर्वि० -6,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,00.00 लाख एवं ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 22 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (योजना)			
	मूल 66.00}
	पुनर्वि० -66.00}			
पिछले आवंटित निधि शेष रहने के कारण ₹ 66.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 11,60.20}
	पुनर्वि० -11,60.20}			
12.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)			
	मूल 10,56.00}
	पुनर्वि० -10,56.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11,60.20 लाख एवं ₹ 10,56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
13.	46 +2 विद्यालयों में कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा (योजना)			
	मूल 33.00}
	पुनर्वि० -33.00}			

पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित निधि शेष रहने के कारण ₹ 33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	03 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 7,00.00 }
	पुनर्वि० -7,00.00 }			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	03 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (योजना)			
	मूल 11,00.00 }
	पुनर्वि० -11,00.00 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 7,00.00 लाख एवं 11,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या - 59 - प्राथमिक एवं जन शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	38,41,87,99}	38,41,91,26	30,39,10,57
अनुपूरक	3,27}		-8,02,80,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,64,13,68
पूंजी :			
मूल	8,00,00}	8,00,00	92,47
अनुपूरक	शून्य}		-7,07,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			7,07,52
टीका एवं टिप्पणियाँ :			
राजस्व:			
(i)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,64,13.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,02,80.69 लाख) से ₹ 6,38,67.01 लाख कम था।		

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

(ii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 01-निरीक्षण (गैर-योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,74.64 लाख तथा ₹ 2,36.99 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 33,16.64 लाख और ₹ 52,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,32.55}	1,00.44	1,02.76	+2.32
	पुनर्वि० -32.11}			
₹ 32.11 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 2.32 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 20,95,09.66}	19,37,53.14	18,11,19.33	-1,26,33.81
	अनुपूरक 3.27}			
	पुनर्वि० -1,57,59.79}			
₹ 1,57,59.79 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,26,33.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
3.	03 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,67,10.00}	1,67,10.00	95,13.31	-71,96.69

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 78,00.00}	78,00.00	18,54.60	-59,45.40
5.	05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 27,90.00}	27,90.00	72.00	-27,18.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 71,96.69 लाख, ₹ 59,45.40 लाख तथा ₹ 27,18.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
6.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 10,19.70}	9,09.08	7,79.80	-1,29.28
	पुनर्वि० -1,10.62}			
₹ 1,10.62 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,29.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
7.	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 04 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 55,70.00}	55,70.00	47,17.49	-8,52.51
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 68,70.00}	68,70.00	17,60.41	-51,09.59

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 22,90.00}	22,90.00	10,31.63	-12,58.37
10.	05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 33,15.00}	33,15.00	29,30.47	-3,84.53
11.	05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 11,10.00}	11,10.00	7,54.83	-3,55.17
12.	22 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,40.00}	1,40.00	23.46	-1,16.54
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,70.00}	2,70.00	1,17.42	-1,52.58

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	04 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,57,20.00}	1,57,20.00	1,00,75.74	-56,44.26
15.	05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 83,85.00}	83,85.00	27,26.48	-56,58.52
16.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	1,32.68	-2,17.32
17.	27 मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	21,12.12	-18,87.88

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)	3,90.00}	3,90.00	... -3,90.00
<p>₹ 3,90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 1,75.85 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
2.	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 07 निजी विद्यालय को 25% छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)	1,72.00} -1,72.00}
<p>निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1,72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) (के०प्रा०यो०)	1,10.00}	1,10.00	... -1,10.00
4.	07 बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)	1,70.00}	1,70.00	... -1,70.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	24 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	...	-4,00.00
6.	25 सर्व शिक्षा अभियान (योजना)			
	मूल 72,00.00}	72,00.00	...	-72,00.00
<p>उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,10.00 लाख, ₹ 1,70.00 लाख, ₹ 4,00.00 लाख एवं ₹ 72,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उप शीर्ष 07-बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों के क्रय के अन्तर्गत ₹ 5,27.54 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
7.	37 पिछड़े वर्ग के 25% छात्रों के नामांकन हेतु निजी विद्यालयों को सहायता (योजना)			
	मूल 68.00}
	पुनर्वि० -68.00}			
<p>निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 68.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 स्टोर-सह-कीचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 26,00.00}	26,00.00	...	-26,00.00
9.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,20.00}	4,20.00	...	-4,20.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	...	-8,00.00
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 26,00.00 लाख, ₹ 4,20.00 लाख एवं ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी उप शीर्ष '07-बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों के क्रय' के अन्तर्गत ₹ 1,75.85 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
11.	34 पिछड़े वर्ग के 25% छात्रों के नामांकन हेतु निजी विद्यालयों को सहायता (योजना)			
	मूल 1,60.00}
	पुनर्वि० -1,60.00}			
<p>निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
12.	800 अन्य व्यय 24 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
13.	26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	...	-8,00.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,00.00 लाख एवं ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

पूँजी:

(iv) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सामान्य शिक्षा			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
मूल 3,20.00}	92.48	92.47	-0.01
पुनर्वि० -2,27.52}			

₹ 2,27.52 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	201 प्रारंभिक शिक्षा			
1.	01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,20.00}
	पुनर्वि० -2,20.00}			

अनुदान संख्या - 59 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,60.00}
	पुनर्वि० -2,60.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2,20.00 लाख एवं ₹ 2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 60 - समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236 पोषण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	8,05,57,11}	8,25,19,16	5,94,72,31
अनुपूरक	19,62,05}		-2,30,46,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,02,37,14
(10 फरवरी 2012 : 5,11,00			
31 मार्च 2012 : 1,97,26,14)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 2,30,46.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 (₹ 9.00 लाख), दिसम्बर 2011 (₹ 14,00.05 लाख) एवं मार्च 2012 (₹ 5,53.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,62.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,02,37.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,30,46.85 लाख) से ₹ 28,09.71 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 103-महिला कल्याण, 28-आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 28-आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना), 2236-पोषण, 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 91.30 लाख, ₹ 1,37.97 लाख तथा ₹ 4,32.91 लाख की बचत, जो क्रमशः 22,50.00 लाख, ₹ 24,00.00 लाख तथा ₹ 1,70,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	55.03	44.28	-10.75
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	03 मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला का संधारण (योजना)			
	मूल 76.25}			
	पुनर्वि० -21.22}			
₹ 21.22 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
2.	04 नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर-सरकारी संस्था को सहायता-सहायक अनुदान (योजना)	8.09	8.09	...
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० -31.91}			

₹ 31.91 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 11.91 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	41 नवनिर्मित मूक एवं बधिर विद्यालय का संचालन तथा मूक एवं बधिर विद्यालय हेतु गैर सरकारी संस्था को सहायता-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00}			
	अनुपूरक 30.00}	14.22	14.22	...
	पुनर्वि० -45.78}			
<p>₹ 45.78 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 15.78 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 30.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
4.	102 बाल कल्याण 48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,62.00}	1,33.00	1,33.00	...
	पुनर्वि० -29.00}			
<p>₹ 29.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
5.	49 प्रचार शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,62.00}	81.91	81.79	-0.12
	पुनर्वि० -80.09}			
<p>₹ 80.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।</p>				
6.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 81,00.00}	61,85.21	61,85.21	...
	पुनर्वि० -19,14.79}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	1,48.88	1,48.88	...
	पुनर्वि० -31.12}			
8.	58 किशोरी बालिकाओं के लिए सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,33.00}	96.46	96.21	-0.25
	पुनर्वि० -36.54}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 19,14.79 लाख, ₹ 31.12 लाख तथा ₹ 36.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
9.	103 महिला कल्याण 26 हेल्प लाईन योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 28.00}			
	अनुपूरक 28.00}	17.00	17.00	...
	पुनर्वि० -39.00}			

₹ 39.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
₹ 28.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	106 सुधारक सेवाएं 01 किशोर न्याय/बोर्ड/बाल कल्याण समितियों एवं विकलांगता से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता/मानदेय तथा रिमाण्ड होम के अंतःवासियों के लिए परिवहन (योजना)			
	मूल 1,55.00}	1,04.50	73.73	-30.77
	पुनर्वि० -50.50}			

₹ 50.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 30.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

11.	20 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (योजना)			
	मूल 30.00}			
	अनुपूरक 30.00}	28.74	28.74	...
	पुनर्वि० -31.26}			

₹ 31.26 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1.26 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 30.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

12.	21 स्पैष्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 50.00}	50.00	29.69	-20.31
	पुनर्वि० -50.00}			

₹ 70.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	39 प्रतिप्रेक्षण गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,82.57}	2,02.44	1,98.38	-4.06
	पुनर्वि० -80.13}			
14.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (योजना)			
	मूल 9,00.00}	8,49.93	7,77.26	-72.67
	पुनर्वि० -50.07}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 80.13 लाख एवं ₹ 50.07 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.06 लाख एवं ₹ 72.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।				
15.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 18 स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 4,80.00}	4,80.00	3,68.03	-1,11.97
16.	57 इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 24.00}	1,04.32	17.18	-87.14
	अनुपूरक 80.32}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,11.97 लाख एवं ₹ 87.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	796 06 जनजातीय क्षेत्र उप योजना ओल्ड ऐज होम का संचालन सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 20.00}	6.54	6.54	...
	पुनर्वि० -33.46}			
<p>₹ 33.46 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 13.46 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 20.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
18.	18 स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 20,00.00}	13,70.00	12,55.47	-1,14.53
	पुनर्वि० -6,30.00}			
<p>₹ 7,44.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
19.	20 बाल दोषी, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 45.00}			
	अनुपूरक 45.00}	10.78	10.78	...
	पुनर्वि० -79.22}			
<p>₹ 79.22 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 34.22 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 45.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
20.	21 स्पैष्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 45.00}			
	अनुपूरक 45.00}	22.98	22.98	...
	पुनर्वि० -67.02}			
<p>₹ 67.02 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 22.02 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 45.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
21.	24 कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,06.00}	72.93	72.93	...
	पुनर्वि० -33.07}			
	₹ 33.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
22.	26 हेल्पलाईन योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 28.00}			
	अनुपूरक 28.00}	16.00	16.03	+0.03
	पुनर्वि० -40.00}			
	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 28.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			
23.	37 उद्धार की गई धाइयों के लिये पुनर्वास केन्द्र (योजना)			
	मूल 40.00}			
	अनुपूरक 40.00}	35.00	35.00	...
	पुनर्वि० -45.00}			
	₹ 45.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 40.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	41 नवनिर्मित मूक एवं बधिर विद्यालय का संचालन तथा मूक एवं बधिर विद्यालय हेतु गैर सरकारी संस्था को सहायता (योजना)			
	मूल 40.00}			
	अनुपूरक 40.00}	16.64	16.64	...
	पुनर्वि० -63.36}			
<p>₹ 63.36 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 23.36 लाख की बचत प्रस्तव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 40.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
25.	47 मेडिसिन किट्स (10% राज्यांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,08.00}	1,08.00	12.00	-96.00
<p>₹ 96.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।</p>				
26.	48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (10% राज्यांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	1,43.67	1,43.67	...
	पुनर्वि० -36.33}			
27.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	99.51	99.51	...
	पुनर्वि० -80.49}			
28.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 90,00.00}	76,79.39	67,84.60	-8,94.79
	पुनर्वि० -13,20.61}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 96.80}	63.91	56.50	-7.41
	पुनर्वि० -32.89}			
30.	57 इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 1,50.00}	7,58.66	2,35.30	-5,23.36
	अनुपूरक 6,18.14}			
	पुनर्वि० -9.48}			
31.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,84.00}	1,43.76	1,36.73	-7.03
	पुनर्वि० -40.24}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 28, 29, 30 एवं 31 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 8,94.79 लाख, ₹ 7.41 लाख, ₹ 5,23.36 लाख एवं ₹ 7.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

32.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,84.00}	1,84.00	8.02	-1,75.98

₹ 1,75.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2236	पोषण			
02	पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			
33.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना)			
	मूल 1,45,00.00}	1,24,24.91	1,24,07.95	-16.96
	पुनर्वि० -20,75.09}			

₹ 20,75.09 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 16.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

34.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,84.00}	4,58.95	3,11.14	-1,47.81
	अनुपूरक 2,74.95}			

₹ 1,47.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
35.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना)			
	मूल 42,90.00}	29,25.69	29,25.69	...
	पुनर्वि० -13,64.31}			

₹ 13,64.31 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 103 महिला कल्याण 20 तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन/शॉर्ट स्टेहोम-सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 20.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
<p>₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी ₹ 25.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।</p>				
2.	57 इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 26.00}
	पुनर्वि० -26.00}			
<p>जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति मिलने के कारण ₹ 26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
3.	59 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा (योजना)			
	मूल 47,70.00}
	पुनर्वि० -47,70.00}			

राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 47,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	106 सुधारक सेवाएं 07 प्रतिप्रेक्षण गृहों का संचालन- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 35.00}			
	अनुपूरक 35.00}
	पुनर्वि० -70.00}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 07 प्रतिप्रेक्षण गृहों का संचालन- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 35.00}			
	अनुपूरक 35.00}
	पुनर्वि० -70.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वेतन मद में उपलब्ध कराये गए निधि का उपभोग नहीं किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	40 नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर सरकारी संस्था को सहायता (योजना)			
	मूल 25.00}			
	अनुपूरक 25.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
7.	44 तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उतर रक्षा गृह/ नारी निकेतन/शॉर्ट स्टेहोम-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 20.00}
	पुनर्वि० -40.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	52 आफ्टर केयर होम का संचालन (योजना)			
	मूल	20.00}		
	अनुपूरक	20.00}
	पुनर्वि०	-40.00}		...

उपर्युक्त तीन मामलों में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वेतन के लिए मुहैया करायी गई राशि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। पूर्व वर्ष (2010-11) में भी क्रमशः ₹ 35.00 लाख, ₹ 35.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

9.	59 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा (योजना)			
	मूल	60,30.00}
	पुनर्वि०	-60,30.00}		...

राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 60,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या 14 पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक व्यय (+)/कमी (-)	
1	2	3	4	
(हजार रुपयों में)				
39 - आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	2,72,42,00	2,43,70,76	(-) 28,71,24
45 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व दत्तमत	...	24,62,87	(+) 24,62,87
49 - जल संसाधन विभाग	पूंजी दत्तमत	...	15,06,33	(+) 15,06,33
51 - कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत	...	66,00	(+) 66,00
56 - पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग	राजस्व दत्तमत	...	68	(+) 68
60 - समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	राजस्व दत्तमत	...	19,94	(+) 19,94
जोड़ :	राजस्व दत्तमत	2,72,42,00	2,69,20,25	(-) 3,21,75
	पूंजी दत्तमत	...	15,06,33	(+) 15,06,33
कुल जोड़ :	राजस्व	2,72,42,00	2,69,20,25	(-) 3,21,75
	पूंजी	...	15,06,33	(+) 15,06,33